दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 10 अक्टूबर 2023

प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की तिथि: 20 अक्टूबर 2023

निर्णय उद्घोषित: 09 जनवरी 2024

ले.पे.अ. 50/2023

नोवार्टिस ए.जी. .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री हेमंत सिंह, सुश्री ममता रानी झा, श्री सिद्धांत शर्मा, श्री अभय टंडन और सुश्री गरिमा मेहता, अधिवक्तागण

बनाम

नैटको फार्मा लिमिटेड और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जे. साई दीपक, श्री गुरुस्वामी नटराज, श्री शशिकांत यादव और श्री राहुल भुजबल, प्र.-1 के लिए अधिवक्तागण

श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, कें.सर.स्था.अधि. के साथ श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री सागर मेहलावत, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे, श्री एम. श्रीराम और श्री

कृष्णन वी., प्र.-1 के लिए अधिवक्तागण

सुश्री राजेश्वरी एच., श्री ताहिर ए.जे., सुश्री राज लता कोटनी और श्री अनिरुद्ध रामनाथन, हस्तक्षेपकर्ता-डॉ. चरणजीत कुमार सहगल और डॉ. कंचन कोहली के अधिवक्तागण।

श्री राजीव नायर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री बितिका शर्मा, सुश्री वृंदा पाठक, श्री जॉर्ज विथायथिल और श्री मंजूनाथन, हस्तक्षेपकर्ता-भारतीय औषधीय गठबंधन के लिए अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

निर्णय

यशवंत वर्मा, न्या.

क्रम सं.	विवरण	पैराग्राफ सं.
क.	प्रस्तावना	1-3
ख.	महत्वपूर्ण तथ्य	4-10
ग.	संशोधन-पूर्व और पश्चात क़ानूनी प्रावधान	11
घ.	नोवार्टिस के तर्क	12-34
ङ.	नैटको की प्रस्तुतियाँ	34-42
च.	भारतीय औषधीय गठबंधन का रुख	43-52
छ.	डॉ. कंचन कोहली द्वारा विरोध	53-54
ज.	संशोधित धारा 57 का प्रभाव	55-57
झ.	जाँच प्रक्रिया	58-66
ञ.	विरोधी कार्यवाही	67-69
ट.	पेटेंट आवेदन में संशोधन	70-75
ठ.	स्वीकृति पूर्व विरोध के पहलू	76-92
ड.	नियम 55 के तहत सुनवाई	93-96
ढ.	नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत	97-100
ण.	प्रतिद्वंद्वी के अधिकार-वैश्विक परिप्रेक्ष्य में	101-113

त.	धारा 57 का महत्व	114-117
थ.	हितों का संतुलन	118-122
द.	आक्षेपित निर्णय-एक संक्षिप्त समीक्षा	123-127
ध.	निष्कर्ष	128
न.	प्रवर्तनशील निर्देश	129

क. प्रस्तावना

1. वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि **पेटेंट अधिनियम, 1970** के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोधी के संलग्नता की सीमा नियंत्रक द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों के दौरान पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता को आवेदन उसके पूर्ण विनिर्देशों या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ में संशोधन या परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है।

2. **मूल रिट याचिकाकर्ता नैटको फार्मा लिमिटेड** ने **पेटेंट नियंत्रक** के दिनांक 14 दिसंबर 2022 के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसके अनुसार अपीलकर्ता द्वारा दायर **भारतीय पेटेंट आवेदन संख्या आई.एन. 4145184** में कुछ संशोधनों को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि उक्त आदेश नैटको को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था।

3. इस प्रस्तुतिकरण से मूलतः यह प्रतीत होता है कि स्वीकृति-पूर्व विरोधी को स्वैच्छिक संशोधनों के साथ-साथ नियंत्रक द्वारा निर्देशित संशोधनों के विरुद्ध भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। नैटको के अनुसार, विरोध के अभ्यावेदन के साथ-साथ आवेदन पर विचार-विमर्श को अलग-अलग साइलो में संचालित करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नैटको के अनुसार कार्यवाही का स्पष्ट रूप से विलय हो जाती है इस प्रकार नियंत्रक को सभी स्वीकृति-पूर्व विरोधियों को किसी भी संशोधन के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य करती है जो उसके द्वारा निर्देशित हो सकता है। उपर उल्लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रस्तुत दृष्टिकोण ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील संस्थित की गई है।

ख. महत्वपूर्ण तथ्य

4. जिस पृष्ठभूमि में मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसकी जांच करने के लिए, हम अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों के लिखित नोट में उल्लिखित निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देना उचित समझते हैं: -

“तिथि	**घटनाएँ**
08.11.2006	विषयगत पेटेंट आई.एन.'518, दिनांक 08.11.2006 के पी.सी.टी आवेदन संख्या पी.सी.टी/यू.एस.2006/043710 से उत्पन्न हुआ है,

	जिसे पेटेंट नियंत्रक (प्रत्यर्थी संख्या 2) के समक्ष 08.06.2007 को भारतीय राष्ट्रीय चरण आवेदन संख्या 4412/डी.ई.एल.एन.पी/2007 के रूप में दायर किया गया था।
24.08.2007	आवेदन को स्वीकृति-पूर्व विरोध के लिए प्रकाशित किया गया था। आवेदन की जांच धारा 12 और 13 के तहत 30.01.2015 की प्रथम जांच रिपोर्ट (एफ.ओ.आर.) के द्वारा की गई।
27.05.2016	अपीलकर्ता को दिनांक 06.05.2016 की सुनवाई की नोटिस के द्वारा 27.05.2016 को धारा 14 की सुनवाई की अनुमति दी गई। हालाँकि, नियंत्रक द्वारा जाँच और उसके अनुसार सुनवाई पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले, 26.05.2016 को भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस (आई.पी.ए.) द्वारा पहला पी.जी.ओ. दायर किया गया था।
06.09.2016	दूसरा पी.जी.ओ. प्रत्यर्थी सं. 1 (नैटको) द्वारा दायर किया गया था।
23.08.2017	तीसरा पी.जी.ओ. कुमार सुशोभन द्वारा दाखिल किया था।
13.06.2019	चौथा पी.जी.ओ. डॉ. रेड्डी द्वारा दाखिल किया गया था।
06.12.2019	प्रथम से चतुर्थ पी.जी.ओ. के संबंध में सुनवाई की पहली नोटिस 08-13 जनवरी 2020 को निर्धारित सुनवाई के लिए जारी किया गया [विरोधियों में से एक विरोधी के अनुरोध पर स्थगित किया गया]।

14.02.2020	प्रथम से चतुर्थ पी.जी.ओ. के संबंध में सुनवाई की दूसरी नोटिस 16-19 मार्च 2020 को निर्धारित सुनवाई के लिए जारी किया गया।
25.02.2020	हिरेन दर्जी द्वारा दायर 5वीं पी.जी.ओ. [5वें पी.जी.ओ. के मद्देनजर, 16-19 मार्च 2020 की निर्धारित सुनवाई स्थगित कर दी गई, और 5वें पी.जी.ओ. को 26.02.2020 को नोटिस जारी किया गया]।
17.09.2020	1 से 5वें पी.जी.ओ. के संबंध में सुनवाई का तीसरा नोटिस 26-30 अक्टूबर 2020 को निर्धारित सुनवाई के लिए जारी किया गया था [प्रत्यर्थी सं. 1 (नैटको) के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया]।
18.09.2020	6ठा पी.जी.ओ. श्रीनिवास राव द्वारा दायर।
03.02.2021	आई.पी.ए.बी. ने दिनांक 03.02.2021 के आदेश ओ.ए./1/2021/पी.टी./डी.ई.एल. के द्वारा नियंत्रक को तीन महीने के भीतर सभी विरोधों का निपटान करने का निर्देश दिया।
08.04.2021	1 से 6ठी पी.जी.ओ. के संबंध में सुनवाई का चौथा नोटिस 12 से 19 मई 2021 को निर्धारित सुनवाई के लिए जारी किया गया।
07.05.2021	नैटको ने अपने शपथपत्र में निर्धारित सुनवाई से पांच दिन पहले नोवार्टिस विशेषज्ञों से प्रति-परीक्षा करने देने का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर किया।
12 से 19 मई 2021	1 से 6ठी पी.जी.ओ. पर सुनवाई हुई, तथा नियंत्रक द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया।

16.09.2021	नियंत्रक द्वारा नैटको के प्रति-परीक्षा के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया। नैटको द्वारा 27.09.2021 को रिट संख्या रि.या.(सि.)- बौ.सं.अनु. 91/2021 दायर कर उक्त आदेश को चुनौती दी गई।
20.05.2022	7वां पी.जी.ओ डॉ. चरणजीत कुमार सहगल द्वारा दायर किया गया।
12.07.2022	नैटको की रिट रि.या.(सि.)- बौ.सं.अनु. 91/2021 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में नैटको को प्रत्याख्यान साक्ष्य दाखिल करने की अनुमति दी गई और नियंत्रक को 05.09.2022 को नैटको की सुनवाई करने और 15.11.2022 तक सभी पी.जी.ओ. का निपटान करने का निर्देश दिया गया।
26.08.2022	7वें पी.जी.ओ. के संबंध में 5वीं सुनवाई का नोटिस 07.09.2022 को निर्धारित सुनवाई के लिए जारी किया गया।
02.09.2022	8वीं पी.जी.ओ. डॉ. केतकी एस. दुर्वी द्वारा दायर किया गया।
05.09.2022	नैटको को दूसरी सुनवाई की अनुमति दी गई तथा नियंत्रक द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया।
07.09.2022	7वें पी.जी.ओ. में सुनवाई हुई और नियंत्रक द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया।
21.10.2022 एवं 31.10.2022	8वें पी.जी.ओ. के संबंध में 6ठी सुनवाई का नोटिस 03.11.2022 को निर्धारित सुनवाई के लिए जारी किया गया।

03.11.2022	8वें पी.जी.ओ. में सुनवाई हुई और नियंत्रक द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया - 9वीं पी.जी.ओ. श्रीमती हेमावती आर. द्वारा दायर की गई।
04.11.2022	10वीं पी.जी.ओ. डॉ. कंचन कोहली द्वारा दायर की गई।"

5. जैसा कि पेटेंट की स्वीकृति से पहले की महत्वपूर्ण घटनाओं से स्पष्ट है, सभी **स्वीकृति-पूर्व विरोध** पर सुनवाई 3 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। नियंत्रक ने 25 नवंबर 2022 की नोटिस के अनुसार पेटेंट आवेदन में संशोधन करने के लिए अपीलकर्ता के लिए निर्देश तैयार किए हैं। अपीलकर्ता ने उस निर्देश को स्वीकार कर लिया और 05 दिसंबर 2022 को संशोधित दावे प्रस्तुत किए। नियंत्रक के समक्ष हुई सुनवाई में, अपीलकर्ता दावा में संशोधन करने और दावा को फिर से लिखने के लिए सहमत हो गया और इसके परिणामस्वरूप 14 दिसंबर 2022 को पेटेंट प्रदान किया गया।

6. जिन घटनाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनके क्रम के अलावा, अभिलेख की पूर्णता के लिए हम निम्नलिखित अतिरिक्त तथ्यों पर ध्यान दिए हैं। पी.जी.ओ. की कार्यवाही के समापन में हुई अत्यधिक देरी और बार-बार स्थगन से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने **बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड** से संपर्क किया ताकि

पेटेंट कार्यालय को उसके आवेदन पर शीघ्र विचार करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जा सकें। आई.पी.ए.बी. ने 3 फरवरी 2021 के आदेश के संदर्भ में पेटेंट कार्यालय को सभी आपत्तियों को क्रमिक रूप से लेने और उसका शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद और विशेष रूप से 07 मई 2021 को, नैटको ने एक आवेदन दायर किया जिसमें अपीलकर्ता के विशेषज्ञों से प्रति-परीक्षा करने का अवसर मांगा गया, जिनके शपथपत्रों पर पेटेंट आवेदन के समर्थन में भरोसा किया गया था। नियंत्रक ने उस पर निर्णय लिए बिना पी.जी.ओ. को संरक्षण में लिया और सुनवाई शुरू की जो 13 से 18 मई 2021 के बीच हुई। इसके कारण नैटको ने रि.या.(सि.) 5558/2021 के द्वारा इस न्यायालय का रुख किया, जिसका निपटान 27 मई 2021 को एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित प्रभावी निर्देशों के साथ किया गयाः-

> *"**8**. इसलिए रिट याचिका का निपटान विद्वान अधिवक्ता की सहमति से निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः*
>
> *क) **नियंत्रक को नोवार्टिस द्वारा उद्धृत विशेषज्ञ गवाहों से प्रति-परीक्षा करने के लिए नैटको द्वारा दायर दिनांक 07.05.2021 के आवेदन का शीघ्रता से और प्राथमिकता के साथ आज से दो सप्ताह के भीतर निपटान करने का निर्देश दिया जाता है। यदि नियंत्रक इसे आवश्यक समझता है, इसके उद्देश्य के लिए पक्षकारगण को आगे की सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है।***

<u>ख) यदि उपरोक्त आवेदन पर निर्णय नैटको के खिलाफ लिया जाता है, toतो नैटको को आदेश की सूचना दिए जाने के 10 दिन की अवधि तक नोवार्टिस के पेटेंट आवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं सुनाया जाएगा।</u>

ग) यदि आवेदन पर नैटको के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो मामले को प्रति-परीक्षा के लिए शिड्यूल और तौर-तरीकों के संबंध में पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद प्रति-परीक्षा के लिए तय किया जाएगा। नियंत्रक प्रस्तुतियों को ध्यान में रखें और विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करें।

घ) श्री ग्रोवर द्वारा संदर्भित लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों के संबंध में श्री ग्रोवर द्वारा, मुझे लगता है कि वर्तमान याचिका का किसी अन्य आवेदन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, पेटेंट आवेदन के अंतिम निपटान में तेजी लाने के लिए, पक्षकारगण को इस संबंध में नियंत्रक के समक्ष अपनी दलीलें देने की स्वतंत्रता है, जो उचित आदेश पारित करेंगे। कोई अन्य पेटेंट आवेदन का निपटान करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र हैं इस संबंध में नियंत्रक के समक्ष उनकी प्रस्तुतियाँ, जो पारित होंगी उचित आदेश।

ङ) उपरोक्त आवेदन पर विचार करने और उसका निपटान करने के बाद, नियंत्रक नोवार्टिस द्वारा दायर पेटेंट आवेदन का भी जितनी जल्दी हो सके और व्यवहार्य निपटान करने का प्रयास करेगा।

च) पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता अदालत को आश्वस्त किए कि उनके मुवक्किल उपरोक्त निर्देश के शीघ्र कार्यान्वयन में और नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही के निपटान में सहयोग करेंगे।"

7. इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि उस समय जब उपरोक्त रिट याचिका का निपटान किया गया, उस समय नियंत्रक ने पेटेंट आवेदन या दाखिल किए गए पी.जी.ओ. पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया था। 16 सितंबर 2021 को

नियंत्रक ने प्रति-परीक्षा के लिए नैटको के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके कारण नैटको ने इस न्यायालय में रि.या.(सि.)- बौ.सं.अनु. 91/2021 के द्वारा पुनः याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका अंततः 12 जुलाई 2022 को निपटान किया गया। पी.जी.ओ. प्रक्रिया को व्यवस्थित और शीघ्रता से समाप्त करने की अनिवार्यता पर जोर देते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

> "**16**. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वर्तमान रिट में घटनाओं का क्रम, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पेटेंट आवेदन और स्वीकृति-पूर्व विरोध की कार्यवाही में बहुत अधिक देरी हुई है। देरी के लिए किसी एक कारक या कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय की राय में दोनों पक्षकार दोषी हैं। एक ओर, आवेदनकर्ता 2016 से 2021 के बीच पांच वर्षों की अवधि में समय-समय पर अपने दावों में संशोधन करना जारी रखा है। दूसरी ओर, जाँच प्रक्रिया में देरी होने के कारण कई पक्षकारगण द्वारा पेटेंट आवेदन अनेकों विरोधों के लिए सुगम्य बना रहा। इस न्यायालय की राय में, स्वीकृति-पूर्व विरोधों में कार्यवाही व्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए। स्वीकृति-पूर्व विरोध दाखिल करने के लिए कोई समय-सीमा न होने और एक स्वीकृति-पूर्व विरोध के न्यायनिर्णयन में देरी होने के कारण बार-बार स्वीकृति-पूर्व विरोध दाखिल करने के परिणामस्वरूप आमतौर पर आगे और स्वीकृति-पूर्व विरोध दाखिल किए जाते हैं जिससे पेटेंट स्वीकृत करने में और देरी होती है। पेटेंट आवेदन के विरोधियों द्वारा स्वीकृति-पूर्व विरोधों के भंवर में फंसने की संभावना है। आवेदनकर्ता जो प्रत्येक आपत्ति के साथ-साथ समझदार होता जाता है, के द्वारा संशोधन, के कारण आगे और देरी होता है।
>
> **17.** यह विधि में सुस्थापित स्थिति है, जैसा कि ***मैसर्स यू.सी.बी. फार्चिम एस.ए. बनाम मैसर्स सिप्ला लिमिटेड [रि.या.(सि.) संख्या 332/2010 आदेश दिनांक 08 फरवरी, 2010***] में अभिनिर्धारित किया गया है कि, स्वीकृति-पूर्व विरोध कार्यवाही

पेटेंट आवेदन की जांच में सहायता के लिए है। इस निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> ***"स्वीकृति-पूर्व और स्वीकृति-पश्चात विरोध के बीच में अंतर***
>
> *13. प्रथमत: स्वीकृति-पूर्व विरोध और स्वीकृति-पश्चात् विरोध के बीच अंतर निकाला जाना चाहिए। जबकि पेटेंट अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध पेटेंट आवेदन के प्रकाशन के बाद किसी भी समय परन्तु पेटेंट प्रदान करने से पहले दायर किया जा सकता है, लेकिन पेटेंट अधिनियम की धारा 25(2) के तहत स्वीकृति-पश्चात विरोध पेटेंट के प्रदान करने के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले दायर किया जाना चाहिए। 2005 के संशोधन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वीकृति-पूर्व विरोध 'किसी भी व्यक्ति' द्वारा दायर किया जा सकता है, जबकि धारा 25(2) के तहत स्वीकृति-पश्चात विरोध केवल 'किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दायर किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पेटेंट अधिनियम की धारा 64 के निबंधनानुसार पेटेंट को प्रतिसंहरण करने का आवेदन भी केवल किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही द्वारा दायर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, स्वीकृति-पश्चात विरोध और प्रतिसंहरण करने लिए आवेदन ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है जिसे "हितबद्ध" व्यक्ति नहीं दिखाया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वीकृति-पूर्व के चरण में अभ्यावेदन पर नियंत्रक स्वयं विचार करता है। पेटेंट नियमों के नियम 55 में नियंत्रक को "आवेदनकर्ता द्वारा दायर किए गए बयान और साक्ष्य" पर विचार करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद या तो पेटेंट देने से इनकार कर दिया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए संपूर्ण विनिर्देश में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। बेशक, उस स्थिति में आवेदनकर्ता को पेटेंट प्रदान करने के लिए नोटिस दिया जाएगा जो अपना जवाब और साक्ष्य दाखिल कर सकता है। **यह न्यायालय इस तर्क में गुणागुण पाता है कि स्वीकृति-पूर्व विरोध वास्तव में नियंत्रक द्वारा पेटेंट आवेदन की "जांच में सहायता के लिए" है।** हालाँकि, जहाँ तक स्वीकृति-बाद विरोध का प्रश्न है, प्रक्रिया एक अलग पहलू है। धारा 25 (3) के निबंधनानुसार, नियंत्रक को ऐसे अधिकारियों से*

मिलकर एक विरोध बोर्ड का गठन करना होता है, जैसा कि वह निर्धारित कर सकता है और ऐसे विरोध बोर्ड को विरोध की सूचना अन्य दस्तावेजों के साथ उसकी जांच और सिफारिशों के लिए भेजता है। विरोध बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, नियंत्रक पेटेंटधारक और प्रतिद्वंद्वी को सुनवाई का अवसर देता है। इसके बाद नियंत्रक पेटेंट को बनाए रखने, संशोधित करने या प्रतिसंहरण करने का निर्णय लेता है। स्वीकृति-पूर्व और स्वीकृति-पश्चात विरोध के बीच चौथा बड़ा अंतर यह है कि धारा 117 क के निबंधनानुसार पेटेंट अधिनियम की धारा 25(4) के तहत स्वीकृति-पश्चात विरोध में नियंत्रक के आदेश के खिलाफ आई.पी.ए.बी. में अपील पोषणीय है, लेकिन पेटेंट अधिनियम की धारा 25(1) के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है।

18. अधिनियम की धारा 25(1) में प्रयुक्त भाषा अधिनियम की धारा 25(2) में प्रयुक्त भाषा के विपरीत है। स्वीकृति-पूर्व विरोध "किसी व्यक्ति" के द्वारा लिखित रूप में 'विरोध के रूप में अभ्यावेदन' है। जबकि, अधिनियम की धारा 25(2) "किसी हितबद्ध व्यक्ति" द्वारा 'विरोध को नोटिस है'। अधिनियम की धारा 25(1) के तहत अभ्यावेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं करती है। हालांकि, चूंकि नियमावली के नियम 55(4) में आवेदनकर्ता की इच्छा होने पर ही जवाबी कथन और साक्ष्य दाखिल करने पर विचार किया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि कार्यवाही न्यायनिर्णायक है क्योंकि यह प्रकृति में प्रतिकूल है।"

8. तथापि, जहां तक पेटेंट आवेदन में संशोधन का संबंध है और जाँच प्रक्रिया में विरोधी के अधिकार, विद्वान न्यायाधीश महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार टिप्पणी की है:-

"**19**. हालाँकि, स्वीकृति-पूर्व विरोध में कार्यवाही और पेटेंट आवेदन की एक साथ जांच के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति नहीं भी हो सकती है जहाँ स्वीकृति-पूर्व विरोध को जाँच प्रक्रिया में होने वाले घटनाक्रम के बारे में अंधेरे में रखा गया हो। उदाहरण के लिए, जब आवेदनकर्ता द्वारा संशोधन दाखिल किए जाते हैं, तो संशोधन को अनुमति देने या न देने पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि नियंत्रक द्वारा विचार किए जा रहे दावों के बारे में पारदर्शिता और स्पष्टता हो। संशोधनों के संबंध में एक छोटा और संक्षिप्त आदेश पारित किया जाना चाहिए जिसे पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि संबंधित सभी लोग संशोधन पर निर्णय जान सकें। किसी भी स्थिति में, यदि स्वीकृति-पूर्व विरोध के लंबित रहने के दौरान कोई संशोधन किया जा रहा है, तो संशोधन पर निर्णय स्वीकृति-पूर्व विरोधी को भी भेजा जाना चाहिए। कभी-कभी सुनवाई के दौरान भी संशोधन किए जाते हैं, जब आवेदनकर्ता का पेटेंट एजेंट नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित होता है। ऐसे परिदृश्य में, नियंत्रक को उक्त संशोधनों की जांच करनी चाहिए और आवेदनकर्ता को निर्णय से अवगत कराएँ, और यदि विरोधी उपस्थित है, तो उसे भी"।

9. रिट याचिका को अंततः निम्नलिखित शर्तों के तहत निपटान किया गया: -

"**21**. आवेदनकर्ता ने इस आधार पर विशेषज्ञ के शपथपत्र को दाखिल करने को उचित ठहराया है कि विरोधी ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए थे। चाहे जैसी भी स्थिति हो तथ्य यह है कि आवेदनकर्ता द्वारा दावों के संशोधित सेट के साथ 6 जून, 2021 को तीन मूल शपथपत्र दायर किया गया है। पेटेंट कार्यालय द्वारा संशोधन पर निर्णय अभी जारी किया जाना है। इस प्रकार, न्यायालय की राय में, आवेदनकर्ता के साक्ष्य का खंडन करने के लिए विरोधी को एक अवसर दिया जाना चाहिए। विरोधी- नैटको ने आवेदनकर्ता के गवाहों- डॉ. माइकल मोटो, डॉ. एलन एस. मायर्सन और डॉ. गौरी बिल्ला की प्रतिपरीक्षा की मांग करने वाली अपनी प्रार्थना पर जोर न देने पर सहमति व्यक्त की है, यदि उसे खंडन में अपने

विशेषज्ञों के शपथपत्र दाखिल करने का अवसर दिया जाय। उक्त व्यवस्था पर आवेदनकर्ता द्वारा आपत्ति नहीं की गई। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, और आवेदन और स्वीकृति-पूर्व विरोध पर निर्णय में तेजी लाने के लिए, निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

i) आवेदनकर्ता द्वारा दायर तीन विशेषज्ञ शपथपत्रों के खंडन में विरोधी को चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपने विशेषज्ञों के शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति है।

(ii) यदि विरोधी द्वारा उक्त विशेषज्ञ शपथपत्रों के साथ कोई दस्तावेज दाखिल किया जाता है, तो आवेदनकर्ता द्वारा कोई और दस्तावेज दाखिल किए बिना, उसके बाद एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियों के द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

iii) आवेदनकर्ता द्वारा अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के बाद दो सप्ताह के भीतर विरोधी पक्षकार को भी अपनी अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की अनुमति है। दोनों पक्षकार द्वारा दाखिल लिखित प्रस्तुतियों स्वीकृति-पूर्व विरोध में अंतिम निर्णय के लिए नियंत्रक द्वारा विचार किया जाएगा;

(iv) पक्षकारगण 12 सितंबर 2022 को अपराह्न 2:30 बजे पेटेंट कार्यालय में उपस्थित होंगे। आवेदनकर्ता और विरोधी दोनों को अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक-एक घंटे का समय दिया जाएगा।

v) आज स्थिति यह है कि आवेदनकर्ता द्वारा दाखिल किए गए किसी भी संशोधन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस प्रकार, स्वीकृति-पूर्व विरोध में मौखिक सुनवाई शुरू होने से पहले, नियंत्रक दोनों पक्षकारगण को मौखिक रूप से सूचित करेगा कि कौन-से संशोधनों को अनुमति दी जा रही है और कौन-से स्वीकृति के लिए विचार किए जा रहे दावे के setसेट अंतिम होंगे।

vi) उक्त तिथि पर, प्रत्येक पक्षकार को एक-एक घंटे तक सुनने के बाद, आवेदन/स्वीकृति-पूर्व विरोध पर अंतिम निर्णय पेटेंट कार्यालय द्वारा 15 नवंबर, 2022 को या उससे पहले दिया जाएगा। अंतिम निर्णय को सभी पक्षकारगण को

संसूचित किया जाएगा और पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा;

vii) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अन्य विरोधी की कार्यवाही की सुनवाई जो पहले ही निष्कर्ष पर पहुँच चुका है, उसे इस न्यायालय द्वारा पुनः नहीं खोली जा रही है।

10. समान महत्व की केवियट जो उस आदेश के पैरा 22 में उल्लिखित की गई है और उसी को नीचे उद्धृत किया गया है: -

> "**22**. वर्तमान आदेश में संशोधनों के संबंध में की गई टिप्पणियाँ अधिनियम की धारा 15 के तहत नियंत्रक द्वारा निर्देशित संशोधनों पर लागू नहीं होंगी।"

ग. संशोधन- पूर्व और पश्चात क़ानूनी प्रावधान

11. विरोधी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, जिन्हें संबोधित किया गया था और उन्हें संदर्भ प्रदान करने के उद्देश्य से, हम कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना उचित समझते हैं, जिसका उठाए गए मुद्दों पर असर होगा। स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, हम अधिनियम की धारा 25, 57 और 117क के प्रावधानों को उद्धृत करते हैं क्योंकि उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं: -

<u>पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 25</u>

धारा 25 जैसा कि अधिनियमित	**2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 25**	**2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 25**	**धारा 25 जैसी यह अभी है**
25. पेटेंट देने का विरोध. – (1) इस अधिनियम के तहत किसी भी समय पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति के विज्ञापन की तिथि से चार महीने के भीतर (या नियंत्रक उपरोक्त चार मास की समाप्ति से पूर्व विहित रीति से उसे किए गए आवेदन पर कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति	**25. पेटेंट देने का विरोध –** (1) इस अधिनियम के तहत किसी भी समय पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति के विज्ञापन की तिथि से चार महीने के भीतर (या नियंत्रक उपरोक्त चार महिना की समाप्ति से पूर्व विहित रीति से उसे किए गए आवेदन पर कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर पेटेंट प्रदान करने के विरोध की सूचना नियंत्रक को दे सकेगा, अर्थात्:	**25. पेटेंट का विरोध. –** (1) जहां पेटेंट के लिए आवेदन प्रकाशित किया गया है लेकिन पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है, वहां कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में नियंत्रक के समक्ष पेटेंट प्रदान किए जाने के विरुद्ध निम्न आधार पर विरोध प्रस्तुत कर सकता है– *(क)* कि पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता या वह व्यक्ति जिसके अधीन या जिसके	**25. पेटेंट का विरोध. –** (1) जहां पेटेंट के लिए आवेदन प्रकाशित किया गया है लेकिन पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है, वहां कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में नियंत्रक के समक्ष पेटेंट प्रदान किए जाने के विरुद्ध निम्न आधार पर विरोध प्रस्तुत कर सकता है– *(क)* कि पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता या वह व्यक्ति जिसके

निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर पेटेंट प्रदान करने के विरोध की सूचना नियंत्रक को दे सकेगा, अर्थात्: - (क) कि पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता या वह व्यक्ति जिसके अधीन या जिसके द्वारा वह दावा करता है, आविष्कार या उसका कोई भाग गलत तरीके से उससे या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया है जिसके अधीन या जिसके द्वारा वह दावा करता है; (ख)	- (क) कि पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता या वह व्यक्ति जिसके अधीन या जिसके द्वारा वह दावा करता है, आविष्कार या उसका कोई भाग गलत तरीके से उससे या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया है जिसके अधीन या जिसके द्वारा वह दावा करता है; (ख) कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में अब तक का दावा किया गया आविष्कार दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया है; (i) 1 जनवरी 1912 को या उसके बाद भारत में किए गए पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर किसी भी विनिर्देश में;	द्वारा वह दावा करता है, आविष्कार या उसका कोई भाग गलत तरीके से उससे या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया है जिसके अधीन या जिसके द्वारा वह दावा करता है; *(ख)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में अब तक का दावा किया गया आविष्कार दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया है– *(i)* 1 जनवरी 1912 को या उसके बाद भारत में किए गए पेटेंट के लिए	अधीन या जिसके द्वारा वह दावा करता है, आविष्कार या उसका कोई भाग गलत तरीके से उससे या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया है जिसके अधीन या जिसके द्वारा वह दावा करता है; *(ख)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में अब तक का दावा किया गया आविष्कार दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया है– *(i)* भारत में पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में या उसके

कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में अब तक का दावा किया गया आविष्कार दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया है; (i) 1 जनवरी 1912 को या उसके बाद भारत में किए गए पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर किसी भी विनिर्देश में; (ii) भारत में या अन्यत्र, किसी अन्य दस्तावेज में: बशर्ते कि उप-खण्ड (ii) में	(ii) भारत में या अन्यत्र, किसी अन्य दस्तावेज में: बशर्ते कि उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट आधार उपलब्ध नहीं होगा, जहां ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान विरचित नहीं करता है; (ग) कि आविष्कार जहां तक आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि पर या उसके बाद प्रकाशित और भारत में पेटेंट के लिए एक	आवेदन के अनुसरण में दायर किसी भी विनिर्देश में; या *(ii)* भारत में या अन्यत्र, किसी अन्य दस्तावेज में: बशर्ते कि उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट आधार उपलब्ध नहीं होगा, जहां ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान विरचित नहीं करता है; *(ग)* कि आविष्कार जहां तक आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि पर	बाद दायर किए गए किसी भी विनिर्देश में 1 जनवरी 1912; या *(ii)* भारत में या अन्यत्र, किसी अन्य दस्तावेज में: बशर्ते कि उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट आधार उपलब्ध नहीं होगा, जहां ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान विरचित नहीं करता है; *(ग)* कि आविष्कार जहां तक आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि पर

आधार उपलब्ध नहीं होगा, जहां ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान विरचित नहीं करता है; (ग) कि आविष्कार जहां तक आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि पर या उसके बाद प्रकाशित और भारत में पेटेंट के लिए एक आवेदन के अनुसरण में दायर किए गए पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है, दावा किया जा रहा है जिसमें प्राथमिकता तिथि आवेदनकर्ता के दावे की तिथि से पहले	आवेदन के अनुसरण में दायर किए गए पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है, दावा किया जा रहा है जिसमें प्राथमिकता तिथि आवेदनकर्ता के दावे की तिथि से पहले की है; (घ) जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था। स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रक्रिया से संबंधित आविष्कार जिसके लिए पेटेंट का	या उसके बाद प्रकाशित और भारत में पेटेंट के लिए एक आवेदन के अनुसरण में दायर किए गए पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है, दावा किया जा रहा है जिसमें प्राथमिकता तिथि आवेदनकर्ता के दावे की तिथि से पहले की है; *(घ)* जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था।	या उसके बाद प्रकाशित और भारत में पेटेंट के लिए एक आवेदन के अनुसरण में दायर किए गए पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है, दावा किया जा रहा है जिसमें प्राथमिकता तिथि आवेदनकर्ता के दावे की तिथि से पहले की है; *(घ)* जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था।

की है; (घ) जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था। स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रक्रिया से संबंधित आविष्कार जिसके लिए पेटेंट का दावा किया गया है, उस दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया माना जाएगा यदि उस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कोई उत्पाद उस तिथि से पहले ही भारत में आयात किया गया	दावा किया गया है, उस दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया माना जाएगा यदि उस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कोई उत्पाद उस तिथि से पहले ही भारत में आयात किया गया हो, सिवाय इसके कि ऐसा आयात केवल उचित परीक्षण या प्रयोग के उद्देश्य से किया गया हो; (ङ) कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में जहां तक दावा किया गया है, आविष्कार स्पष्ट है और इसमें खंड (ख) में उल्लिखित प्रकाशित मामले को ध्यान में रखते हुए या आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में	स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रक्रिया से संबंधित आविष्कार जिसके लिए पेटेंट का दावा किया गया है, उस दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया माना जाएगा यदि उस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कोई उत्पाद उस तिथि से पहले ही भारत में आयात किया गया हो, सिवाय इसके कि ऐसा आयात केवल उचित परीक्षण या प्रयोग के उद्देश्य से किया गया हो; *(ङ)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में जहां तक दावा किया गया है, आविष्कार स्पष्ट है और इसमें खंड (ख) में उल्लिखित प्रकाशित	स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रक्रिया से संबंधित आविष्कार जिसके लिए पेटेंट का दावा किया गया है, उस दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया माना जाएगा यदि उस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कोई उत्पाद उस तिथि से पहले ही भारत में आयात किया गया हो, सिवाय इसके कि ऐसा आयात केवल उचित परीक्षण या प्रयोग के उद्देश्य से किया गया हो; *(ङ)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में जहां तक दावा किया गया है, आविष्कार स्पष्ट है और इसमें खंड (ख) में उल्लिखित प्रकाशित

हो, सिवाय इसके कि ऐसा आयात केवल उचित परीक्षण या प्रयोग के उद्देश्य से किया गया हो; (ङ) कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में जहां तक दावा किया गया है, आविष्कार स्पष्ट है और इसमें खंड (ख) में उल्लिखित प्रकाशित मामले को ध्यान में रखते हुए या आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में क्या उपयोग किया गया था, इसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है; (च) कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में कोई आविष्कार नहीं है, या इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य	क्या उपयोग किया गया था, इसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है; (च) कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में कोई आविष्कार नहीं है, या इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं है; (छ) कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार या उस विधि का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना है; (ज) आवेदनकर्ता धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में विफल रहा है या उसने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जो किसी तात्विक विशिष्टि में उसके जानकारी में झूठी थी;	मामले को ध्यान में रखते हुए या आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में क्या उपयोग किया गया था, इसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है; *(च)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में कोई आविष्कार नहीं है, या इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं है; *(छ)* कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार या उस विधि का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना है; *(ज)* आवेदनकर्ता धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में विफल रहा	मामले को ध्यान में रखते हुए या आवेदनकर्ता के दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में क्या उपयोग किया गया था, इसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है; *(च)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में कोई आविष्कार नहीं है, या इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं है; *(छ)* कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार या उस विधि का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना है; *(ज)* आवेदनकर्ता धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में विफल रहा

नहीं है; (छ) कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार या उस विधि का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना है; (ज) आवेदनकर्ता धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में विफल रहा है या उसने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जो किसी तात्विक विशिष्टि में उसके जानकारी में झूठी थी; (झ) कि कन्वेंशन आवेदन के मामले में, आवेदनकर्ता या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे वह स्वामित्व प्राप्त करता है, अभिसमय देश में	(झ) कि कन्वेंशन आवेदन के मामले में, आवेदनकर्ता या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे वह स्वामित्व प्राप्त करता है, अभिसमय देश में किए गए आविष्कार के लिए संरक्षण हेतु प्रथम आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर आवेदन नहीं किया गया था, किन्तु किसी अन्य आधार पर नहीं। *(ञ)* कि संपूर्ण विनिर्देश आविष्कार के लिए उपयोग की जाने वाली जैविक सामग्री के स्रोत या भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा नहीं करता है या गलत तरीके से उल्लेख करता है; (ट) कि जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया आविष्कार, भारत में या अन्यत्र किसी स्थानीय या देशी	है या उसने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जो किसी तात्विक विशिष्टि में उसके जानकारी में झूठी थी; *(झ)* कि कन्वेंशन आवेदन के मामले में, आवेदनकर्ता या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे वह स्वामित्व प्राप्त करता है, अभिसमय देश में किए गए आविष्कार के लिए संरक्षण हेतु प्रथम आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर आवेदन नहीं किया गया था; *(ञ)* कि संपूर्ण विनिर्देश आविष्कार के लिए उपयोग की जाने वाली जैविक सामग्री के स्रोत या भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा नहीं करता है या गलत तरीके से उल्लेख करता है; *(ट)* जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया आविष्कार भारत	है या उसने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जो किसी तात्विक विशिष्टि में उसके जानकारी में झूठी थी; *(झ)* कि कन्वेंशन आवेदन के मामले में, आवेदनकर्ता या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे वह स्वामित्व प्राप्त करता है, अभिसमय देश में किए गए आविष्कार के लिए संरक्षण हेतु प्रथम आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर आवेदन नहीं किया गया था; *(ञ)* कि संपूर्ण विनिर्देश आविष्कार के लिए उपयोग की जाने वाली जैविक सामग्री के स्रोत या भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा नहीं करता है या गलत तरीके से उल्लेख करता है; *(ट)* जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया आविष्कार भारत

किए गए आविष्कार के लिए संरक्षण हेतु प्रथम आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर आवेदन नहीं किया गया था, किन्तु किसी अन्य आधार पर नहीं। (2) जहां विरोध की ऐसी कोई सूचना विधिवत दी गई है, नियंत्रक आवेदनकर्ता को सूचित करेगा और मामले पर निर्णय लेने से पहले आवेदनकर्ता और विरोधी को सुनवाई का अवसर देगा। (3) उपधारा (1) के खंड (ङ) में उल्लिखित आधार पर पेटेंट देने से इनकार नहीं किया	समुदाय में मौखिक या अन्यथा उपलब्ध ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानित है। (2) जहां विरोध की ऐसी कोई सूचना विधिवत दी गई है, नियंत्रक आवेदनकर्ता को सूचित करेगा और यदि चाहे तो मामले पर निर्णय लेने से पहले आवेदनकर्ता और विरोधी को सुनवाई का अवसर दे सकता है। (3) उपधारा (1) के खंड (ङ) में उल्लिखित आधार पर पेटेंट देने से इनकार नहीं किया जाएगा यदि उस खंड में उल्लिखित आवेदन के अनुसरण में कोई पेटेंट नहीं दिया गया है, और उस उपधारा के खंड (घ) या खंड (ङ) के तहत किसी भी जांच के प्रयोजन	में या अन्यत्र किसी स्थानीय या देशी समुदाय में उपलब्ध ज्ञान मौखिक या अन्यथा को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानित है, किन्तु किसी अन्य आधार पर नहीं है और नियंत्रक को, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाता है, तो उसे सुनेगा और ऐसे अभ्यावेदन का ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर निपटान करेगा, जैसा कि विहित की जा सकती है। (2) पेटेंट स्वीकृति के बाद किसी भी समय, लेकिन पेटेंट स्वीकृति के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, कोई हितबद्ध व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निर्धारित तरीके से	में या अन्यत्र किसी स्थानीय या देशी समुदाय में उपलब्ध ज्ञान मौखिक या अन्यथा को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानित है, किन्तु किसी अन्य आधार पर नहीं है और नियंत्रक को, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाता है, तो उसे सुनेगा और ऐसे अभ्यावेदन का ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर निपटान करेगा, जैसा कि विहित की जा सकती है। (2) पेटेंट स्वीकृति के बाद किसी भी समय, लेकिन पेटेंट स्वीकृति के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, कोई हितबद्ध व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निर्धारित तरीके से

जाएगा यदि उस खंड में उल्लिखित आवेदन के अनुसरण में कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है; और उस उपधारा के खंड (घ) या खंड (ङ) के तहत किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी गुप्त उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।	के लिए, किसी भी व्यक्तिगत दस्तावेज या गुप्त परीक्षण या गुप्त उपयोग को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।	नियंत्रक को विरोध की सूचना दे सकता है, अर्थात्:– *(क)* कि पेटेंटधारी या वह व्यक्ति जिसके तहत या जिसके द्वारा वह दावा करता है, ने आविष्कार या उसके किसी भी हिस्से को उससे या किसी ऐसे व्यक्ति से गलत तरीके से प्राप्त किया है जिसके तहत या जिसके द्वारा वह दावा करता है; *(ख)* जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया है– *(i)* भारत में 1 जनवरी, 1912 को या उसके पश्चात पेटेंट के लिए किए गए आवेदन के अनुसरण में दायर किसी विनिर्देश में;	नियंत्रक को विरोध की सूचना दे सकता है, अर्थात्:– *(क)* कि पेटेंटधारी या वह व्यक्ति जिसके तहत या जिसके द्वारा वह दावा करता है, ने आविष्कार या उसके किसी भी हिस्से को उससे या किसी ऐसे व्यक्ति से गलत तरीके से प्राप्त किया है जिसके तहत या जिसके द्वारा वह दावा करता है; *(ख)* जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया है- *(i)* भारत में 1 जनवरी, 1912 को या उसके पश्चात पेटेंट के लिए किए गए आवेदन के अनुसरण में दायर किसी विनिर्देश में; या *(ii)* भारत में या अन्यत्र,

		या *(ii)* भारत में या अन्यत्र, किसी अन्य दस्तावेज में: बशर्ते कि उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट आधार उपलब्ध नहीं होगा, जहां ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के आधार पर आविष्कार के पूर्वानुमान का विरचन नहीं करता है; *(ग)* कि आविष्कार, जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है, पेटेंटधारक के दावे की प्राथमिकता तिथि को या उसके पश्चात प्रकाशित पूर्ण विनिर्देश के दावे में दावा किया गया है और भारत में पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर किया गया है, जो ऐसा दावा है जिसकी प्राथमिकता तिथि पेटेंटधारक के दावे की	किसी अन्य दस्तावेज में: बशर्ते कि उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट आधार उपलब्ध नहीं होगा, जहां ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के आधार पर आविष्कार के पूर्वानुमान का विरचन नहीं करता है; *(ग)* कि आविष्कार, जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है, पेटेंटधारक के दावे की प्राथमिकता तिथि को या उसके पश्चात प्रकाशित पूर्ण विनिर्देश के दावे में दावा किया गया है और भारत में पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर किया गया है, जो ऐसा दावा है जिसकी प्राथमिकता तिथि

		प्राथमिकता तिथि से पहले की है; *(घ)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार उस प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था। स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रक्रिया से संबंधित आविष्कार जिसके लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया माना जाएगा यदि उस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया उत्पाद उस तारीख से पहले ही भारत में आयात किया जा चुका है, सिवाय इसके	पेटेंटधारक के दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले की है; *(घ)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार उस प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था। स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रक्रिया से संबंधित आविष्कार जिसके लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया माना जाएगा यदि उस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया उत्पाद उस तारीख से पहले ही भारत में

		कि ऐसा आयात केवल उचित परीक्षण या प्रयोग के उद्देश्य से किया गया हो; *(ङ)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से खंड (ख) में उल्लिखित प्रकाशित मामले को ध्यान में रखते हुए या दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में उपयोग किए जाने वाले चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है; *(च)* पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में कोई आविष्कार नहीं है, या इस अधिनियम के अधीन पेटेंट योग्य नहीं है; *(छ)* कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार या उस विधि का पर्याप्त और	आयात किया जा चुका है, सिवाय इसके कि ऐसा आयात केवल उचित परीक्षण या प्रयोग के उद्देश्य से किया गया हो; *(ङ)* कि पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया आविष्कार स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से खंड (ख) में उल्लिखित प्रकाशित मामले को ध्यान में रखते हुए या दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में उपयोग किए जाने वाले चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है; *(च)* पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में कोई आविष्कार नहीं है, या इस अधिनियम के अधीन पेटेंट योग्य नहीं है; *(छ)* कि पूर्ण विनिर्देश

		स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना है; *(ज)* पेटेंटधारक धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में विफल रहा है या उसने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जो किसी तात्विक विशिष्टि में उसके जानकारी के अनुसार झूठी थी; *(झ)* कि कन्वेंशन आवेदन पर प्रदान किए गए पेटेंट के मामले में, पेटेंट के लिए आवेदन, पेटेंटधारक या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे वह स्वामित्व प्राप्त किया है, अभिसमय देश में या भारत में किए गए आविष्कार के संरक्षण के लिए प्रथम आवेदन की तिथि से बारह महीने के भीतर नहीं किया गया था; *(ञ)* कि पूर्ण विनिर्देश	आविष्कार या उस विधि का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना है; *(ज)* पेटेंटधारक धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में विफल रहा है या उसने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जो किसी तात्विक विशिष्टि में उसके जानकारी के अनुसार झूठी थी; *(झ)* कि कन्वेंशन आवेदन पर प्रदान किए गए पेटेंट के मामले में, पेटेंट के लिए आवेदन, पेटेंटधारक या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे वह स्वामित्व प्राप्त किया है, अभिसमय देश में या भारत में किए गए आविष्कार के संरक्षण के लिए प्रथम आवेदन की तिथि से बारह महीने के भीतर नहीं किया

		आविष्कार के लिए प्रयुक्त जैविक सामग्री के स्रोत और भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा नहीं करता है या गलत उल्लेख करता है; *(ट)* कि जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया आविष्कार, भारत में या अन्यत्र किसी स्थानीय या देशी समुदाय में मौखिक या अन्यथा उपलब्ध ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानित था, किन्तु किसी अन्य आधार पर नहीं। (3)*(क)* जहां विरोध की ऐसी कोई सूचना उपधारा (2) के तहत विधिवत् दी जाती है, वहाँ नियंत्रक पेटेंटधारक को सूचित करेगा। *(ख)* विरोध की ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नियंत्रक लिखित	गया था; *(ञ)* कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार के लिए प्रयुक्त जैविक सामग्री के स्रोत और भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा नहीं करता है या गलत उल्लेख करता है; *(ट)* कि जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया आविष्कार, भारत में या अन्यत्र किसी स्थानीय या देशी समुदाय में मौखिक या अन्यथा उपलब्ध ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानित था, किन्तु किसी अन्य आधार पर नहीं। (3)*(क)* जहां विरोध की ऐसी कोई सूचना उपधारा (2) के तहत विधिवत् दी जाती है, वहाँ नियंत्रक पेटेंटधारक को सूचित करेगा। *(ख)* विरोध की ऐसी

		आदेश द्वारा विरोधी बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करेगा जिसमें ऐसे अधिकारी शामिल होंगे जिसे वह निर्धारित करेगा और विरोध की ऐसी सूचना को दस्तावेजों सहित उस बोर्ड को जांच करने तथा नियंत्रक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए भेजेगा। *(ग)* खंड (ख) के अधीन गठित प्रत्येक विरोधी बोर्ड, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगा। (4) विरोधी बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर और पेटेंटधारक और विरोधी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, नियंत्रक पेटेंट को बनाए रखने या संशोधित करने या रद्द करने का आदेश देगा। (5) उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ङ)	सूचना प्राप्त होने पर नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा विरोधी बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करेगा जिसमें ऐसे अधिकारी शामिल होंगे जिसे वह निर्धारित करेगा और विरोध की ऐसी सूचना को दस्तावेजों सहित उस बोर्ड को जांच करने तथा नियंत्रक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए भेजेगा। (ग) खंड (ख) के अधीन गठित प्रत्येक विरोधीबोर्ड, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगा। (4) विरोधी बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर और पेटेंटधारक और विरोधी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, नियंत्रक पेटेंट को बनाए रखने या संशोधित करने या रद्द करने का आदेश देगा।

		में उल्लिखित आधार के संबंध में उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करते समय नियंत्रक किसी व्यक्तिगत दस्तावेज या गुप्त परीक्षण या गुप्त उपयोग को ध्यान में नहीं रखेगा। (6) यदि नियंत्रक उप-धारा (4) के तहत आदेश जारी करता है कि पेटेंट को विनिर्देश या किसी अन्य दस्तावेज़ में संशोधन के अधीन बनाए रखा जाएगा, तो पेटेंट तदनुसार संशोधित माना जाएगा।	(5) उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ङ) में उल्लिखित आधार के संबंध में उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करते समय नियंत्रक किसी व्यक्तिगत दस्तावेज या गुप्त परीक्षण या गुप्त उपयोग को ध्यान में नहीं रखेगा। (6) यदि नियंत्रक उप-धारा (4) के तहत आदेश जारी करता है कि पेटेंट को विनिर्देश या किसी अन्य दस्तावेज़ में संशोधन के अधीन बनाए रखा जाएगा, तो पेटेंट तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

<u>पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 57</u>

धारा 57 जैसा कि पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा अधिनियमित किया गया है	**धारा 57, 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है**	**धारा 57, 2005 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है**
57. नियंत्रक के समक्ष आवेदन और विनिर्देश में संशोधन-	**57. नियंत्रक के समक्ष आवेदन और विनिर्देश [<u>या उससे</u>**	**57. नियंत्रक के समक्ष आवेदन और विनिर्देश**

(1) धारा 59 के प्रावधानों के अधीन, नियंत्रक, किसी पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता या पेटेंटधारी द्वारा इस धारा के तहत विहित रीति से किए गए आवेदन पर, पेटेंट के लिए आवेदन या पूर्ण विनिर्देश को ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई है, संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जिसे नियंत्रक उचित समझता है: बशर्ते कि नियंत्रक इस धारा के अधीन किसी पेटेंट या विनिर्देश के लिए संशोधित करने के लिए आवेदन को स्वीकृत करने या अस्वीकार करने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं करेगा, जबकि पेटेंट के उल्लंघन के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए उच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है, चाहे वह वाद या कार्यवाही संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले या बाद में शुरू हुई हो। (2) इस धारा के तहत किसी पेटेंट या विनिर्देश के लिए	**<u>संबंधित किसी दस्तावेज़</u>] में संशोधन।** (1) धारा 59 के प्रावधानों के अधीन, नियंत्रक, किसी पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता या पेटेंटधारी द्वारा इस धारा के तहत विहित रीति से किए गए आवेदन पर, पेटेंट के लिए आवेदन या पूर्ण विनिर्देश [<u>या उससे संबंधित कोई दस्तावेज</u>] को ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जिसे नियंत्रक उचित समझे: बशर्ते कि नियंत्रक इस धारा के अधीन किसी पेटेंट या विनिर्देश [<u>या उससे संबंधित कोई दस्तावेज</u>] के लिए संशोधित करने के लिए आवेदन को स्वीकृत करने या अस्वीकार करने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं करेगा, जबकि पेटेंट के उल्लंघन के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए उच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है, चाहे वह	**<u>[या उससे संबंधित कोई दस्तावेज़</u>] में संशोधन।** (1) धारा 59 के प्रावधानों के अधीन, नियंत्रक, किसी पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता या पेटेंटधारी द्वारा इस धारा के तहत विहित रीति से किए गए आवेदन पर, पेटेंट के लिए आवेदन या पूर्ण विनिर्देश [<u>या उससे संबंधित किसी दस्तावेज</u>] को ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जिसे नियंत्रक उचित समझे: बशर्ते कि नियंत्रक इस धारा के अधीन किसी पेटेंट या विनिर्देश [<u>या उससे संबंधित कोई दस्तावेज</u>] के लिए संशोधित करने के लिए आवेदन को स्वीकृत करने या अस्वीकार करने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं करेगा, जबकि पेटेंट

आवेदन में संशोधन की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन में प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति का कथन किया जाएगा, और उन कारणों का पूरा विवरण दिया जाएगा जिसके लिए आवेदन किया गया है। (3) पूर्ण विनिर्देश और प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति की <u>स्वीकृति के बाद इस धारा के तहत पेटेंट या विनिर्देश के लिए आवेदन में संशोधन की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन को निर्धारित तरीके से विज्ञापित किया जाएगा।</u> (4) जहां किसी आवेदन को उप-धारा (3) के तहत विज्ञापित किया जाता है, वहां कोई भी हितबद्ध व्यक्ति विज्ञापन के बाद विहित अवधि के भीतर नियंत्रक को उसके विरोध का नोटिस दे सकता है; और जहां उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा नोटिस दिया गया है, नियंत्रक उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके द्वारा इस धारा के तहत आवेदन किया गया है और	वाद या कार्यवाही संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले या बाद में शुरू हुई हो। (2) इस धारा के तहत किसी पेटेंट के लिए आवेदन [या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज़] में संशोधन करने की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन में प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति का कथन किया जाएगा और उन कारणों का पूर्ण विवरण दिया जाएगा जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है। (3) <u>पूर्ण विनिर्देश और प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति की स्वीकृति के बाद</u> इस धारा के तहत किसी पेटेंट या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित दस्तावेज़ के लिए किसी आवेदन में संशोधन करने की अनुमति के लिए <u>कोई भी आवेदन राजपत्र में विज्ञापित किया जा सकता है यदि नियंत्रक की राय में संशोधन मौलिक है</u>। (4) जहां किसी आवेदन को	के उल्लंघन के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए उच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है, चाहे वह वाद या कार्यवाही संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले या बाद में शुरू हुई हो। [2002 और 2005 के संशोधनों के बीच में कोई बदलाव नहीं किया गया] (2) इस धारा के तहत किसी पेटेंट के लिए आवेदन [या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज़] में संशोधन करने की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन में प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति का कथन किया जाएगा और उन कारणों का पूर्ण विवरण दिया जाएगा जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है। [2002 और 2005 के

मामले का फैसला करने से पहले उस व्यक्ति और विरोधी को सुनवाई का अवसर देगा। (5) पूर्ण विनिर्देश के इस खंड के तहत संशोधन के किसी दावे की प्राथमिकता तिथि में संशोधन हो सकता है या इसमें शामिल हो सकता है। (6) इस धारा के प्रावधान, किसी पेटेंट के लिए <u>आवेदनकर्ता के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, जिसके तहत वह पूर्ण विनिर्देश</u> की स्वीकृति से पूर्व या पेटेंट प्रदान करने के विरोध में कार्यवाही के दौरान <u>नियंत्रक के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए अपने विनिर्देश में संशोधन कर सकता है</u>।	उप-धारा (3) के तहत विज्ञापित किया जाता है, कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, इसके भीतर उसके विज्ञापन के बाद विहित अवधि में, नियंत्रक को उसके विरोध की सूचना दें; और जहां उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा नोटिस दिया जाता है, नियंत्रक उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके द्वारा इस धारा के तहत आवेदन किया गया है और मामले का फैसला करने से पहले उस व्यक्ति और विरोधी को सुनवाई का अवसर देगा। [2002 संशोधन अधिनियम के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया] (5) पूर्ण विनिर्देश के इस खंड के तहत संशोधन के किसी दावे की प्राथमिकता तिथि का संशोधन हो सकता है या इसमें शामिल हो सकता है। [2002 संशोधन अधिनियम के तहत कोई परिवर्तन नहीं किया गया] (6) इस धारा के प्रावधान, किसी पेटेंट के लिए	संशोधनों के बीच में कोई बदलाव नहीं किया गया] (3) <u>पेटेंट की स्वीकृति</u> और प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति के बाद इस धारा के तहत किसी पेटेंट या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित दस्तावेज़ के लिए किसी भी आवेदन में संशोधन करने की अनुमति के लिए कोई भी आवेदन प्रकाशित किया जा सकता है। (4) जहां किसी आवेदन को उप-धारा (3) के तहत [प्रकाशित] किया जाता है, कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, इसके भीतर उसके विज्ञापन के बाद विहित अवधि में, नियंत्रक को उसके विरोध की सूचना दें; और जहां उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा नोटिस दिया जाता है, नियंत्रक उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके द्वारा इस धारा के तहत

	आवेदनकर्ता के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, जिसके तहत वह पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति से पूर्व या पेटेंट प्रदान करने के विरोध में कार्यवाही के दौरान नियंत्रक के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए अपने विनिर्देश में संशोधन कर सकता है।"	आवेदन किया गया है और मामले का फैसला करने से पहले उस व्यक्ति और विरोधी को सुनवाई का अवसर देगा। (5) पूर्ण विनिर्देश के इस खंड के तहत संशोधन के किसी दावे की प्राथमिकता तिथि में संशोधन हो सकता है या इसमें शामिल हो सकता है। [इसके अधिनियमन के बाद से (5) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है] (6) इस धारा के प्रावधान पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जिससे वह पेटेंट प्रदान करने से पहले नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए अपने विनिर्देश या उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज में संशोधन कर सके।

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 117क

धारा 117क यथा अधिनियमित	धारा 117क, 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित	धारा 117क, 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित	धारा 117क, जैसा कि अभी है, 2021 अधिकरण सुधार अधिनियम के द्वारा
वर्ष 2002 में लागू हुआ। यह प्रावधान मूल अधिनियम में मौजूद नहीं था।	117-क. अपील बोर्ड में अपील.– (1) उप-धारा (2) में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत किए गए या जारी किए गए किसी भी निर्णय, आदेश या निर्देश, या ऐसे किसी भी निर्णय, आदेश या निर्देश को प्रभावी करने के उद्देश्य	117-क. अपील बोर्ड में अपील.– (1) उप-धारा (2) में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत किए गए या जारी किए गए किसी भी निर्णय, आदेश या निर्देश, या ऐसे किसी भी निर्णय, आदेश या निर्देश को प्रभावी करने के उद्देश्य से	117-क. उच्च न्यायालय में अपील- (1) उप-धारा (2) में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत किए गए या जारी किए गए किसी भी निर्णय,

	से नियंत्रक के किसी भी कार्य या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। (2) धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 25, धारा 27, धारा 28, धारा 51, धारा 54, धारा 57, धारा 60, धारा 61, धारा 63, धारा 66, धारा 69 की उपधारा (3), धारा 78, धारा 84 की उपधारा (1) से (5), धारा 85, धारा 88, धारा 91, धारा 92 और धारा 94 के तहत नियंत्रक या केंद्रीय सरकार के किसी निर्णय, आदेश या निर्देश के विरुद्ध अपील बोर्ड में अपील की जा सकेगी। (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील	नियंत्रक के किसी भी कार्य या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। *[2005 के संशोधन के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है]* (2) धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, [धारा 25 की उपधारा (4), धारा 28,] धारा 51, धारा 54, धारा 57, धारा 60, धारा 61, धारा 63, धारा 66, धारा 69 की उपधारा (3), धारा 78, धारा 84 की उपधारा (1) से (5), धारा 85, धारा 88, धारा 91, धारा 92 और धारा 94 के तहत नियंत्रक या केंद्रीय सरकार के किसी निर्णय, आदेश या निर्देश के विरुद्ध अपील बोर्ड में अपील	आदेश या निर्देश, या ऐसे किसी भी निर्णय, आदेश या निर्देश को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियंत्रक के किसी भी कार्य या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। (2) धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 25 की उपधारा (4), धारा 28, धारा 51, धारा 54, धारा 57, धारा 60, धारा 61, धारा 63, धारा 66, धारा 69 की उपधारा (3), धारा 78, धारा 84 की उपधारा

	विहित प्ररूप में होगी और उसे ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए और उसके साथ उस निर्णय, आदेश या निर्देश की प्रति संलग्न की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और इतनी फीस दी जाएगी, जितनी विहित की जाए। (4) प्रत्येक अपील नियंत्रक या केंद्र सरकार के, जैसा भी मामला हो, निर्णय, आदेश या निर्देश की तिथि से तीन महीने के भीतर या अपील बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अतिरिक्त समय के भीतर की जाएगी, उसकी अनुमति होगी।	की जा सकेगी। (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और उसे ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए और उसके साथ उस निर्णय, आदेश या निर्देश की प्रति संलग्न की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और इतनी फीस दी जाएगी, जितनी विहित की जाए। *[2005 के संशोधन द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया]* (4) प्रत्येक अपील नियंत्रक या केंद्र सरकार के, जैसा भी मामला हो, निर्णय, आदेश या निर्देश की तिथि से तीन महीने के भीतर या अपील	(1) से (5), धारा 85, धारा 88, धारा 91, धारा 92 और धारा 94 के तहत नियंत्रक या केंद्रीय सरकार के किसी निर्णय, आदेश या निदेश के विरुद्ध अपील **[<u>उच्च न्यायालय</u>]** में की जा सकेगी। (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और उसे ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए और उसके साथ उस निर्णय, आदेश या निर्देश की प्रति संलग्न की जाएगी,

		बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अतिरिक्त समय के भीतर की जाएगी, उसकी अनुमति होगी। [*2005 के संशोधन द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है*]	जिसके विरुद्ध अपील की गई है और इतनी फीस दी जाएगी, जितनी विहित की जाए। [*2021 अधिनियम के द्वारा इस धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है*] (4) प्रत्येक अपील नियंत्रक या केंद्र सरकार के निर्णय, आदेश या निर्देश की तिथि से तीन महीने के भीतर या ऐसा अतिरिक्त समय के भीतर की जाएगी, जो [**उच्च न्यायालय**] द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगी,

			उसकी अनुमति होगी।

घ. नोवार्टिस के तर्क

12. विद्वान एकल न्यायाधीश, श्री सिंह द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर अभ्याक्रमण करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने अपील पर निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित किया। श्री सिंह का यह प्रस्तुति कि पेटेंट आवेदन पर विचार और निपटान से जुड़े तथ्य इस बात का स्पष्ट उदाहरण हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा पी.जी.ओ. अवसर का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। अपीलकर्ता का तर्क है कि विरोधियों ने एक-दूसरे के साथ सांठगांठ की ताकि पेटेंट के स्वीकृति में अत्यधिक देरी हो और जो तथ्य प्रत्येक पी.जी.ओ. के दाखिल करने के समय से स्पष्ट है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरोधी की कार्यवाही कभी भी निष्कर्ष तक न पहुंचे। श्री सिंह के अनुसार, लगातार विरोधियों द्वारा इस तरह की युक्ति को अपनाना अधिनियम की धारा 43 में अंतर्निहित मूल भावना का उल्लंघन करता है और इस प्रकार शीघ्र स्वीकृति के विधायी आदेश को हतोत्साहित करता है। श्री सिंह ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि लगातार विरोध दर्ज करने के कारण स्वीकृति देने में, जब आवेदन प्रथम बार दी गई थी, के समय से गणना करने पर 16 वर्षों से अधिक की देरी हुई है। इस कष्टदायक प्रक्रिया के कारण

अधिनियम की धारा 53 के अनुसार पेटेंट के लिए अधिकतम 20 वर्ष की अवधि में से 16 वर्ष से अधिक समय नियंत्रक के समक्ष अभियोजन कार्यवाही में व्यतीत हो गई। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि पी.जी.ओ. की लंबी और जटिल कार्यवाही के बावजूद, स्वीकृति को अंततः आक्षेपित निर्णय द्वारा अपास्त कर दिया गया और वह भी ऐसे आधारों पर जो पूरी तरह से असमर्थनीय हैं।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय अनिवार्य रूप इस निष्कर्ष पर आधारित है कि नियंत्रक द्वारा की गई कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए हम इस संबंध में श्री सिंह द्वारा संबोधित निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर ध्यान देना उचित समझते हैं। श्री सिंह ने प्रारंभ में ही कहा कि विद्वान न्यायाधीश ने नैटको द्वारा उठाई गई चुनौती को बरकरार रखने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की है और अधिनियम की स्कीम तथा **पेटेंट नियम,** 2003 को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि जब कोई विरोध दायर किया जाता है, तो जांच और विरोध की कार्यवाही मिल जाती है और इस प्रकार विरोधी को उन कार्यवाहियों में भी सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाता है, जो अधिनियम की धारा 14 और 15 के अनुसार पेटेंट आवेदन की स्वतंत्र जांच के आधार पर नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए निर्देश के अनुसरण में शुरू हुई होती है।

14. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अधिनियम की धारा 12 से 15 की स्कीम सहपठित नियम 24ख, 28 और 28क पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई व्याख्या स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसमें एक ओर उपरोक्त प्रावधानों द्वारा विनियमित *"जांच प्रक्रिया"* और दूसरी ओर नियम 55 सहपठित अधिनियम की धारा 25(1) के बीच निर्मित वैधानिक अंतर को ध्यान में नहीं रखा गया है जो *"विरोध प्रक्रिया"* को नियंत्रित करती है।

15. यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात पर भी विचार करने में विफल रहे कि यदि एक लंबी *''स्वीकृति-पूर्व विरोध प्रक्रिया''* सामने आती है तो क्या हानिकारक प्रभाव होगा। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ऐसी प्रक्रिया को न्यायिक स्वीकृति देना स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 43 और 53 में निहित विधायी मंशा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा। श्री सिंह प्रस्तुत किए कि स्वीकृति-पूर्व स्तर पर विरोधी द्वारा जिन अधिकारों का दावा किया जा सकता है, उसे न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा **यूसीबी फार्चिम सा बनाम सिप्ला लिमिटेड एवं अन्य** में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया था, जिसकी प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं: -

> **"13.** सबसे पहले स्वीकृति-पूर्व विरोध और स्वीकृति-पश्चात विरोध के बीच में अंतर किया जाना चाहिए। जबकि स्वीकृति-पूर्व विरोध पेटेंट अधिनियम की धारा 25(1) के तहत पेटेंट आवेदन के प्रकाशन के बाद किसी भी समय लेकिन पेटेंट स्वीकृति से पहले दर्ज किया जा सकता है, परन्तु स्वीकृति-पश्चात विरोध पेटेंट

अधिनियम की धारा 25(2) के तहत पेटेंट की स्वीकृति के प्रकाशन की तिथि के बाद एक वर्ष की समाप्ति से पहले दाखिल करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर 2005 के संशोधन के बाद यह है कि स्वीकृति-पूर्व विरोध "किसी भी व्यक्ति" द्वारा दायर किया जा सकता है जबकि स्वीकृति-पश्चात् विरोध धारा 25(2) के तहत केवल "किसी हितबद्ध व्यक्ति" द्वारा ही दायर किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पेटेंट अधिनियम की धारा 64 धारा के निबंधनानुसार पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन केवल "किसी हितबद्ध व्यक्ति" द्वारा दायर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, स्वीकृति-पश्चात विरोध और प्रतिसंहरण के लिए आवेदन केवल किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है, जिसे हितबद्ध व्यक्ति नहीं दिखाया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वीकृति-पूर्व स्तर पर अभ्यावेदन पर स्वयं नियंत्रक द्वारा विचार किया जाता है। पेटेंट नियमों के नियम 55 के अनुसार नियंत्रक को "आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और कथन" पर विचार करना चाहिए और उसके बाद या तो पेटेंट देने से इनकार कर देना चाहिए या पूर्ण विनिर्देश को उसकी संतुष्टि के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। बेशक, उस स्थिति में पेटेंट स्वीकृति के लिए आवेदनकर्ता को नोटिस दिया जाएगा जो अपना जवाब और साक्ष्य दाखिल कर सकता है। यह न्यायालय इस तर्क में गुणागुण पाता है कि स्वीकृति-पूर्व विरोध वास्तव में नियंत्रक द्वारा पेटेंट आवेदन की "जांच करने में सहायता" है । यद्यपि प्रक्रिया अलग पहलू है जहाँ तक स्वीकृति-पश्चात विरोध का संबंध है। धारा 25 (3) के अनुसार, नियंत्रक को एक विरोधी बोर्ड का गठन करना होता है जिसमें ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें वह तय कर सकता है और ऐसे विरोध बोर्ड को विरोध की सूचना अन्य दस्तावेजों के साथ उसकी जांच और सिफारिशों के लिए भेजता है। विरोधी बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, नियंत्रक पेटेंटधारी तथा विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर देता है। इसके बाद नियंत्रक पेटेंट को बनाए रखने, संशोधित करने या प्रतिसंहरण करने का निर्णय लेता है। स्वीकृति-पूर्व विरोध और स्वीकृति-पश्चात विरोध के बीच चौथा प्रमुख अंतर यह है कि जबकि धारा 117क के अनुसार अनुसार पेटेंट अधिनियम की धारा 25(4) के

अंतर्गत स्वीकृति-पश्चात विरोध में नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध आई.पी.ए.बी. में अपील पोषणीय है, लेकिन पेटेंट अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपील उपलब्ध नहीं कराई गई है।

14. नियंत्रक द्वारा स्वीकृति-पूर्व विरोध में पारित आदेश से दो संभावित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जहाँ स्वीकृति-पूर्व विरोध को खारिज कर दिया जाता है, वहां पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति होगा जिसने स्वीकृति-पूर्व विरोध दायर किया है। जहाँ नियंत्रक स्वीकृति-पूर्व विरोध को स्वीकार करता है और इसलिए पेटेंट देने से इनकार कर देता है या संशोधन करने का सुझाव देता है जिसे आवेदनकर्ता द्वारा लागू नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पेटेंट देने से इनकार कर दिया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट रूप से पेटेंट के लिए आवेदनकर्ता होगा। जहां स्वीकृति-पूर्व विरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है और पेटेंट प्रदान किया जाता है।

15. पहली स्थिति में, जहां स्वीकृति-पूर्व विरोध अस्वीकार कर दिया गया, यह जे. मित्रा में निर्णय और धारा 117क सहपठित धारा 25 से यह स्पष्ट है कि जब तक विरोध दर्ज कराने वाला व्यक्ति हितबद्ध व्यक्ति है, 1 जनवरी, 2005 के बाद [वह तिथि जिससे धारा 25 (2) लागू हुई, हालांकि प्रावधान 4 अप्रैल, 2005 को ही पेश किया गया था] उसके पास स्वीकृति-पश्चात विरोध दर्ज कराने का उपाय होगा। एक पोस्ट दाखिल करने का उपाय है - विरोध की अनुमति दें। वह 2 अप्रैल, 2007 के बाद भी पेटेंट अधिनियम की धारा 64 के तहत आई.पी.ए.बी. के समक्ष पेटेंट का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि जे. मित्रा एंड कंपनी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है, जब तक वह व्यक्ति यह दिखाने में सक्षम है कि वह "हितधारक" व्यक्ति है, तब तक उसके पास स्वीकृति-पूर्व विरोध के खारिज होने के बाद भी वह उपाय के बिना नहीं है। वास्तव में उसके पास दो उपाय हैं। भले ही उसका स्वीकृति-पश्चात विरोध खारिज हो जाए, फिर भी वह धारा 117क के तहत आई.पी.ए.बी. में अपील दायर कर सकता है। किसी भी स्थिति में आई.पी.ए.बी. के निर्णय के विरुद्ध उसके पास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके विधि के अनुसार न्यायिक

पुनर्विलोकन की मांग करने का उपाय होगा। इस समय यह ध्यान देने योग्य है कि वि.अनु.या. (सि.) सं. 3522/2009 (*एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित लोगों के लिए भारतीय नेटवर्क बनाम एफ. हॉफमैन-ला रोश*) में दिनांक 2 मार्च, 2009 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने असफल स्वीकृति-पूर्व विरोध को, जिसने नियंत्रक द्वारा उसके विरोध को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी थी, स्वीकृति-पश्चात चरण में भाग लेने की अनुमति दी थी।

16. विधि सुस्थापित है कि इस बात के बावजूद कि किसी उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी वैधानिक प्राधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, जो न्यायिककल्प प्रकृति का है, वह ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार कर देगा जहां पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है। उदाहरण के लिए देखें, *विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम गौस*, (2004) 3 एस.सी.सी. 440 [पैरा 5, पृष्ठ 443]; *उत्तरांचल वन विकास निगम बनाम जबर सिंह*, (2007) 2 एस.सी.सी. 112 [पैरा 43-45, पृष्ठ 137]; *उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर.एस. पांडे*, (2005) 8 एस.सी.सी. 264 [पैरा 11-24, पृष्ठ 270-275]; *टीटाघर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य*, (1983) 2 एस.सी.सी. 433 [पैरा 6, पृष्ठ 437-438; पैरा 8 और 9, पृष्ठ 439; पैरा 12, पृष्ठ 441]; कर्नाटक केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ, (2000) 10 एस.सी.सी. 13 [पैरा 2, पृष्ठ 14]; केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त जैनसन होजरी इंडस्ट्रीज, (1979) 4 एस.सी.सी. 22 [पैरा 1, पृष्ठ 23] और यू.पी. स्टेट ब्रिज लिमिटेड बनाम यू.पी. राज्य सेतु निगम एस. कर्मचारी संघ, (2004) 4 एस.सी.सी. 268 [पैरा 11, पृष्ठ 275-276; पैरा 17, पृष्ठ 278]।

17. पक्षकारगण के अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान *ग्लोकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड* (रिट याचिका संख्या 1605/2009 में दिनांक 6 नवंबर, 2009 को दिया गया निर्णय) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के हालिया निर्णय की ओर आकर्षित किया है। हालाँकि उस मामले में याचिकाकर्ता जिसका स्वीकृति-पूर्व विरोध खारिज कर दिया गया था स्पष्ट रूप से

एक हितबद्ध व्यक्ति था, उच्च न्यायालय पोषणीयता के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया क्योंकि इसने माना कि उस मामले में नियंत्रक के आदेश में स्पष्ट क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां थीं। फिर भी बॉम्बे उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया "यह विवेकाधिकार का विषय है कि क्या इस अदालत को रिट याचिका पर विचार करना चाहिए या नहीं" और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में "इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के दावा को ख़ारिज करना उचित नहीं है।" इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में व्याख्या किए गए सुस्थापित विधि (जिस पर संयोगवश ग्लोकेम में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है) से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसके पास शक्ति या क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि इसलिए कि याचिकाकर्ता के पास एक प्रभावी वैकल्पिक क़ानूनी उपाय है।

18. विवेचन के इस भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो पेटेंट के स्वीकृति को रोकने के लिए स्वीकृति-पूर्व विरोध चरण में सफल नहीं हुए हैं, और जो पेटेंट अधिनियम की धारा 25(2) और धारा 64 के अर्थ में "हितधारक" व्यक्ति हैं, उनके स्वीकृति-पूर्व विरोध की अस्वीकृति के विरुद्ध उनका उपाय धारा 25(2) के अंतर्गत स्वीकृति-पश्चात विरोध दायर करना और नियंत्रक के निर्णय की प्रतीक्षा करना है। यदि वे पेटेंट अधिनियम की धारा 25(4) के अंतर्गत उस निर्णय से अभी भी व्यथित हैं, तो वे पेटेंट अधिनियम की धारा 117क के अनुसार आई.पी.ए.बी. के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

XXX XXX XXX

20. सबसे पहले यह न्यायालय यह अवलोकन करना चाहेगा कि इनमें से कोई भी जिन आवेदकों ने इन मामलों में स्वीकृति-पूर्व विरोध दायर किया है, और जिनके आवेदन या तो स्वीकार कर लिए गए हैं या अस्वीकार कर दिए गए हैं, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हितबद्ध व्यक्ति न हो। इसलिए यह सवाल जहाँ तक याचिकाओं के इस समूह पर विचार किया जाता है, वह विशुद्ध रूप से अव्यावहारिक है। दूसरा, 2005 में संशोधन से पहले, स्वीकृति-पूर्व विरोध केवल

हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है न कि किसी तीसरे पक्षकार द्वारा। "किसी भी" व्यक्ति को स्वीकृति-पूर्व विरोध दर्ज करने का अधिकार केवल 1 जनवरी, 2005 से दिया गया था, जब पुनर्निर्धारित धारा 25(1) प्रभावी हुई थी। स्वीकृति-पूर्व और स्वीकृति-पश्चात विरोधों में अंतर को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने जानबूझकर तीसरे पक्षकार को स्वीकृति-पश्चात विरोध का एक और क़ानूनी उपाय देने से इनकार कर दिया है, यदि ऐसा तीसरा पक्षकार पेटेंट के स्वीकृति को रोकने के लिए स्वीकृति-पूर्व चरण में सफल नहीं होता है। चूंकि इन कार्यवाहियों में किसी तीसरे पक्षकार द्वारा पुनर्गठित धारा 25 की संवैधानिक वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इस न्यायालय को उस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नहीं कहा गया है। फिर भी, जहां तक नियंत्रक के विरोध को खारिज करने के आदेश के खिलाफ स्वीकृति-पूर्व विरोध ऐसे तीसरे पक्षकार द्वारा रिट याचिका की पोषणीयता का संबंध है, यह न्यायालय यह टिप्पणी करना चाहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति व्यापक है और किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, जहां इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य प्रभावकारी उपाय उपलब्ध नहीं है या न्याय के हित में इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना आवश्यक है।

21. इसलिए जहां धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है जो तीसरा पक्षकार है और पेटेंट अधिनियम की धारा 25(2) या धारा 64 के के निबंधनानुसार हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, और ऐसे स्वीकृति-पूर्व विरोध को नियंत्रक द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे तीसरे पक्षकार स्वीकृति-पूर्व विरोधी द्वारा संपर्क किए जाने पर यह न्यायालय निर्धारित करेगा कि तथ्यों और परिस्थितियों में याचिका पर विचार किया जाना आवश्यक है या नहीं। स्वीकृति-पूर्व विरोध को स्वीकार किया जाता है और पेटेंट देने से इनकार किया जाता है।

22. <u>दूसरी स्थिति में जहां स्वीकृति-पूर्व विरोध स्वीकार कर लिया जाता है और नियंत्रक द्वारा पेटेंट देने से इनकार किया जाता है, हालांकि यह निर्णय धारा</u>

25(1) के तहत लिया गया है, यह वास्तव में पेटेंट अधिनियम की धारा 15 से संबंधित और उसके तहत लिया गया निर्णय है। पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत नियंत्रक के निर्णय के विरुद्ध पेटेंट अधिनियम की धारा 117क के तहत अपील का प्रावधान है। इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जे. मित्रा के पैरा 24 में की गई यह टिप्पणी कि "अपील बोर्ड 2 अप्रैल, 2007 के बाद केवल नियंत्रक द्वारा धारा 25(4) के तहत पारित आदेशों से उत्पन्न होने वाली अपीलों पर सुनवाई करने का हकदार है, अर्थात स्वीकृति के बाद के विरोध में पारित आदेशों के मामलों में", को उस मामले के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जहां न्यायालय केवल इस बात पर विचार कर रहा था कि स्वीकृति-पूर्व विरोध की अस्वीकृति के खिलाफ उच्च न्यायालय में या आई.पी.ए.बी. में अपील की जा सकती है। यह देखते हुए कि उस मामले में अपील धारा 117क के अधिसूचित होने से पहले 17 अक्टूबर, 2006 को उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जे. मित्रा एंड कंपनी में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित कि उक्त अपील उच्च न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी। जे. मित्रा एंड कंपनी के मामले में यह प्रश्न विचारार्थ नहीं आया कि क्या पेटेंट अधिनियम की धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध को स्वीकार करने के बाद नियंत्रक द्वारा पेटेंट देने से इनकार करने के खिलाफ अपील की जा सकती है। आगे यह प्रश्न कि क्या पेटेंट देने से इनकार करना वास्तव में पेटेंट अधिनियम की धारा 15 से संबंधित होगा, इस पर भी विचार नहीं किया गया। नतीजतन, जे. मित्रा एंड कंपनी के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास यह निर्णय लेने का कोई अवसर नहीं था कि क्या ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को आई.पी.ए.बी. के समक्ष पेटेंट के लिए अपील करने का अधिकार होगा।"

16. विद्वान अधिवक्ता ने तब हमारा ध्यान एक और फैसले की ओर खींचा जिसमें *यू.सी.बी. फार्चिम* में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया गया और **माइलान**

लैबोरेटरीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गए निर्णय से निम्नलिखित अंशों को हमारे विचारार्थ अनुशंसित किया गया था:-

> "**6.** इस न्यायालय की राय में, स्वीकृति-पूर्व विरोध, इसलिए, गुणागुण के आधार पर और अधिनियम की स्कीम के अनुसार, जैसा कि यू.सी.बी. फ़ार्चिम (पूर्वोक्त) में निर्धारित किया गया है, याचिकाकर्ता का उपाय या तो स्वीकृति के बाद विरोध दायर करना या प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रकार, वर्तमान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।
>
> **7.** अधिनियम की धारा 25(2) के तहत, पेटेंट के स्वीकृति के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर "किसी भी हितबद्ध व्यक्ति" द्वारा स्वीकृति के बाद विरोध दायर किया जा सकता है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता एक "हितबद्ध व्यक्ति" है, याचिकाकर्ता को स्वीकृति के बाद विरोध दायर करने की अनुमति है, जिसका निर्णय विरोध बोर्ड के गठन के बाद अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
>
> 8. याचिकाकर्ता को आज से दो महीने की अवधि के भीतर स्वीकृति-पश्चात विरोध दर्ज कराना होगा। उसके बाद, अधिनियम के अनुसार अभिवाक पूरी की जाएंगी। किसी भी मामले में, यदि स्वीकृति के बाद विरोध दो महीने की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो आज से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसका निर्णय लिया जाएगा। पक्षकारगण को प्रासंगिक चरण में कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज, अभिवाक और सबूत दाखिल करने की अनुमति है, जिसे वे उचित मानते हैं। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 3 के सभी अधिकार और तर्क अनिर्णीत हैं।"

17. श्री सिंह ने तब उस अंतर को उजागर करने का प्रयास किया जो **पेटेंट अधिनियम (संशोधन), 2005 [2005 का अधिनियम 15]** के आधार पर *"स्वीकृति-पूर्व*

विरोध" और *"स्वीकृति-पश्चात विरोध"* के बीच वैधानिक रूप से निहित हो गया है और जिसे न्यायालय द्वारा **डॉ. (सुश्री) स्नेहलता सी. गुप्ते बनाम भारत संघ और अन्य** मामलों में विधिवत मान्यता दी गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने उस निर्णय के निम्नलिखित टिप्पणियों पर जोर दियाः-

> "**40.** नियंत्रक द्वारा प्रकाशन के लिए पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए विशिष्ट समय सीमाएँ हैं। इसके बाद आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 11-ख के अनुसार जांच के लिए अनुरोध किया जाता है। इसके बाद अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन की जांच की जाती है, जो नियमावली के नियम 24-ख में निर्धारित समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। इस समयावधि के विशिष्ट विवरण में जाए बिना, वर्तमान याचिकाओं के प्रयोजनों के लिए यह नोट करना पर्याप्त है कि जहां यह अभिप्रेत है कि एक विशिष्ट समय-सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर पेटेंट प्रदान करने के लिए आवेदनकर्ता या नियंत्रक द्वारा कोई कदम उठाया जाना है, तो ऐसी समय-सीमा अधिनियम और नियमों में स्पष्ट रूप से इंगित की गई है।
>
> **41.** इस संदर्भ में एक और प्रावधान प्रासंगिक है। नियम 55(1-क) के तहत धारा 11क के तहत आवेदन के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले कोई पेटेंट नहीं प्रदान किया जाएगा। नतीजतन, पेटेंट स्वीकृति के लिए आवेदन दाखिल करने के बाद कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसी अवधि के दौरान धारा 12 के अनुसार पेटेंट की जांच के लिए कदम उठाए जाते हैं और उसके बाद धारा 14 के तहत परीक्षक की रिपोर्ट पर नियंत्रक द्वारा विचार किया जाता है और उसके बाद संशोधन, यदि कोई हो, किए जाते हैं। इसी समय के दौरान स्वीकृति-पूर्व विरोध भी दर्ज किये जाने की उम्मीद है।
>
> XXX XXX XXX

43. एक और समय सीमा है। नियम 24 के तहत, वह अवधि जिसके लिए पेटेंट के लिए आवेदन "धारा 11-क की उप-धारा (1) के तहत आम तौर पर जनता के लिए खुला नहीं होगा, आवेदन दाखिल करने की तारीख या आवेदन की प्राथमिकता की तारीख से 18 महीने होगी, जो भी पहले हो।" इसलिए, वास्तव में, पेटेंट के स्वीकृति पर आपत्ति करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसे आवेदन दाखिल करने की तिथि के 18 महीने की अवधि से पहले 'अभ्यावेदन' करना संभव नहीं होगा। किसी भी स्थिति में चूंकि नियम 55(1-क) के अनुसार प्रकाशन की तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जा सकता है और नियंत्रक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर आवेदन प्रकाशित कर दे, इसलिए उसके बाद विरोधी के पास अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए कम से कम छह महीने की अवधि होती है।

XXX XXX XXX

47. अतः, पेटेंट अधिनियम की स्कीम ऐसी है कि पेटेंट के स्वीकृति को अंतिम कहे जाने से पहले कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। दो अन्य प्रावधान हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धारा 53 के तहत, प्रत्येक पेटेंट की अवधि "पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष होगी"। धारा 45 के तहत "प्रत्येक पेटेंट की तिथि उस तिथि से होगी जिस दिन पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल किया गया था"। चूँकि इस तिथि को संभवतः बदला नहीं जा सकता है, इसलिए पेटेंट धारक उस समय के दौरान पेटेंट पर काम करने में सक्षम नहीं हो सकता है जब इसे चुनौती दी गई हो, या इसकी स्वीकृति रोक दी गई हो या जब पेटेंट धारक इसकी वैधता की सभी चुनौतियों को दूर करने तक इसका व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए आश्वस्त नहीं होता है। वह समय जब इसे चुनौती दी जाती है, या इसका स्वीकृति रोक दिया जाता है या कब पेटेंट धारक सभी तक इसका व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए आश्वस्त नहीं है। चूंकि उपरोक्त प्रक्रियाओं में पेटेंट धारक के लिए पहले से ही समय की हानि हो चुकी है, इसलिए स्वीकृति-पूर्व विरोध दर्ज करने के लिए अधिनियम की धारा

25(1) द्वारा परिकल्पित समयावधि का संभवतः उदारतापूर्वक अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, इसके बावजूद कि इसमें कोई विशिष्ट समय अवधि का उल्लेख नहीं है। बाहरी सीमा वह तिथि है जिस दिन पेटेंट प्रदान किया जाता है।

48. अधिनियम की धारा 43 पर सावधानीपूर्वक नज़र डालने से पता चलता है कि सबसे पहले पेटेंट के लिए एक आवेदन "स्वीकृति के लिए अनुक्रम में" पाया जाना चाहिए। इसमें वह अवधि शामिल है जिसके दौरान धारा 11क के अनुसार प्रकाशन के लिए पूर्ण विनिर्देश स्वीकार किया जाता है, उसके बाद पेटेंट की जांच की जाती है जो नियमों के नियम 24-ख में निर्धारित समय-सीमा के भीतर होती है। उस स्तर पर इनकार अधिनियम की धारा 15 द्वारा शासित होगा। यदि उस स्तर पर पेटेंट से इनकार नहीं किया जाता है और कोई स्वीकृति-पूर्व विरोध दायर नहीं किया गया है, तो पेटेंट पंजीकरण के लिए आगे बढ़ता है।

49. जहां अधिनियम की धारा 25(1) के तहत किसी भी स्वीकृति-पूर्व विरोध को अभ्यावेदन के रूप में दायर किया जाता है, तो नियम 55 (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए इसकी जांच की जानी चाहिए। अभ्यावेदन में साक्ष्य का विवरण और सुनवाई के लिए अनुरोध शामिल होना चाहिए। नियम 55 (2) के तहत, नियंत्रक को ऐसे अभ्यावेदन पर तभी विचार करना है "जब किसी आवेदन की जांच के लिए अनुरोध दायर किया गया हो"। आवेदनकर्ता को "पेटेन्ट प्रदान करने के लिए" एक नोटिस दिया जाता है, जहाँ नियंत्रक स्वीकृति-पूर्व विरोध पर विचार करने के बाद यह राय बनाता है कि पेटेन्ट को अस्वीकार किया जाना चाहिए या उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। यह नियम 55 (3) के तहत होता है। आवेदनकर्ता पेटेंट प्रदान करने के लिए नोटिस की तिथि से तीन महीने के भीतर नियम 55(4) के तहत अपना साक्ष्य का विवरण दाखिल करके नोटिस का जवाब देता है। नियम 55 (5) के तहत नियंत्रक आवेदनकर्ता द्वारा दायर विवरण और साक्ष्य पर विचार करने के बाद या तो पेटेंट प्रदान करने इनकार कर सकता है या पेटेंट देने से पहले संपूर्ण विनिर्देश को संशोधित करने की आवश्यकता बता सकता है।

XXX XXX XXX

51. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार स्वीकृति-पूर्व विरोध का निर्णय हो जाने के बाद, नियंत्रक या तो ऐसे अभ्यावेदन को अस्वीकार कर देता है और पेटेंट प्रदान कर देता है या अभ्यावेदन को स्वीकार कर लेता है और पेटेंट देने से मना कर देता है। नियम 55 (6) की भाषा इस बात का कोई संदेह नहीं छोड़ती कि ये दोनों कार्यवाहियाँ अर्थात् अभ्यावेदन पर विचार और पेटेंट स्वीकृति के लिए आवेदन पर अंतिम निर्णय एक साथ होते हैं।

52. यह संभव है कि स्वीकृति-पूर्व विरोध के रूप में एक से अधिक अभ्यावेदन हों। नियंत्रक उसे आदर्श रूप से, एक साथ रखेगा, उन्हें क्रमिक रूप से सुनेगा और जहाँ तक संभव हो, एक ही तारीख को उनमें से प्रत्येक पर अंतिम राय व्यक्त करेगा। यह एक अदालत की तरह है जो एकसमान राहत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है। यह संभव है कि स्वीकृति-पूर्व विरोधों के एक समूह पर सुनवाई समाप्त हो जाने और उस पर आदेश सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी, स्वीकृति -पूर्व विरोधों के पहले समूह पर नियंत्रक द्वारा निर्णय सुनाए जाने से पहले एक और स्वीकृति-पूर्व विरोध या विरोधों का एक समूह दायर कर दिया जाए। फिर अधिनियम की स्कीम के अनुसार नियंत्रक को ऐसे बाद में दायर किए गए स्वीकृति-पूर्व विरोधों का भी निपटान करना होगा। हालांकि, स्वीकृति-पूर्व विरोधों पर अंतिम निर्णय सुनाए जाने के बाद, नियंत्रक को नियम 55 (6) की आवश्यकता के अनुरूप पेटेंट स्वीकृति के लिए आवेदन पर निर्णय एक साथ सुनाना चाहिए। नियंत्रक को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि आवेदन सही पाया गया है और पेटेंट प्रदान किया जा रहा है।

53. धारा 43(1) पर लौटते हुए, उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा यह है कि "पेटेंट यथासंभव शीघ्रता से प्रदान किया जाना चाहिए।" इसलिए पेटेंट तभी दिया जाना चाहिए जब यह पाया जाए कि या तो आवेदन को नियम 55 (6) सहपठित धारा 25(1) के अनुसार अस्वीकार नहीं किया गया है या यह अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए नहीं पाया गया है। दूसरे शब्दों में, इस स्तर पर नियंत्रक से अंतिम निर्णय को उद्घोषित करने में देरी की उम्मीद नहीं की जाती

है। धारा 43 (1) और नियम 55 (6) का जोर नियंत्रक द्वारा त्वरित निर्णय लेने पर है। धारा 43 (1) यह इंगित करती है कि "पेटेंट को पेटेंट कार्यालय की मुहर के साथ प्रदान किया जाए और जिस तारीख को पेटेंट प्रदान किया जाता है उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाए"। जब धारा 43 (1) की भाषा का लगातार पठन किया जाता है, तो यह इंगित करता कि यह नियंत्रक द्वारा फाइल पर लिया गया निर्णय है जो 'पेटेंट देने की तारीख' का पता लगाने के लिए निर्धारक घटना है। पेटेंट को सील करना और रजिस्टर में पेटेंट दर्ज करना स्पष्ट रूप से नियंत्रक द्वारा आदेश पारित करने के बाद होता है कि पेटेंट प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 43 (1) की भाषा के अनुसार, पेटेंट को सील करना और रजिस्टर में पेटेंट दर्ज करना, पेटेंट स्वीकृति को प्रमाणित करने वाले मंत्रिस्तरीय कार्य हैं, जो उन मंत्रिस्तरीय कार्यों के पूर्ववर्ती चरण में हैं।

54. धारा 43 (2) नियंत्रक द्वारा "पेटेंट प्रदान किए जाने के तथ्य" के प्रकाशन की बात करती है। धारा 43 (2) की भाषा स्पष्ट है। प्रकाशन का कार्य स्पष्ट रूप से पेटेंट स्वीकृति के बाद होता है। पेटेंट की स्वीकृति प्रकाशन से पहले होती है और प्रकाशन से कुछ समय पहले होना आवश्यक है। इसलिए, वर्तमान मामलों में स्वीकृति-पूर्व विरोधियों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होना संभव नहीं है कि जब तक यह तथ्य राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक पेटेंट को स्वीकृत नहीं कहा जा सकता। यह देखते हुए कि प्रावधान की व्याख्या प्रासंगिक होनी चाहिए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि पेटेंट प्रदान करने की तिथि वह तिथि है जिस दिन नियंत्रक फाइल पर उस आशय का आदेश पारित करता है। यह न्यायालय अब उन आशंकापूर्ण व्यावहारिक समस्याओं से निपटने के लिए आगे बढ़ता है जिनका सामना नियंत्रक के कार्यालय को अधिनियम की धारा 43 पर इस न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के कारण करना पड़ सकता है।

XXX XXX XXX

57. एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है पेटेंट प्रदान करने वाले आदेश की शब्दावली। नियंत्रक को यह कहते हुए 'अंतिम आदेश' पारित

करना चाहिए कि आवेदनकर्ता द्वारा नियंत्रक की संतुष्टि के लिए सभी संशोधन किए जाने के बाद ही 'पेटेन्ट एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है'। इसलिए नियंत्रक तब तक आवेदन का निपटान नहीं करेगा या अंतिम आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि आवेदनकर्ता ने नियंत्रक की संतुष्टि के लिए संशोधन नहीं किए हों। इस उद्देश्य के लिए यह एक समयबद्ध आदेश होना चाहिए। नियंत्रक या सहायक नियंत्रक द्वारा दिए गए समय के भीतर विनिर्देश में संशोधन को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप पेटेंट की अस्वीकृति हो सकती है जो अधिनियम की धारा 15 के तहत आकस्मिकता है।

58. नियंत्रक या सहायक नियंत्रक द्वारा पेटेंट प्रदान करने वाले अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर करने और ऐसे आदेश के 'प्रकाशन' के बीच किसी भी अनावश्यक समय-अंतराल को कम करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि नियंत्रक या सहायक नियंत्रक द्वारा पारित पेटेंट प्रदान करने वाले प्रत्येक अंतिम आदेश पर, जैसा भी मामला हो, नियंत्रक या सहायक नियंत्रक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और बिना किसी अनावश्यक देरी के उसी दिन नियंत्रक की वेबसाइट पर डाल दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सभी अधिकारियों द्वारा समान रूप से पालन करने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए और नियंत्रक द्वारा आवश्यक निर्देश/कार्यप्रणाली निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

XXX XXX XXX

76. पेटेंट नियंत्रक आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सभी अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों को इस निर्णय के संदर्भ में और विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा पैरा 55 से 58 में जो कुछ कहा गया है उसके संदर्भ में आवश्यक अभ्यास निर्देश/निर्देश जारी करेंगे। ऐसे कार्यप्रणाली निर्देश/अनुदेश पेटेंट नियंत्रक की वेबसाइट पर भी एक साथ रखे जाएंगे। वे इस मायने में संभावित होंगे कि वे पेटेंट देने वाले आदेशों को फिर से खोलने में परिणाम नहीं देंगे जो अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं।"

18. इसके अतिरिक्त, श्री सिंह ने हमारा ध्यान *स्नेहलता सी. गुप्ते* द्वारा "क्रमिक विरोध" के विषय पर विचार करते समय दर्ज की गई सावधानी नोट की ओर आकर्षित किया तथा जो उस निर्णय के निम्नलिखित अंशों में प्रकट होता है: -

> "**62.** वर्तमान मामलों में स्वीकृति-पूर्व विरोधियों की प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कि जब तक पेटेंट की स्वीकृति रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाती है, और इस बात के बावजूद कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट प्रदान करने वाला आदेश पहले ही पारित कर दिया गया है, वे धारा 25 (1) के अनुसार स्वीकृति-पूर्व अभ्यावेदन दाखिल करना जारी रख सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 'क्रमिक विरोध' की घटना हो सकती है, जैसा कि जे. मित्रा एंड कंपनी द्वारा पेटेंट के लिए आवेदन किए गए आवेदनों के मामले में हुआ है। एस.डी.एल. द्वारा दायर स्वीकृति-पूर्व विरोध को नियंत्रक द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन के भीतर ही, डॉ. गुप्ते ने स्वीकृति-पूर्व विरोध दायर किया। इसके तुरंत बाद डॉ. रिंदानी ने अपना स्वीकृति-पूर्व विरोध दाखिल किया। दूसरे शब्दों में, यदि यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता कि पेटेंट प्रदान करने की तिथि वह तिथि है जिस दिन ऐसी स्वीकृति का तथ्य रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, तो स्वीकृति-पूर्व विरोधों को दाखिल करने का कोई अंत नहीं होगा, जब तक कि प्रशासनिक पक्ष से कुछ देरी के कारण पेटेंट प्रदान करने का तथ्य रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है। अधिनियम की स्कीम को देखते हुए, तथा पेटेंट प्रदान करने के लिए आवेदनकर्ता को जिन बाधाओं को पार करना होता है, उन्हें देखते हुए, भले ही आवेदन 'स्वीकृति योग्य' पाया जाता है, स्वीकृति-पूर्व विरोधियों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या को स्वीकार करना संभव नहीं है।
>
> XXX XXX XXX
>
> **64.** धारा 43 की उपरोक्त व्याख्या और अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों को अपनाते हुए इस न्यायालय ने एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया)) लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2008) 13 एस.सी.सी. 30, पैरा 137 और 139 में

उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखा है, जो हालांकि कॉपीराइट अधिनियम के संदर्भ में की गई हैं, लेकिन वर्तमान मामलों में भी लागू हो सकती हैं:

> **"137.** इसके अलावा, अदालत विधि की व्याख्या करते समय खुद को उचित विधायिका की कुर्सी पर रखेगी, सभी क़ानूनों को उचित माना जाना चाहिए। यह अब एक सामान्य नियम है कि जब यह बेतुकी बात की ओर ले जाती है तो शाब्दिक व्याख्या से बचा जाना चाहिए।
> **139.** हालाँकि, इस मामले में, विधि का अर्थ न तो स्पष्ट है और न ही समझदारी भरा है। यह एक ऐसा क़ानून है जहाँ उद्देश्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता है। यह ऐसा मामला है जहाँ उप-धारा (2) को उस उद्देश्य के लिए खंड (क) तक सीमित रखा जाना चाहिए। विधि की व्याख्या की जानी चाहिए। यह अनुचित अंतर्वेशन का मामला नहीं है, जिससे विधायी मंशा का प्राथमिक उद्देश्य समाप्त हो जाए। क़ानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाना समीचीन है। यह स्वयं कहता है कि सिलवटों को दूर किया जा सकता है। उक्त कार्य करते समय, न्यायालय का प्रयास प्रावधानों को एक अर्थ देना होगा न कि इसे अनुचित बनाना।
>
> **65.** यह न्यायालय, उपर्युक्त कारणों से, यह मानता है कि अधिनियम की धारा 43 (1) के प्रयोजनों के लिए, पेटेंट उस तारीख को 'स्वीकृत' किया जाता है जिस दिन नियंत्रक फ़ाइल पर उस आशय का अंतिम आदेश पारित करता है।"

19. इसके बाद श्री सिंह ने *"पेटेंट आवेदन की जांच"* से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की ओर लौटते हुए, निम्नलिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत किया। यह तर्क दिया गया कि पेटेंट आवेदन की जांच अधिनियम के अध्याय IV में दिए गए प्रावधानों और विशेष रूप से नियम 24ख, 28 और 28क सहपठित धारा 14 और 15 द्वारा नियंत्रित होता है। श्री सिंह के अनुसार, उपरोक्त प्रावधानों का समग्र पठन यह

स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि क़ानून में *"जांच की प्रक्रिया"* में विरोधी की सुनवाई या सहभागिता की परिकल्पना नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पेटेंट के स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए आवेदन की जांच नियंत्रक पर स्वतंत्र रूप से डाला गया क़ानूनी कर्तव्य है और इस प्रकार किसी विरोधी को सुनवाई का अवसर दिए जाने पर विचार नहीं करता है। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि आवेदन की जांच और उसके संबंध में प्रयोग की जाने वाली शक्ति और विवेकाधिकार विशेष रूप से नियंत्रक को प्रदान किया गया है और तथा उक्त प्रयोग आपत्तियों पर ध्यान दिए बिना किया जाएगा, चाहे वे आपत्तियां लगाई जाएं या नहीं। यह प्रस्तुत किया गया था कि जबकि विरोधी का अभ्यावेदन *"जाँच प्रक्रिया में सहायता"* के रूप में कार्य कर सकता है, वही नियंत्रक पर डाले गए स्वतंत्र कर्तव्य और दायित्व से अलग नहीं होते हैं कि वह संतुष्ट हो कि आवेदन स्वीकृति के योग्य है।

20. उपरोक्त पृष्ठभूमि में श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि विरोधी सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जहां नियंत्रक द्वारा पेटेंट आवेदन की स्वतंत्र जांच और मूल्यांकन पर संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। प्रस्तुतीकरण मूलतः यह था कि *पेटेंट आवेदन की जांच* एक स्व-निहित और स्व-निर्धारण प्रक्रिया है जिसे नियंत्रक द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, भले ही कोई पी.जी.ओ. दाखिल न किया गया हो। श्री सिंह के अनुसार, इससे यह स्थापित हो जाएगा कि

जाँच और विरोध प्रक्रियाओं के विलय का सिद्धांत, जैसा कि प्रचारित किया गया था, न केवल गलत है, बल्कि पूरी तरह से असमर्थनीय भी है।

21. आगे यह तर्क दिया गया कि *स्वीकृति-पूर्व विरोध* अधिनियम की धारा 25(1) में उल्लिखित आधारों तक ही सीमित है। हालांकि, यह आग्रह किया गया कि यह नियंत्रक के लिए अधिनियम की धारा 25(1) में निर्धारित आधारों के अलावा विभिन्न आधारों पर आवेदन की जांच और मूल्यांकन करने के लिए अभी भी अनिर्णीत रहेगा। श्री सिंह के अनुसार, यह भी *स्वीकृति-पूर्व विरोध* के क़ानूनी आशय को रेखांकित करेगा, जिसे केवल *जांच प्रक्रिया* को सुविधाजनक बनाने या सूचित करने के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है।

22. श्री सिंह ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि संशोधन अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले, धारा 25(1) में परिकल्पना की गई थी कि *"कोई हितबद्ध व्यक्ति"* उसमें निर्धारित आधारों पर पी.जी.ओ. दायर कर सकता है। धारा 117क में पी.जी.ओ. की अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार परिकल्पित किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2005 के आधार पर ही कानून *"स्वीकृति-पूर्व"* और *"स्वीकृति-पश्चात विरोध"* कार्यवाही को विभाजित किया है। नतीजतन, जबकि पी.जी.ओ. को धारा 25 (1) के तहत *"किसी भी व्यक्ति"* द्वारा रखा जा सकता है, *स्वीकृति-पश्चात विरोध* केवल "हितबद्ध व्यक्ति" द्वारा उठाया जा सकता है। श्री सिंह के अनुसार, धारा 25(1) के तहत परिकल्पित कार्यवाहियों का दायरा, जैसा

कि इसके संशोधन के बाद है, इस प्रकार उस विचार को विश्वसनीयता प्रदान करेगा जो पी.जी.ओ. के *यू.सी.बी. फार्चिम* में व्यक्त किया गया था, जो केवल *जांच की सहायता* में था, जबकि ऐसी कार्यवाहियों को प्रतिकूल माना जा सकता है।

23. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 117क, जैसा कि 2005 में संशोधन के बाद है, अब धारा 25 के तहत पारित किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करती है और जो विरोध के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकती है। श्री सिंह ने उल्लिखित किया कि अपील करने का अधिकार केवल अब उन आदेशों तक ही सीमित है जो धारा 25(4) के तहत नियंत्रक द्वारा पारित किए जा सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि अधिनियम अब किसी पी.जी.ओ. की अस्वीकृति के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, विधायिका ने *किसी भी हितबद्ध व्यक्ति के लिए स्वीकृति-पश्चात विरोध* का उपाय प्रदान किया है और जो पेटेंट के स्वीकृति से प्रभावित हो सकता है। चूंकि वह उपचार और निवारण का मार्ग विधिवत संरक्षित है, श्री सिंह तर्क दिए कि यह न केवल हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में बनाई गई एक हितकारी सुरक्षा है, बल्कि चुनौती के अधिकार की भी पर्याप्त रूप से रक्षा करता है। श्री सिंह के अनुसार, यह दोहरा अवसर जो किसी *हितबद्ध व्यक्ति* को प्राप्त है, अधिनियम की बड़ी स्कीम का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य पेटेंट के शीघ्र स्वीकृति के उद्देश्य को संतुलित करना है और उन अधिकारों को सुरक्षित करना है

जिसका दावा प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं और जो *स्वीकृति-पश्चात विरोध* के द्वारा स्वीकृति को रद्द करने की मांग कर सकते हैं।

24. श्री सिंह ने आगे कहा कि *यू.सी.बी. फरचिम* ने पी.जी.ओ. के संदर्भ में अधिनियम की स्कीम की जांच करते हुए इसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों पर ध्यान दिया है: -

क. पेटेंट शीघ्रता से दिया जाना चाहिए।

ख. कई बाधाएँ जिसे पेटेंट प्राप्तकर्ता को पेटेंट देने से पहले दूर करना पड़ता है।

ग. धारा 25(2) के निबंधनानुसार विरोधी के अधिकार को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है।

घ. क्रमिक विरोधों से बचने की अनिवार्यता केवल स्वीकृति में देरी करने करने पर ही आती है।

ङ. नियंत्रक को सभी स्वीकृति-पूर्व विरोधों और धारा 15 के तहत आवेदन का निपटान करने के लिए एक साथ आदेश तैयार करने का क़ानूनी दायित्व है।

च. स्वीकृति-पूर्व विरोध केवल जाँच में सहायक है।

छ. अस्वीकृति की स्थिति में स्वीकृति-पूर्व विरोधी के पास स्वीकृति के बाद विरोध उठाने का उपाय है;

ज. विधायी आशय और नीति को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है।

यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त पहलू भी अपीलार्थी के तर्क की स्वीकृति की गारंटी देंगे।

25. नियम 55 में बनाए गए प्रावधानों पर आगे बढ़ते हुए, श्री सिंह ने यह प्रस्तुत किया कि विरोधी को केवल इसलिए सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाता है क्योंकि नियम 55(3) के तहत विरोध का प्रस्ताव हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियंत्रक द्वारा नियम 55(5) के अनुसार आवेदनकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद ही कार्यवाही का विरोध किया जाता है और सुनवाई का अधिकार अस्तित्व में आता है। श्री सिंह ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि विरोधी और आवेदनकर्ता की सुनवाई के बाद भी नियंत्रक के लिए यह विकल्प खुला है कि वह या तो स्वीकृति-पूर्व अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दे या पेटेंट दिए जाने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए संपूर्ण विनिर्देश में संशोधन की मांग करे या पेटेंट देने से ही इनकार कर दे। उपरोक्त के आलोक में श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि नियंत्रक द्वारा स्वीकृति-पूर्व अभ्यावेदन को अस्वीकार करने पर भी, यह *स्वयंमेव ही* पेटेंट को स्वीकृति की ओर नहीं ले जाता है। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नियंत्रक पी.जी.ओ. को अस्वीकार करने के बावजूद इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि

पेटेंट आवेदन या तो अस्वीकृत किए जाने के योग्य है या या उसकी राय है कि उसकी संतुष्टि के लिए पेटेंट आवेदन में संशोधन किए जाने चाहिए। श्री सिंह के अनुसार, नियंत्रक के कार्य का यह हिस्सा जांच के क़ानूनी कर्तव्य के निर्वहन में है जो उस प्राधिकारी पर लगाया गया है और *विरोध प्रक्रिया* से अलग है।

26. श्री सिंह ने आगे कहा कि नियम 55(5) में सन्निहित विधायी आदेश नियंत्रक को सभी पी.जी.ओ. के साथ-साथ आवेदन को निपटान करने का आदेश देता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वह तर्क दिए कि विरोधी को केवल *विरोधी कार्यवाही* में सुनवाई का अधिकार है जो अधिनियम की धारा 25(1) सहपठित नियम 55(5) के तहत है, क्योंकि धारा 14 कार्यवाही में सुनवाई के अधिकार का विरोध करता और जो नियंत्रक द्वारा की जाने वाली *जांच प्रक्रिया* से संबंधित है।

27. उन्होंने आगे तर्क दिया गया कि विरोधी केवल विरोध के आधारों के संबंध में सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है और जिस पर नियम 55(3) के अनुसार नोटिस जारी किया गया जा सकता है। उपरोक्त नियम के तहत नोटिस जारी करने से आवेदनकर्ता को नियम 55(4) के अनुसार अपना उत्तर कथन दाखिल करके तथा साक्ष्य प्रस्तुत करके आपत्ति का प्रतिवाद करने का अधिकार मिल जाता है। यह, यह भी इंगित करेगा कि एक बार जब विरोधी को विरोध के

आधार पर सुना जा चूका है, तो विरोधी को सुनवाई का अवसर दिए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और न ही कानून ऐसे अधिकार का समर्थन करेगा।

28. संशोधन की प्रक्रिया से निपटने के लिए आगे बढ़ते हुए, श्री सिंह ने हमारे विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियंत्रक की संतुष्टि के लिए विनिर्देश में संशोधन करने का निर्देश उस प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में निहित शक्ति के आधार पर प्रयोग किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियंत्रक का अपनी संतुष्टि के लिए संशोधन करने का निर्देश वह है जो अधिनियम की धारा 57(6) द्वारा शासित है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, संशोधन का निर्देश अनिवार्य रूप से एक शक्ति है जिसका प्रयोग नियंत्रक जाँच के दौरान कर सकता है। यही उपरोक्त कारण है कि नियंत्रक के ऐसे संशोधन और निर्देश स्वैच्छिक संशोधनों से अलग और भिन्न आधार पर रखे गए हैं जो आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं और अधिनियम की धारा 57(6) को पढ़ने पर उपरोक्त स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है। श्री सिंह ने कहा कि धारा 57(1) और 57(6) अलग और असंबद्ध आकस्मिकताओं से संबंधित हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जबकि पहला संशोधन आवेदनकर्ता द्वारा मांगे गए स्वैच्छिक संशोधनों से संबंधित है, दूसरा संशोधन उन संशोधनों से संबंधित है जिन्हें आवेदनकर्ता नियंत्रक द्वारा तैयार किए जा सकने वाले निर्देशों के अनुसार करने के लिए बाध्य है। श्री सिंह के अनुसार, यह भी स्पष्ट रूप से उन

विभिन्न मार्गों इंगित करता है, जिसका पालन करने के लिए क़ानून में ऐसे संशोधनों की परिकल्पना की गई है।

29. श्री सिंह द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि *जांच प्रक्रिया* के परिहार और दायरे को अधिनियम की धारा 14 से और स्पष्ट किया जा सकता है और जो नियंत्रक को अकेले आवेदनकर्ता को नोटिस पर रखने के लिए बाध्य करता है। श्री सिंह के अनुसार, अधिनियम की धारा 14 भी किसी विरोधी को सुनवाई का अवसर देने पर अनुध्यात नहीं करती है। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि **हरियाणा पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम विलोवुड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड** में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय से कानून में उपरोक्त स्थिति मजबूत होती है, जहां विरोधी के अधिकारों पर निर्णय देते हुए, अदालत ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः -

> "**3.** प्रथम जांच रिपोर्ट (एफ.ई.आर.) पेटेंट और डिजाइन उप नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, दिल्ली द्वारा 20-7-2020 को जारी की गई थी और इस जांच रिपोर्ट का जवाब दाखिल करने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने उसी पर आपत्ति दर्ज कराई है।
>
> **4.** प्रत्यर्थीगण द्वारा फॉर्म 13 दिनांक 18-9-2019 को पुनः दायर किया गया था, जिससे उनके दावों को 1-27 से संशोधित कर 1-25 कर दिया गया; संशोधित दावे संशोधित रिट याचिका के पृष्ठ 89 और 90 पर दिए गए हैं।
>
> **5.** याचिकाकर्ता को इन संशोधित दावों के संबंध में सुनवाई की अनुमति दी गई और यह 13-1-2020 को समाप्त हुआ। दोनों पक्षकार को लिखित प्रस्तुति दायर करने का निर्देश दिया गया। प्रत्यर्थीगण ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों की एक प्रति

याचिकाकर्ता को और एक प्रति नियंत्रक को भेजी। हालाँकि, बाद में 27-1-2020 को याचिकाकर्ता के पीछे, प्रत्यर्थीगण ने पुनः अपने दावों को 1-25 से संशोधित कर 1-19 करने की मांग की, लेकिन इस तरह के संशोधन आवेदन/लिखित प्रस्तुतियों की प्रति याचिकाकर्ता को कभी नहीं दी गई और न ही कोई फॉर्म 13 दाखिल किया गया था। इसके बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

XXX XXX XXX

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने *नियॉन लैबोरेटरीज (पी) लिमिटेड बनाम ट्रोइका फार्मा लिमिटेड* को संदर्भित किया जिसमें अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

> "43. इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 25(1) में दिया गया अवसर निस्सार औपचारिकता नहीं है। विधायिका ने अपने विवेक में विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को पेटेंट के स्वीकृति पर आपत्ति जताते हुए लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का अधिकार प्रदान किया है और यह विशिष्ट आधारों को उठाकर किया जाना है। प्रावधान में आधार भी गिने गए हैं। एक बार जब विधायिका ने जनहित में इस तरह की सुरक्षा तैयार कर ली है और स्वीकृति-पूर्व विरोध के लिए प्रावधान किया है, तो उस तरीके को भी निर्धारित किया है जिसके द्वारा उसका निपटान किया जाना है, तो हम उक्त प्रावधान पर एक संकीर्ण व्याख्या नहीं कर सकते हैं ताकि विधायी जनादेश को पराजित किया जा सके। श्री कदम द्वारा किया गया यह अंतर कि अवसर केवल मूल आवेदन की सामग्री तक ही सीमित है और आगे सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रयोग को अर्थहीन बनाता है और तब धारा 25(1) को पराजित करना बहुत आसान होगा। इस संदर्भ में, यह समझना चाहिए कि धारा 25(1) के तहत विरोध "पेटेंट की स्वीकृति" के लिए है। स्वीकृति उस ओर से किए गए आवेदन पर है, जिसे स्वयं विधिवत प्रकाशित किया गया है। यदि अ स्वीकृति का विरोध किया जाता है, तो जब तक इसका निपटान नहीं किया जाता, तब तक कोई पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। यदि मूल दावा/आवेदन में संशोधन किया जाता है, जैसा कि इस मामले में किया गया है, और संशोधनों का भी विरोध किया जाता है, तो संशोधित दावों पर आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यदि विशेष

रूप से अनुरोध किया जाता है। यह धारा 25(1) और नियम 55 की स्कीम है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और साथ-साथ पठन किया जाना चाहिए।

52. हमारे विचार में, इस मामले में, इस पहलू की अधिक विस्तार से जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कार्यवाही को इस हद तक दूषित कर देगा कि अंतिम आदेश अमान्य हो जाए। जहाँ तक हमारी अदालतों का संबंध है, तो सुस्थापित विचार यह है कि यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, तो आदेश प्रक्रियात्मक रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए, अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रस्त है। इस तरह की त्रुटि को ठीक करने की आवश्यकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए दी गई है। इसलिए, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस मामले में आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में कोई अधिकार पैदा नहीं करता है और इसलिए पेटेंट के स्वीकृति को वैध नहीं कहा जा सकता है।

54. श्री कदम का यह तर्क कि पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया गया है और पर्याप्त अवधि बीत चुकी है, इसलिए भी, प्रत्यर्थी 1 ने स्वीकृति को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से आवेदन किया है और उसे 29 देशों के लिए पेटेंट दिया गया है; हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। यह तर्क कि प्रक्रियात्मक नियम प्रतिवादी 1 जैसे व्यक्तियों के लिए आवेदन करने और पेटेंट की मांग करने में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, भी कोई सहायता नहीं कर सकता है। एक बार जब हम पाते हैं कि क़ानूनी आदेश का उल्लंघन और अतिक्रमण किया गया है, तो प्रत्यर्थी 1 को नुकसान होगा यदि समय को पीछे करना पड़ा, तो यह वास्तव में कोई जवाब नहीं है। श्री कदम तब प्रस्तुत किए कि हमें स्वीकृति को अपास्त नहीं करना चाहिए, भले ही हम यह निष्कर्ष निकाल लें कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना जारी किया गया है। दूसरे शब्दों में, पेटेंट नियंत्रक को मामले को वापस भेजते समय हमें प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में दिए गए पेटेंट को बाधित नहीं करना

चाहिए क्योंकि इसके व्यापार संचालन पर गंभीर परिणाम होंगे। हम इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यदि स्वीकृति कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता है क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करने से दूषित होता है, तो दिए गए पेटेंट को जारी रखने से, प्राधिकारियों की अवैधता को बढ़ावा मिलेगा। यह कभी भी विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें विद्वान महाधिवक्ता की इस याचिका को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।"

XXX XXX XXX

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने *बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड बनाम पेटेंट नियंत्रक* में तर्क दिया था, जिसमें नियंत्रक ने याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना आक्षेपित आदेश पारित करने से दो दिन पहले दावों में संशोधन की अनुमति दी थी, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन है और *एच.आई.वी./एड्स के साथ रहने वाले लोगों के लिए भारतीय नेटवर्क बनाम भारत संघ* (मद्रास) (डीबी) में भी, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"55. स्वीकृति के बाद के चरण में उपचार को स्वीकृति से पहले के चरण में उपचार के बराबर नहीं माना जा सकता है। स्वीकृति-पूर्व चरण में सुनवाई के अवसर की अपर्याप्तता को स्वीकृति-पश्चात के चरण में अवसर प्रदान करके ठीक नहीं किया जा सकता है। चूँकि क़ानून ने दोनों चरणों में उपचार दिया है, इसलिए इसे दोनों चरणों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक, दूसरे का विकल्प नहीं हो सकता है। अनुचित विचारण को एक निष्पक्ष अपील द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम एल.के. रत्ना देखें)"।

XXX XXX XXX

25. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 14 के तहत नियंत्रक द्वारा दिनांक 20-6-2019 की प्रथम जांच रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों के अनुसरण में 1-27 से 1-25 दावों में संशोधन किया गया। हालांकि, नियंत्रक ने अपनी आपत्तियों को जारी रखा; आपत्तियों की सुनवाई के साथ-साथ स्वीकृति-पूर्व विरोध के लिए

नियंत्रक द्वारा जारी दिनांक 25-11-2019 की सुनवाई के नोटिस के द्वारा दोनों पक्षकार को सूचित किया। इस प्रकार संशोधित दावे 1-25 और बाद में 1-19 पेटेंट अधिनियम के नियम 55(5) सहपठित धारा 15 के तहत नियंत्रक के निर्देशों के अनुसार जाँच रिपोर्ट दिनांक 20-6-2019 और सुनवाई नोटिस दिनांक 25-11-2019 के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे। कोई फॉर्म 13 जमा नहीं किया गया था। अन्यथा भी, प्रपत्र 13 जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियम 55(5) सहपठित धारा 15 के तहत अपनी शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए नियंत्रक के निर्देशों के अनुसार संशोधन किया गया था।

26. चूंकि संशोधन नियंत्रक के कहने पर और धारा 14 के तहत आवेदन की जांच के दौरान किए गए थे, इसलिए नियंत्रक द्वारा याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने संशोधित दावों 1-25 पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई जब उसने दिनांक 28-1-2020 पर अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। संशोधित दावे 1-25 दोनों पक्षकार को जारी किए गए दिनांक 25-11-2019 के सुनवाई नोटिस का विषय थे, जिसमें नियंत्रक की आपत्ति के साथ-साथ स्वीकृति-पूर्व विरोध की सुनवाई तय की गई थी।

27. <u>पेटेंट अधिनियम, 1970 और पेटेंट नियम, 2003 में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई हैः (क) किसी आवेदनकर्ता द्वारा विनिर्देश या पेटेंट दस्तावेज में किया जाने वाला स्वैच्छिक संशोधन; और (ख) नियंत्रक द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए विनिर्देश में किया जाने वाला अपेक्षित संशोधन।</u> स्वैच्छिक संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 57(1) और 57(2) में उल्लिखित है, जिसमें पेटेंट नियम, 2003 की पहली अनुसूची की तालिका I की प्रविष्टि 20 के द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ फॉर्म 13 के नियमों के नियम 81 और 82 में निर्धारित तरीके से आवेदन दाखिल करना शामिल है। ऐसी प्रक्रिया धारा 14, 15 और नियम 55(5) के तहत पेटेंट देने से पहले जारी नियंत्रक के निर्देश का पालन करने के लिए विनिर्देश में किए गए संशोधन पर लागू नहीं होती है।

XXX XXX XXX

32. इस प्रकार, विरोध के दौरान किया गया संशोधन नियंत्रक के कहने पर आवश्यक संशोधन से अलग आधार पर है। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के मामले में आक्षेपित आदेश को न केवल एक संशोधन के कारण बल्कि गुणागुण के आधार पर भी अपास्त कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आक्षेपित आदेश: (क) बिना किसी तर्क के था; और (ख) संशोधन में दावे का दायरा बढ़ाया गया था क्योंकि मोटाई की सीमा 0.025-05% से 0.05-0.25% तक बढ़ा दी गई थी। हालाँकि, इस मामले में दावों का दायरा कम/विलय कर दिया गया है। इसलिए मेरे विचार से 1-25 से 1-19 तक दावे को कम करने से याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ है।"

30. श्री सिंह ने आगे कहा कि जिन निर्णयों को प्रत्यर्थीगण द्वारा सहायता के लिए दबाव डाला गया था, अर्थात्, **बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड बनाम पेटेंट उप-नियंत्रक और अन्य** और **नियॉन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्रोइका फार्मा लिमिटेड** भी स्पष्ट रूप से अलग हैं, क्योंकि दोनों स्वैच्छिक संशोधनों से संबंधित थे और इस प्रकार अधिनियम की धारा 57(1) के संदर्भ में हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय को *यू.सी.बी. फार्चिम, माइलान लैबोरेटरीज और स्नेहलता गुप्ते* में लिए गए विचार की पुष्टि करनी चाहिए और दोहराना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि विरोधाभासी दृष्टिकोण की स्वीकृति पेटेंट आवेदकों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेगी, *जांच प्रक्रिया* को

पूरी तरह से पटरी से उतार देगी और पेटेंट आवेदनों के त्वरित निपटान के अंतर्निहित विधायी उद्देश्य के खिलाफ होगी।

31. श्री सिंह ने तब कहा कि जबकि अपीलकर्ता आवेदनकर्ता द्वारा पेश किए जाने वाले स्वैच्छिक संशोधनों के मामले में विरोधी के पक्ष में सुनवाई के अधिकार को स्वीकार करता है, वही संभवतः उन कार्यवाहियों में भाग लेने के अधिकार तक विस्तारित नहीं हो सकता है जो आवेदन को संशोधित करने के लिए नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए निर्देशों से उत्पन्न हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि नियंत्रक ने अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 नवंबर 2022 को अपीलार्थी को नोटिस जारी किया था कि वह 3 नवंबर 2022 को पी.जी.ओ. पर सुनवाई समाप्त होने के बाद अपनी संतुष्टि के लिए दावों में कुछ संशोधन करे। श्री सिंह ने बताया कि नियंत्रक ने अपीलार्थी से दावे 4 और 5 को हटाने के लिए कहा और इस प्रकार 02 दिसंबर 2022 को सुनवाई निर्धारित की गई। उस सुनवाई की समाप्ति पर, नियंत्रक ने कुछ संशोधनों के साथ दावे 4 और 5 को बनाए रखने की अनुमति दी। संशोधित कथित दावे 4 और 5 अंततः अपीलार्थी द्वारा 05 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किए गए थे। इस लंबी और कठिन यात्रा की परिणति पर ही अंततः 14 दिसंबर 2022 को आवेदन स्वीकृत किया गया।

32. श्री सिंह ने तर्क दिया कि नियंत्रक ने 14 दिसंबर 2022 के आदेश को पारित करते समय उठाए गए सभी विरोधों को विधिवत ध्यान में रखा था। श्री सिंह ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जैसा कि आक्षेपित आदेश को पढ़ने से ही स्पष्ट है कि, नियंत्रक के निर्णय का गुणागुण एक ऐसा पहलू है जिसे न तो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था और न ही उस पर बहस की गई थी। वास्तव में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, एकल न्यायाधीश ने स्वयं नियंत्रक द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के गुणागुण का मूल्यांकन करने से परहेज किया था और इस प्रकार कार्यवाही के दायरे को केवल नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन तक सीमित कर दिया था। श्री सिंह के अनुसार, यह स्वयं रिट याचिका पर विचार नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति के पास स्वीकृति-पश्चात विरोध करने का एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय था।

33. जहाँ तक हस्तक्षेपकर्ता डॉ. कंचन कोहली द्वारा प्रस्तुत पी.जी.ओ. का संबंध है, श्री सिंह ने बताया कि 3 नवंबर 2022 को पी.जी.ओ. की सुनवाई के समापन के बाद इसे प्रस्तुत किया गया था। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि पी.जी.ओ. पर सुनवाई के एक दिन बाद उस विरोध को दाखिल करना स्पष्ट रूप से उस हस्तक्षेपकर्ता के दुर्भावनापूर्ण और गुप्त उद्देश्यों का प्रमाण देता है और अपीलकर्ता के इस दावे को बल देता है कि उसका मुख्य उद्देश्य नियंत्रक को आवेदन की

तिथि से 16 वर्ष बीत जाने के बाद और 20 वर्ष की अवधि में से केवल चार वर्ष शेष होने पर भी आदेश पारित करने से रोकना था। श्री सिंह ने आगे बताया कि उक्त विरोध को देर से दायर किए जाने के बावजूद, नियंत्रक ने पूरी निष्पक्षता से इस पर ध्यान दिया और पाया कि डॉ. कंचन कोहली ने वही आधार उठाए हैं जो अन्य विरोधियों ने उठाए थे। उन आपत्तियों की, किसी भी अवस्था में, नियंत्रक द्वारा विधिवत जांच और मूल्यांकन किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री सिंह प्रस्तुत किए कि नियंत्रक ने अधिनियम के साथ-साथ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम किया था और अपीलार्थी द्वारा आवेदन में अपनी संतुष्टि के लिए संशोधन करने के लिए सहमत होने के बाद पेटेंट आवेदन को मंजूरी दी थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि नैटको को अपने विरोध को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था और जिसे नियंत्रक द्वारा पूरे दो दिनों तक चली सुनवाई में विचार किया गया और सुना गया। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में नैटको द्वारा उठाई गई चुनौती प्रकट अन्याय जांच को भी संतुष्ट नहीं करती है और जो अकेले संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देता है। श्री सिंह ने खेद व्यक्त किया कि स्वीकृति पहले से ही पूरे 20 साल के कार्यकाल में से 16 साल से अधिक की देरी हो चुकी है, जिसका दावा

अपीलार्थी और आक्षेपित आदेश द्वारा किया जा सकता था, जिससे इसके प्रति अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा होता है।

ङ. नैटको की प्रस्तुतियाँ

34. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साई दीपक ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। श्री साई दीपक ने प्रस्तुत किया कि जिस क्षण कोई पी.जी.ओ. दायर किया जाता है और विरोधी प्रतिस्पर्धा में उतरता है, विरोधी कार्यवाही मिल जाती है और *वाद* विरोधात्मक हो जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उनका यह प्रस्तुति है कि विरोधी को कार्यवाही के हर चरण में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त न केवल अधिनियम की क़ानूनी स्कीम के अनुरूप होगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप भी होगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 25(1) के निबंधनानुसार बनाई गई विंडो विरोधी को स्वीकृति के चरण तक किसी भी समय पी.जी.ओ. जमा करने में सक्षम बनाती है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इसलिए, *जांच प्रक्रिया* के दौरान नियंत्रक द्वारा सुझाए गए संशोधनों से विरोधी को बाहर रखने या अलग रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। श्री साई दीपक ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि पी.जी.ओ. आवेदनकर्ता को अधिनियम की धारा 117क के तहत अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह प्रत्यर्थीगण के इस

कथन का समर्थन करता है कि सभी विरोधियों को *जांच प्रक्रिया* के हर पहलू में भाग लेने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। श्री साई दीपक ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि *यू.सी.बी. फरचिम* ने धारा 117क में प्रावधान की गई अपील के आभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेशों का पता लगाया था जो पी.जी.ओ. और आवेदनकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 15 में दिए जा सकते हैं। उपरोक्त संदर्भ में यह तर्क दिया गया था कि यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि धारा 25(1) की कार्यवाही धारा 15 के साथ मिल गई है और इस प्रकार अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई विपरीत तर्क को अस्वीकार किया जा सकता है। श्री साई दीपक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि सभी संशोधन, चाहे वे आवेदनकर्ता द्वारा स्वप्रेरणा से किए गए हों या नियंत्रक द्वारा निर्देशित हों, आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। श्री साई दीपक के अनुसार यह नियंत्रक द्वारा तैयार की जा सकने वाली कार्यवाही में भाग लेने के लिए विरोधी के अधिकार का एक अतिरिक्त तत्व होगा।

35. तब नियम 55 (1-क) में निहित प्रावधानों पर आगे बढ़ते हुए श्री साई दीपक ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रावधान में कहा गया है कि इसके प्रकाशन की तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले कोई पेटेंट नहीं दिया जाएगा। श्री साई दीपक के अनुसार उपरोक्त विंडो का निर्माण विरोधी को विरोध के द्वारा अपना अभ्यावेदन दायर करने में सक्षम बनाने और पेटेंट के स्वीकृति का विरोध

करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। श्री साई दीपक के अनुसार, ये सभी कदम क़ानूनी रूप से *पेटेंट आवेदन की जांच* में नियंत्रक की सहायता करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

36. यह प्रस्तुत किया गया था कि नियम 55(3) नियंत्रक को उस अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य करता है जो विरोधी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उस पर नोटिस जारी करने के लिए यदि उसकी राय में उक्त अभ्यावेदन विचार करने योग्य मुद्दों को उठाता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि नियंत्रक अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद यह राय बनाता है कि आवेदन को अस्वीकार करने या पूर्ण विनिर्देश में संशोधन का निर्देश दिए जाने के लिए कोई मामला बनाया गया है, तो आवेदनकर्ता को नोटिस जारी करें। न्यायालय को नियम 55 में परिकल्पित विभिन्न कदमों के द्वारा समझाते हुए, श्री साई दीपक ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि नियंत्रक अभ्यावेदन के संबंध में जो जांच करता है वह व्यापक है और इसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना शामिल होगा जैसे कि अभ्यावेदन जिसमें विरोधी द्वारा दायर कथन और साक्ष्य, पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियाँ तथा आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए जा सकने वाले कथन और साक्ष्य शामिल होते हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त सभी बातों पर विचार करने के पश्चात ही नियंत्रक अंततः अभ्यावेदन को अस्वीकार करता है अथवा वैकल्पिक रूप से पेटेंट प्रदान किए जाने अथवा

अस्वीकार किए जाने से पूर्व अपनी संतुष्टि के लिए पूर्ण विनिर्देश तथा अन्य दस्तावेजों में संशोधन करने की मांग करता है। यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब तक पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक पी.जी.ओ जीवित रहता है और परिणामस्वरूप विरोधी को कार्यवाही के प्रत्येक चरण में भाग लेने का अधिकार होता है।

37. यह प्रस्तुत किया गया था कि नियम 55(5) *"पक्षकारगण को सुनने के बाद"* अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। श्री साई दीपक के अनुसार बहुवचन में उपरोक्त शब्दों को अपनाना भी जांच की विरोधात्मक प्रकृति का संकेत होगा और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी अन्य विरोधात्मक स्वरूप के वाद पर लागू होने वाले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, विषयगत कार्यवाही पर समान बल के साथ लागू होते हैं।

38. श्री साई दीपक ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि नियम 55 के अनुसार नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत सामग्री को विचार से बाहर रखा जाता है, तो अधिनियम की धारा 15 में निहित संशोधन की आवश्यकता की शक्ति का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। प्रस्तुति अनिवार्य रूप से यह था कि इस प्रश्न पर निर्णय कि क्या किसी विनिर्देश में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, नियम 55(3) और 55(5) के तहत की गई जांच से अटूट रूप से जुड़ा होगा। श्री साई दीपक के अनुसार, यह भी उस कानून की पुनरावृत्ति है जो *जांच प्रक्रिया* के सभी चरणों में विरोधी को पक्षकार

बनाए जाने के अधिकार को मान्यता देता है। श्री साई दीपक ने प्रस्तुत किया कि पेटेंट कानून के संशोधन पर **अयंगर समिति की रिपोर्ट** में की गई टिप्पणियों से नैटको द्वारा दावा किए गए सह-भागिता के अधिकार को और मजबूत किया गया है और जिसने पेटेंट के स्वीकृति द्वारा सुरक्षित एकाधिकार और दूसरी ओर लोक हित के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला था। श्री साई दीपक ने उस रिपोर्ट के निम्नलिखित अंशों पर जोर दियाः -

> "**210.** मोटे तौर पर कहा गया है कि जाँच कार्यवाही जाँचकर्ता द्वारा की गई जांच का विस्तार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विरोध की कार्यवाही में कुछ आधार अनिर्णीत होते हैं जो जाँचकर्ता द्वारा जांच का विषय नहीं हैं, उदाहरण के लिए पूर्व सार्वजनिक उपयोगकर्ता का आधार लेकिन ये केवल विस्तार के मामले हैं। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि यू.के. के पेटेंट कानून के इतिहास से पता चलता है कि जांच के लिए नए मामले, और अनिवार्य रूप से विरोध के लिए समय-समय पर जोड़े गए हैं और जांच या विरोध के दायरे को कम करने की विपरीत दिशा में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं इस इतिहास के आलोक में समिति के प्रस्ताव को प्रतिगामी मानता हूं। मैं इस स्तर पर 1949 के पेटेंट अधिनियम द्वारा यू.के. में विरोध के आधारों के विस्तार का उल्लेख कर सकता हूं जिसके द्वारा "स्पष्टता" या "विषय-वस्तु की कमी" के आधार पर आपत्ति लाई गई थी। यह स्वान समिति की सिफारिशों की स्वीकृति पर आधारित था। अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने उन्हें दिए गए अभ्यावेदन का उल्लेख किया कि "विषय-वस्तु" को समझने के लिए विरोध के आधारों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इन अभ्यावेदनों की शक्ति को स्वीकार किया और स्वयं को इस प्रकार व्यक्त कियाः- "पेटेंट प्रदान करना, भले ही इसे बाद में रद्द कर दिया गया हो, किसी ऐसी चीज के लिए जिसके पास स्पष्ट रूप से कोई

आविष्कारशील योग्यता नहीं है, जो प्रथम दृष्टया सार्वजनिक नीति के विपरीत है और पेटेंट कानून के उद्देश्य के विपरीत है, जिसका उद्देश्य हमेशा सामान्य औद्योगिक विकास पर अनुचित प्रतिबंध लगाए बिना वास्तविक आविष्कारों को प्रोत्साहित करना रहा है। इसके खिलाफ, उन लोगों द्वारा यह आग्रह किया जाता है जो इस दिशा में नियंत्रक की शक्तियों के किसी भी विस्तार पर आपत्ति करते हैं, कि इस तरह की कार्यप्रणाली के जारी रहने से बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता है। हम इस अभिवाक की सच्चाई से आश्वस्त नहीं हैं। हमने जो साक्ष्य सुना है, वह हमें इस तथ्य से संतुष्ट करता है कि लोग इस जोखिम से विचलित हैं कि उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही में प्रतिवादी को इतना गंभीर खर्च हो सकता है कि वह पेटेंट को चुनौती देने से रोक सके। इस प्रकार, एक स्पष्ट रूप से अमान्य पेटेंट एक दुर्जेय निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, और एक निर्माता को अनुसंधान को आगे बढ़ाने, या निर्माण के तरीकों में सुधार को अपनाने से हतोत्साहित कर सकता है जिसमें कला में अनुभवी लोगों की सामान्य तकनीक और कौशल के अनुप्रयोग के अलावा और कुछ नहीं शामिल है। "प्रमुख औद्योगिक देशों के पेटेंट कार्यालयों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन और हॉलैंड के पेटेंट कार्यालयों के पास पेटेंट के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने की शक्ति है, जो उनकी राय में विषय-वस्तु की कमी है.... कई गवाहों ने यह विचार व्यक्त किया है कि उन देशों के पेटेंट कार्यालयों द्वारा दिए गए पेटेंट जो नवीनता के लिए व्यापक जांच करने के अलावा, विषय-वस्तु के प्रश्न को ध्यान में रखते हैं, उनकी वैधता मूल्य अधिक है और इसलिए उन देशों में दिए गए पेटेंट की तुलना में वाणिज्यिक शोषण की अत्यधिक संभावना होती है जहां विषय-वस्तु के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता है.... संयोग से यह देखा जा सकता है कि नवीनता के लिए जांच, जो आज हमारी पेटेंट प्रणाली की एक स्वीकृत और मूल्यवान विशेषता है, जब पहली बार 1900 की फ्राय समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई थी, तो कई गवाहों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था क्योंकि यह एक महंगा और खतरनाक नवाचार हो सकता है.... हमारी सिफारिश के तार्किक परिणाम के रूप में कि

नियंत्रक के पास विषय-वस्तु की कमी के आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, यह इस प्रकार है कि उसे विरोध कार्यवाही में उसी आधार पर पेटेंट की स्वीकृति को अस्वीकार करने की भी शक्ति होनी चाहिए।

XXX XXX XXX

213. जिन मामलों में विरोध दर्ज किया जाता है, पेटेंट की स्वीकृति में आवश्यक रूप से देरी होगी, लेकिन सवाल उस लाभ को संतुलित करने का है जो एक सफल विरोध से जनता को प्राप्त होता है जो एक संभावित अमान्य पेटेंट को समाप्त करता है और कानूनी रूप से पेटेंट योग्य आविष्कार के लिए आवेदनकर्ता को होने वाली असुविधा या कठिनाई को विरोध के कारण जल्दी से मुहरबंद नहीं किया जाता है। इस पर विचार करते हुए यह ध्यान में रखना होगा कि कानून के तहत पेटेंटी के अधिकार पूर्ण विनिर्देश के प्रकाशन से शुरू होते हैं, हालांकि पेटेंट दिए जाने तक उल्लंघन के लिए वाद दायर नहीं किया जा सकता है। एक को दूसरे के खिलाफ स्थापित करने के बाद, दुनिया के अधिकांश देशों में पेटेंट कानूनों ने, जो जाँच प्रणाली का पालन करते हैं, लोक हितों के लिए अनुकूल विरोध का प्रावधान किया है और मैं भारत में इस नियम के अनुप्रयोग के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कोई शर्त नहीं देख पा रहा हूं। मेरा मानना है कि समिति के विचार उन मान्यताओं से काफी प्रभावित थे, जिनमें से कोई भी मुझे अच्छी तरह से स्थापित नहीं लगता– पहला, कि बहुत बड़ी संख्या में आवेदनों का विरोध किया गया था; दूसरा, कि उनमें से अधिकांश, यदि सभी नहीं तो, असफल रहे और तीसरा, ये विरोध दुर्भावनापूर्ण थे, और इस प्रक्रिया का उपयोग प्रामाणिक आवेदकों को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था, विशेष रूप से कम संसाधनों वाले लोगों के लिए, यह धारणा कि जिन पक्षकारगण ने विरोध किया वे अमीर निगम थे जिन्होंने अपने विरोध को वापस लेने के लिए एक आधार के रूप में अनुचित रियायतों की मांग करके पेटेंट के तत्काल स्वीकृति को अवरुद्ध कर दिया। मुझे समिति को सौंपे गए किसी भी ज्ञापन से विरोध की कार्यवाही की दुर्भावनापूर्ण उपयोग के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।"

39. विद्वान अधिवक्ता ने तब प्रस्तुत किया कि विरोधी द्वारा दायर पी.जी.ओ. पर प्रभाव डालने वाले आवेदन की कोई भी जांच संभवतः नियंत्रक द्वारा विरोधी को नोटिस दिए बिना नहीं की जा सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के अधिनियम के अभाव में स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को छोड़कर, प्रक्रिया और निष्पक्षता के उन अंतर्निहित नियमों को पूरी ताकत के साथ लागू करने के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। श्री साई दीपक ने 12 जुलाई 2022 को पारित निर्णय में उल्लिखित निम्नलिखित टिप्पणियों से भी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया:-

> "19. हालाँकि, स्वीकृति-पूर्व विरोध कार्यवाही और पेटेंट आवेदन की एक साथ जांच के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति भी नहीं हो सकती है जहाँ स्वीकृति-पूर्व विरोधी को जांच प्रक्रिया में होने वाले घटनाक्रम के बारे में अंधेरे में रखा जाय। उदाहरण के लिए, जब आवेदनकर्ता द्वारा संशोधन दायर किए जाते हैं, तो संशोधन की अनुमति देने या अस्वीकार करने पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि इस बारे में पारदर्शिता और स्पष्टता हो कि नियंत्रक द्वारा किन दावों पर विचार किया जा रहा है। संशोधनों के संबंध में लघु और संक्षिप्त आदेश पारित किया जाना चाहिए जिसे पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि सभी संबंधित लोगों को संशोधन पर निर्णय के बारे में पता चल सके। किसी भी स्थिति में, यदि कोई संशोधन स्वीकृति-पूर्व विरोध के लंबित रहने के दौरान किया जा रहा है, तो संशोधन पर निर्णय स्वीकृति-पूर्व विरोधी को भी भेजा जाना चाहिए। कभी-कभी संशोधन टेबल पर सुनवाई के दौरान भी किए जाते हैं, जब आवेदनकर्ता का पेटेंट एजेंट नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में भाग लेता है। ऐसे परिदृश्य में, नियंत्रक को उक्त संशोधनों की जांच

करनी चाहिए और आवेदनकर्ता को निर्णय से अवगत कराना चाहिए, और यदि विरोधी मौजूद है, तो विरोधी को भी।

40. आगे यह तर्क दिया गया कि पूर्व उल्लिखित क़ानूनी प्रावधानों के लिए दी जाने वाली व्याख्या और विरोधी द्वारा दावा किए जाने वाले अधिकारों पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा **नियॉन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम ट्रोइका फार्मा लिमिटेड और अन्य** में व्यापक रूप से विचार किया गया और स्पष्ट किया गया। श्री साई दीपक ने उस निर्णय के निम्नलिखित अंशों पर जोर दियाः

> "**43.** अतः, यह स्पष्ट है कि धारा 25(1) में प्रदान किया गया अवसर एक खाली औपचारिकता नहीं है। विधायिका ने अपने विवेकाधिकार से किसी भी व्यक्ति को पेटेंट के स्वीकृति पर आपत्ति जताते हुए लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का अधिकार विशेष रूप से प्रदान किया है और और ऐसा विशिष्ट आधारों को उठाकर किया जाना चाहिए। प्रावधान में आधार भी गिने गए हैं। एक बार जब विधायिका जनहित में इस तरह की सुरक्षा तैयार कर लेती है और स्वीकृति-पूर्व विरोध के लिए प्रावधान किया है, तो उस तरीके को भी निर्धारित किया है कैसे इसका निपटान किया जाना है, तो हम उक्त प्रावधान की एक संकीर्ण व्याख्या नहीं कर सकते हैं ताकि विधायी जनादेश को पराजित किया जा सके। श्री कदम द्वारा दिया गया यह भेद कि अवसर केवल मूल आवेदन की सामग्री तक ही सीमित है और आगे सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्यप्रणाली को अर्थहीन बनाता है और तब धारा 25(1) को पराजित करना बहुत आसान होगा। इस संदर्भ में, यह अवश्य समझना चाहिए कि धारा 25(1) के तहत विरोध "पेटेंट की स्वीकृति" के लिए है, स्वीकृति उस ओर से किए गए आवेदन पर है, जो स्वयं विधिवत प्रकाशित किया गया है। यदि स्वीकृति का विरोध किया जाता है, तो जब तक इसका निपटान नहीं किया जाता, तब तक कोई पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। यदि मूल दावा/आवेदन में

संशोधन किया जाता है, जैसा कि इस मामले में किया गया है, और संशोधनों का भी विरोध किया जाता है, तो संशोधित दावों पर आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यदि विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है। यही धारा 25(1) और नियम 55 की स्कीम है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और एक साथ पढा जाना चाहिए।

44. यदि नियंत्रक केवल मूल आवेदन की विषय-वस्तु पर स्वीकृति का विरोध करने वाले व्यक्ति की बात सुनने के लिए बाध्य है, तो सुनवाई की आवश्यकता, यदि अनुरोध की जाती है, तो निरस्त हो जाएगी। जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, आवेदनकर्ता प्रारंभिक सुनवाई के बाद मूल आवेदन में संशोधन करता रहेगा, पेटेंट ऐसे संशोधित दावों के आधार पर दिया जाएगा और वह भी स्वीकृति पर आपत्ति या विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति की पीठ के पीछे। दूसरे शब्दों में, नियंत्रक आवेदनकर्ता से आवेदन में संशोधन करने या विस्तृत विनिर्देश प्रदान करने के लिए कह सकता है। कि वह मूल आवेदन की सामग्री और उसी का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की ओर आवेदनकर्ता का ध्यान आकर्षित करके ऐसा कर सकता है। नियंत्रक से इस तरह के संसूचना के अनुपालन में, मूल आवेदनकर्ता तुरंत मूल आवेदन में संशोधन का सेट प्रस्तुत कर सकता है और दस्तावेजों के द्वारा विनिर्देशों को भी आगे भेज सकता है। स्वीकृति का विरोध करने वाले व्यक्ति को नियंत्रक द्वारा उठाए गए ऐसे कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। यदि स्वीकृति संशोधित दावों के आधार पर दिया जाता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। यदि श्री कदम के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस तरह के अनुक्रम पर आपत्ति करने का एकमात्र अवसर धारा 25(2) के अनुसार स्वीकृति के निरसन के लिए आवेदन करना है। हालाँकि, प्रतिसंहरण भी प्रतिबंधित है और प्रतिसंहरण के आधार धारा 25 (2) के उपखंड (क) से (ट) में निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, यह आरोप लगाना कि पेटेंट गलत तरीके से प्राप्त किया गया था और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए, धारा 25(1) में विचारित कोई अवसर नहीं है। यह अवसर स्वीकृति से पहले का है। धारा 25(2) के तहत स्वीकृति को

उसी आधार पर निरस्त किया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा और बिना किसी और चीज के, यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों के लिए संशोधित विनिर्देशों के आधार पर स्वीकृति को चुनौती देने के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय धारा 25(2) के संदर्भ में निरसन के लिए आवेदन करना है। तथ्यों के आधार पर हमारे सामने नियंत्रक द्वारा यह विवादित नहीं है कि संशोधन मूल आवेदन में किया गया था। याचिकाकर्ता ने जवाबी शपथपत्रों और आगे के शपथपत्रों के द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि वास्तव में मूल दावे से विचलन था। मूल और संशोधित दावों के बीच, प्रत्युत्तर के साथ संलग्न बयान में जो अंतर बताया गया है, वह यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के पास संशोधित दावों की सामग्री को पूरा करने का कोई अवसर नहीं था।

XXX XXX XXX

52. हमारे विचार में, इस मामले में, इस पहलू की अधिक विस्तार से जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कार्यवाही को इस हद तक दूषित कर देगा कि अंतिम आदेश अमान्य हो जाए। जहाँ तक हमारे न्यायालयों का संबंध है, स्थापित दृष्टिकोण यह है कि यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, तो आदेश प्रक्रियात्मक रूप से अधिकारातीत है और इसलिए, अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रस्त है। इस तरह की त्रुटि को ठीक करने की आवश्यकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए दी गई है। इसलिए, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस मामले में आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में कोई अधिकार पैदा नहीं करता है और इसलिए पेटेंट के स्वीकृति को वैध नहीं कहा जा सकता है।

41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब भी किसी आवेदनकर्ता द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, चाहे वह स्वैच्छिक हो या नियंत्रक के निर्देश के अनुसार किया गया हो, तो इसके लिए विरोधी को विरोध करने का उचित अवसर देने की आवश्यकता होगी और कोई भी संशोधन जो विरोधी को बिना किसी सूचना के स्वीकृति देने की दिशा में आगे बढ़ता है, to नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तथ्यों पर श्री साई दीपक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि 25 नवंबर 2022 के नोटिस को बारीकी से पढ़ने से यह स्थापित होगा कि नियंत्रक को किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी और जो आपत्तियां उठाई गई थीं, वे अधिनियम की धारा 2(1)(ञ) और 3(घ) के संबंध में थीं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वैच्छिक रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उन संशोधनों के विपरीत जिन्हें नियंत्रक ने अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अनिवार्य रूप से किया हो। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 57 और 59 स्पष्ट रूप से आकर्षित थीं और विरोधियों को बिना किसी सूचना के संशोधनों की स्वीकृति एक ऐसी प्रक्रिया थी जो स्पष्ट रूप से अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से रद्द कर दी गई थी। श्री साई दीपक ने हरियाणा पेस्टीसाइडस में न्यायालय द्वारा दिए गए

निर्णय को इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए अलग करने की भी मांग की कि उस मामले में आवेदनकर्ता द्वारा किए गए संशोधन नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में थे।

42. नैटको के कारण हुए नुकसान को रेखांकित करते हुए, श्री साई दीपक ने प्रस्तुत किया कि 05 सितंबर 2022 को हुई सुनवाई में आठ दावे थे जिनमें से दावा 4 दावा 1 में दावा किए गए कथित आविष्कार के क्रिस्टलीय रूप से संबंधित थे जबकि दावा 5 एक उपयोग दावा था। यह प्रस्तुत किया गया था कि 14 दिसंबर 2022 को दावों में संशोधन होने के बाद, दावा 4 को हटा दिया गया था। हालाँकि, श्री साई दीपक के अनुसार, अस्वीकरण के रूप में दावा 1 के लिए कोई संबंधित संशोधन पेश नहीं किया गया था। उपरोक्त संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि क्रिस्टलीय रूप अभी भी दावा 1 के दायरे में बना हुआ है, इसलिए नियंत्रक की आपत्ति और अधिनियम की धारा 3(घ) पर रोक अभी भी दूर नहीं हुई थी। श्री साई दीपक ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का यह निवेदन कि दावा 4 को हटाना दावा 1 के दायरे को प्रभावित नहीं करता है और इस प्रकार कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से गलत है और प्रत्यर्थी के प्रमुख तर्क की अज्ञानता में दावा किया गया है कि उसे दावा 4 को हटाने और दावा 1 में संबंधित सीमा के अभाव के संबंध में नियंत्रक के समक्ष अपने विचार

प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में श्री साई दीपक ने हमसे अपील को खारिज करने का आग्रह किया है।

च. भारतीय औषधीय गठबंधन का रुख

43. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित होते हुए, भारतीय औषधीय गठबंधन, श्री नायर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत कीं। श्री नायर ने प्रारंभ में ही उल्लिखित किया कि पी.जी.ओ. पर सुनवाई पूरी होने और आदेश सुरक्षित रहने के बाद निर्विवाद रूप से अधिनियम की धारा 14 के तहत नियंत्रक द्वारा नोटिस जारी किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि यह अपने आप में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और क़ानूनी आदेश के विपरीत प्रक्रिया को अपनाने का प्रमाण था। श्री नायर ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भले ही अधिनियम की धारा 14 की कठोरता से व्याख्या की जाय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के लिए आवश्यक होगा कि सभी संशोधित दावों को विरोधियों के ध्यान में लाया जाए और इस प्रकार उन्हें नियंत्रक के विचार के लिए अतिरिक्त आपत्तियां रखने का अवसर दिया जाए। श्री नायर के अनुसार पी.जी.ओ. की कार्यवाही को संदर्भ और अर्थ प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए, नियंत्रक के लिए विरोधियों को नोटिस देना अनिवार्य था।

44. श्री नायर का यह प्रस्तुति कि अपीलकर्ता द्वारा स्वैच्छिक संशोधनों और नियंत्रक द्वारा निर्देशित संशोधनों के बीच जो अंतर करने की कोशिश की गई है,

वह न केवल कृत्रिम है, बल्कि गलत और तर्कहीन भी है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन से संबंधित त्वरित घटना की परवाह किए बिना विरोधी को सुनवाई का अवसर देने का औचित्य एक ही है। श्री नायर ने तर्क दिया कि जब तक विरोध की कार्यवाही पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक विरोधी को आपत्ति करने का मौका दिए बिना संशोधन के किसी भी दावे को संभवतः स्वीकार या निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

45. श्री नायर ने उपरोक्त पंक्तियों पर प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हुए पेटेंट अधिनियम, 1949 के संदर्भ में इंग्लैंड में अपील अधिकरण द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। श्री नायर ने सबसे पहले **गॉटफ्राइड रॉयटर के पेटेंट एप्लीकेशन** का उल्लेख किया। हम उस निर्णय से नीचे दिए गए निम्नलिखित अंश उद्धृत करना उचित समझते हैं:

> "संशोधन निश्चित रूप से पूरी तरह से विवेकाधिकार का विषय है। मेरे विचार में इस तरह की परिस्थितियों में किसी भी अधिकरण के लिए नए संशोधनों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना पूरी तरह से गलत होना चाहिए जब तक कि सभी संबंधित पक्षकारगण को नए संशोधनों के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का पूरा अवसर नहीं दिया गया है, जिसमें निश्चित रूप से कार्यवाही का स्थगन शामिल हो सकता है और इसमें जुर्माने के रूप में कुछ शर्तों को लागू करना शामिल हो सकता है। सुनवाई में अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए कम प्रतिबंधित संशोधनों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना मेरे विचार में काफी गलत था।

वास्तव में अधीक्षण जाँचकर्ता ने पाया कि ये संशोधन उन कारणों से स्वीकार्य नहीं थे जो मैंने पहले ही बताए हैं। मुझसे एकमात्र विरोधी ने पूछा है जिसने अपने फैसले को बरकरार रखने के लिए अपील पर तर्क दिया। हालाँकि मैं इस व्यापक आधार पर इस अपील को अस्वीकार करने जा रहा हूँ, कि किसी आवेदनकर्ता को उस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना कभी भी गलत होगा जिस तरह से इस आवेदनकर्ता ने वास्तव में आगे बढ़ा। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि उन्होंने स्वयं इस बात की सराहना की कि पहली बार में कठिनाइयाँ थीं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कुछ न्याय के साथ, कि उन्हें सशर्त स्वीकृति ने शर्मनाक स्थिति में डाल दिया था। सशर्त स्वीकृति के बाद और सुनवाई से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मामला बिना शर्त का हो गया था, जहां तक उनका और अन्य विरोधियों का संबंध था, और मुझे नहीं लगता कि सभी परिस्थितियों में उन्हें अधिक सीमित दावे से पीछे हटने की अनुमति देना आवश्यक रूप से सही होता, जो उन्होंने मूल रूप से प्रतिकथन में प्रस्तुत किया था। हालांकि मैं इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि विवेकाधिकार के मामले में यह मेरे लिए पूरी तरह से गलत होगा कि अपील पर उन्हें कम प्रतिबंधित संशोधन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए, जिसे वे अब सुरक्षित करना चाहते हैं, और इस आधार पर मैं उनकी अपील को खारिज करता हूं।

तब यह प्रश्न अवश्य ही उठने वाला है कि यह मामला आगे कैसे बढ़ेगा। यह हो सकता है कि इस निर्णय और अंतरिम निर्णय पर आगे विचार करने के बाद-आवेदनकर्ता को इस बात पर विचार करने में सक्षम होना चाहिए कि वह आगे क्या संशोधन करना चाहता है-आवेदनकर्ता कुछ सीमित संशोधन पेश करेगा, जो मूल संशोधन से कम से कम 40 सीमित नहीं होगा, जो उन्होंने अपने प्रतिकथन में पेश किया था जो आई.सी.आई. को स्वीकार्य साबित होगा और संभवतः, जितना मैं दूसरे विरोधी को बता सकता हूं। हो सकता है कि वह कोई और रास्ता अपनाना चाहे। लेकिन मैं केवल यही कहूंगा। जहाँ तक आई.सी.आई. की स्थिति का संबंध है, मैं मानता हूँ कि वे अभी

भी इस अपील के विरोधी हैं और जब तक कि इसके बाद आवेदनकर्ता कुछ सीमित संशोधन प्रस्तुत नहीं करता है जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यदि सुनवाई को किसी अन्य आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए जो उन्हें लगता है कि परिस्थितियों की आवश्यकता है। इसी तरह अगर मामले को कुछ व्यापक आधार पर आगे बढ़ाना है तो विरोधियों फारबेनफैब्रिकेन बेयर को पुनर्विचार करने और यदि आवश्यक हो तो उनके द्वारा पहले से दायर किए गए साक्ष्य को विस्तृत करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।"

46. श्री नायर ने **मैन्सफेल्ड हटन-कोम्बिनैट के एप्लीकेशन** का भी उल्लेख किया जिसके प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:-

"इसके बाद सुनवाई अधिकारी के लिए पूर्व प्रकाशन और स्पष्टता की आपत्तियों की जांच करना आवश्यक हो गया, और आवेदन के आगे के अभियोजन में समय और प्रयास की बचत करने की प्रशंसनीय इच्छा के साथ, उन्होंने विनिर्देश को उन पांच मामलों में वैचारिक रूप से संशोधित माना, जिसे उन्होंने अनुमोदित किया था, लेकिन, संशोधन (3) को पूरी तरह से हटाने के बजाय, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने इसके लिए एक प्रतिबंध को प्रतिस्थापित किया जिसे उन्होंने शुरू किया था। इससे उन्हें संतुष्ट महसूस करने में सक्षम बनाया कि पूर्व प्रकाशन की आपत्ति को दूर कर दिया गया और, क्योंकि विरोधियों ने विनिर्देश के खिलाफ स्पष्टता की आपत्ति का तर्क नहीं दिया था जैसा कि यह मूल रूप से था, या जैसा कि आवेदकों ने इसे संशोधित करने की मांग की थी, उन्होंने विरोध के दोनों आधारों को खारिज करने में उचित महसूस किया।

<u>यह स्पष्ट है कि 'इसमें पक्षकारगण के प्रति अन्याय की संभावना निहित है, आवेदनकर्ता के लिए क्योंकि उसे एक संशोधन का</u>

> सामना करना पड रहा है जिसका वह स्वागत नहीं कर सकता है, और विशेष रूप से उस विरोधी के लिए जिसे 'इस नए प्रस्तावित संशोधन वाले विनिर्देश पर अपनी आपत्ति दर्ज करने का कोई अवसर नहीं मिला है, यह स्पष्ट है कि एक विरोधी अपने विरोध को खारिज करने से पहले स्वीकृति के लिए विचार किए जा रहे दस्तावेज़ के प्ररूप को जानने का हकदार है'। विशेष रूप से वर्तमान मामले में ऐसा है, क्योंकि, जैसा कि सुनवाई अधिकारी ने पाया, उद्धृत प्रकाशन से एकमात्र संभावित अंतर ऑक्सीजन युक्त गैस के स्पर्शिक परिचय में निहित था, ताकि नवीनता और आविष्कारशीलता की कमी की दोनों आपत्तियां आवश्यक रूप से इसे परिभाषित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन की प्रभावशीलता और इस तरह परिभाषित किए जाने पर अंतर के दायरे पर निर्भर होंगी।
>
> इन परिस्थितियों में, विरोधी की बर्खास्तगी, चाहे वह वास्तविक हो या सशर्त, को रद्द कर दिया जाना चाहिए। आगे के संशोधन के लिए आवेदन पर विचार करने के संबंध में सुनवाई अधिकारी के निर्देशों को अभी भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कार्यवाही के भविष्य की कार्यवाही के बारे में, सुनवाई अधिकारी ने उचित रूप से अपने लिए निर्णय सुरक्षित रखा है। बशर्ते कि इसमें एक सुनवाई शामिल हो जिसमें पक्षकार सटीक रूप से तैयार किए गए विनिर्देश के संबंध में विरोधी द्वारा उठाए गए मुद्दों को विकसित कर सकें, मुझे इसे पर्याप्त मानना चाहिए।

47. श्री नायर ने तब **वी.ई बी. पेंटाकॉन ड्रेसडेन कामेरा-उंड किनोवर्के एप्लीकेशन** में दिए गए निर्णय और तब की उल्लिखित निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके अपनी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने का प्रयास किया हैः-

> "जब प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, तो विरोधियों द्वारा उन पर टिप्पणी की गई।

> एक समय और दूसरे समय सुनवाई हुई और अंततः एक बिंदु पर पहुंचा गया जिस पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सुनवाई हुई, जिसे अधीक्षण जाँचकर्ता द्वारा निर्णय में कुछ संशोधनों के "वैचारिक रूप से समान" के रूप में वर्णित किया गया था, जिस पर उन्होंने अपना अंतिम निर्णय दिया था। यह बिलकुल स्पष्ट है, और वास्तव में आवेदकों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अंतिम निर्णय से पहले अंतिम सुनवाई में कोई सटीक संशोधन तैयार नहीं किया गया था, जो इस मुद्दे पर तर्क दिया जा सकता था कि क्या संशोधित विनिर्देश पूर्व प्रकाशन और स्पष्टता की आपत्तियों को दूर करेगा। इस मामले में विरोधियों की शिकायत यह है कि उन्हें वह अवसर नहीं दिया गया है जो उन्हें किसी भी अंतिम संशोधन से निपटने के लिए मिलना चाहिए था।"

48. यहाँ रुकना और ध्यान देना उचित होगा कि श्री नय्यर द्वारा उद्धृत निर्णय पेटेंट अधिनियम, 1949 के संदर्भ में दिए गए थे। हालाँकि, श्री नय्यर ने इस तथ्य को निष्पक्ष से स्वीकार किया कि तीसरे पक्षकार के विरोध से संबंधित व्यवस्था में स्वयं एक महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन हुआ है जो पेटेंट अधिनियम, 1977 के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट होगा। धारा 21(2) में निहित प्रावधान महत्वपूर्ण हैं और जो घोषणा करता है कि केवल टिप्पणियों को दाखिल करने से ऐसा आवेदनकर्ता ***"....नियंत्रक के समक्ष इस अधिनियम के तहत कार्यवाही का पक्षकार"*** नहीं बन जाएगा। हम उन प्रावधानों को उद्धृत करना उचित समझते हैं जिसका इस पहलू पर कुछ असर होगा: -

"19 स्वीकृति से पहले आवेदन में संशोधन करने की सामान्य शक्ति।

(1) किसी भी समय आवेदनकर्ता किसी आवेदन के अनुसरण में पेटेंट स्वीकृत किए जाने से पहले, निर्धारित शर्तों के अनुसार और नीचे दी गई धारा 76 के अधीन, अपनी इच्छा से आवेदन में संशोधन कर सकता है।

(2) नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए उसे आवेदन किए बिना, पेटेंट के लिए आवेदन में निहित विनिर्देश और सार में संशोधन कर सकता है ताकि एक पंजीकृत व्यापार चिह्न को स्वीकार किया जा सके।

21 पेटेंट योग्य (पेटेंटेबिलिटी) पर तीसरे पक्षकार द्वारा टिप्पणी।

(1) जहां पेटेंट के लिए आवेदन प्रकाशित किया गया है, लेकिन आवेदनकर्ता को पेटेंट नहीं दिया गया है, कोई अन्य व्यक्ति इस प्रश्न पर नियंत्रक को लिखित रूप में टिप्पणी कर सकता है कि क्या आविष्कार एक पेटेंट योग्य आविष्कार है, जिसमें टिप्पणियों के कारण बताए गए हैं, और नियंत्रक नियमों के अनुसार टिप्पणियों पर विचार करेगा।

(2) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में केवल इस कारण से पक्षकार नहीं बनता है कि वह इस धारा के तहत टिप्पणियां करता है।

27 स्वीकृति के बाद विनिर्देश में संशोधन करने की सामान्य शक्ति।

(1) इस धारा के निम्नलिखित प्रावधानों और नीचे दी गई धारा 76 के अधीन रहते हुए, नियंत्रक, पेटेंट के मालिक द्वारा किए गए आवेदन पर, पेटेंट के विनिर्देश को ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जो वह उचित समझता है।

(2) इस धारा के तहत ऐसे किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अदालत या नियंत्रक की कार्यवाही के समक्ष लंबित हैं जिसमें पेटेंट की वैधता जारी की जा सकती है।

(3) इस धारा के तहत पेटेंट के विनिर्देश का संशोधन प्रभावी होगा और यह हमेशा पेटेंट के स्वीकृति पर प्रभावी माना जाएगा।

(4) नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए उसे आवेदन किए बिना, पेटेंट के विनिर्देश में संशोधन कर सकता है ताकि एक पंजीकृत ट्रेड व्यापार चिह्न को स्वीकार किया जा सके।

(5) कोई व्यक्ति किसी पेटेंट के मालिक द्वारा इस धारा के अंतर्गत किए गए आवेदन के प्रति अपने विरोध की सूचना नियंत्रक को दे सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो नियंत्रक मालिक को इसकी सूचना देगा तथा आवेदन स्वीकृत करने के बारे में निर्णय लेने में विरोध पर विचार करेगा।

(6) इस धारा के तहत आवेदन की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते हुए नियंत्रक को यूरोपीय पेटेंट समझौते के तहत लागू होने वाले किसी भी प्रासंगिक सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा।

49. श्री नायर ने तब कहा कि विरोधियों द्वारा जांच की कार्यवाही के समापन में देरी करने का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है और पक्षपात का तर्क है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, स्वयं अपीलार्थी द्वारा मांगे गए कई संशोधनों के कारण स्वीकृति पर विचार करने में देरी हुई थी और मुकदमे के पिछले दौर में इन तथ्यों पर विधिवत ध्यान दिया गया था। 12 जुलाई 2022 को दिए गए निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि पेटेंट के स्वीकृति में हुई देरी के लिए दोनों पक्षकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित कई संशोधनों के कारण देरी में योगदान करने के लिए समान रूप से दोषी था। किसी भी मामले में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार अयंगर रिपोर्ट ने स्वयं देरी पर ध्यान दिया था जो पेटेंट आवेदन की जांच के दौरान होने की संभावना है। हालांकि, श्री नायर के अनुसार हितकारी उद्देश्य जो विरोध प्रक्रिया

को रेखांकित करता है, कहीं अधिक बड़ा है और स्पष्ट रूप से पेटेंट आवेदन पर विचार करने के दौरान व्यतीत किए जाने वाले समय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

50. **नैटको फार्मा बनाम भारत संघ** में एकल न्यायाधीश के निर्णय को श्री नायर ने इसमें की गई टिप्पणियों पर प्रकाश डाला, और जहां विद्वान न्यायाधीश को यह देखने का अवसर मिला था कि एक पी.जी.ओ. और एक पेटेंट आवेदन की एक साथ जांच के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां स्वीकृति-पूर्व विरोध को *जांच प्रक्रिया* में होने वाले घटनाक्रम के संबंध में अंधेरे में रखा जाय। श्री नायर के अनुसार, *जांच प्रक्रिया* से संबंधित सभी पहलुओं में विरोधी की भागीदारी भी पारदर्शिता और स्पष्टता में सहायता करेगी और इस प्रकार नियंत्रक को सही और उचित निर्णय पर पहुंचने में सहायता करेगी।

ALKA MA'AM

51. तथ्यों के आधार पर, श्री नायर ने कहा कि विरोधियों को संशोधनों के एक विशेष समूह का विरोध करने का अवसर प्रदान करना और उसके बाद एकतरफा सुनवाई आयोजित करना संभवतः स्वीकार्य नहीं है और इस प्रकार न्यायालय यह मानने में न्यायसंगत होगा कि वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। श्री नायर ने नियम 55 और विशेष रूप से इसके उप-नियम (3), (4) और (5) पर भी बहुत अधिक भरोसा किया और कहा कि पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधान विधायी इरादे के संकेत हैं कि पीजीओ दायर किए जाने के बाद

और अंततः इसका निपटारा होने तक प्रतिद्वंद्वी को सभी घटनाक्रमों से अवगत कराया जाए। श्री नायर ने नियम 55(4) पर जोर दिया और इसमें सभी फाइलिंग की प्रतियों को प्रतिद्वंद्वी को प्रदान किए जाने की भी परिकल्पना की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने नियम 55(5) में निहित प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला और जो नियंत्रक को प्रस्तुतियों पर विचार करने और पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अंतिम निर्णय लेने का आदेश देता है। श्री नायर के अनुसार, यह तथ्य कि नियंत्रक को सभी पीजीओ के साथ-साथ आवेदन पर भी एक साथ निर्णय लेना है, न्यायालय द्वारा विरोधी को नोटिस दिए जाने के अधिकार को मान्यता दिए जाने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।

52. संक्षेप में कहा जाए तो, श्री नायर ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी को नोटिस देने के नियंत्रक के दायित्व का परीक्षण विभिन्न आकस्मिकताओं की पृष्ठभूमि में किया जा सकता है जो जांच प्रक्रिया के दौरान हो सकती हैं। श्री नायर के अनुसार जहां कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, वहां वास्तव में नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, एक बार आपत्तियां दर्ज होने के बाद, प्रतिद्वंद्वी मैदान में उतर आते हैं और ऐसी आकस्मिकता में जांच प्रक्रिया के किसी भी घटक से उन्हें बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। श्री नायर ने आगे कहा कि धारा 57(3) में पेश किए गए संशोधनों का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि पीजीओ की प्रक्रिया बोझिल न हो जाए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि

किसी भी मामले में संशोधन उन लोगों के अधिकार को नहीं छीनता है जिन्होंने अधिनियम की धारा 25(1) के तहत पहले ही आपत्तियां दर्ज कर ली हैं।

छ. डॉ. कंचन कोहली द्वारा विरोध

53. डॉ. कंचन कोहली की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री राजेश्वरी ने हमारा ध्यान इस निर्विवाद तथ्य की ओर आकर्षित किया कि यद्यपि उक्त आवेदक ने दिनांक 04 नवंबर 2022 को आपत्तियां दर्ज की थीं, लेकिन आपत्तिकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि पीजीओ की सुनवाई दिनांक 03 नवंबर 2022 को समाप्त हो गई थी, लेकिन नियंत्रक ने धारा 14 के तहत केवल दिनांक 25 नवंबर 2022 को नोटिस जारी किया और उसके बाद अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05 दिसंबर 2022 को संशोधित दावे प्रस्तुत किए गए। सुश्री राजेश्वरी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि आवेदन अंततः दिनांक 14 दिसंबर 2022 को ही स्वीकृत हुआ। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस प्रकार नियंत्रक द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर देने का कोई औचित्य नहीं था।

54. सुश्री राजेश्वरी ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को स्वीकार करना अनिवार्य रूप से न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के बहिष्कार को मान्यता देने के बराबर होगा। उनका कहना था कि कानून वास्तव में इसके विपरीत आदेश देता है और उसने लगातार यह माना है

कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सभी वैधानिक प्रावधानों में शामिल किया जाना चाहिए, जब तक कि विधानमंडल उन्हें विशेष रूप से बाहर करने का निर्णय न ले।

ज. संशोधित धारा 57 का प्रभाव

55. यह ध्यान देना प्रासंगिक हो जाता है कि मौखिक प्रस्तुतियों के दौरान, धारा 57 में पेश किए गए संशोधनों के इर्द-गिर्द कुछ मुद्दे उठाए गए थे। जिस तरह से धारा 57 में समय-समय पर संशोधन किए गए, वह इस निर्णय के प्रस्तावना भागों में पहले ही देखा जा चुका है और इसलिए इसे यहाँ दोहराया नहीं जा रहा है।

56. हालांकि, श्री गुरुस्वामी नटराज ने कहा कि इस तरह से पेश किए गए संशोधनों के बावजूद, वे *जांच प्रक्रिया* के हर चरण में भाग लेने के किसी विरोधी के अधिकार को कम नहीं करेंगे। श्री नटराज ने कहा कि उस प्रावधान में 2005 में पेश किए गए संशोधनों में अंतर्निहित अनिवार्यताओं को समझने के लिए, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि असंशोधित अधिनियम एक प्रतिबंधात्मक कानून था और यह भारत की अपने पेटेंट कानून को संशोधित करने और इसे व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौते के ट्रिप्स अनुभाग के अनुरूप लाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं था। श्री नटराज ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि असंशोधित पेटेंट अधिनियम के तहत, स्वीकृत या संशोधित दावों के बारे में

जनता को स्वीकृति के विज्ञापन के बाद ही पता चलता है और इस प्रकार इसका विरोध केवल उसके बाद ही किया जा सकता है और वह भी केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। श्री नटराज के अनुसार, 1999 और 2005 के बीच पेश किए गए संशोधनों का उद्देश्य पेटेंट आवेदकों और तीसरे पक्ष के अधिकारों में संतुलन बनाना था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तनों से स्पष्ट होगा जो कि प्रस्तुत किये गये हैं:

> "क. सभी श्रेणियों की प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट संरक्षण प्रदान करना [धारा 5 को पूर्णतः हटा दिया गया]
>
> ख. दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष की पेटेंट सुरक्षा [धारा 53 (1), यूपीए]।
>
> ग. स्वचालित प्रकाशन, यानी, जिसे संरक्षित करने की मांग की गई है उसका विज्ञापन [धारा 11 क, यूपीए] - और इसमें बाद में सभी विवरण शामिल हैं, साथ ही किसी भी स्तर पर कोई भी दावा संशोधन, धारा 14 के तहत कोई भी परीक्षा रिपोर्ट, धारा 14 के तहत कोई सुनवाई नोटिस शामिल है और धारा 15, किसी भी प्रतिक्रिया जिसमें दावों आदि में कोई संशोधन शामिल है, प्रतिक्रिया में कोई विरोध दायर किया गया है आदि। [वास्तव में सभी मामले जो आधिकारिक फ़ाइल का हिस्सा हैं, नियंत्रक को धारा 14 के तहत परीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर सार्वजनिक थे [धारा 144, यूपीए और साथ ही धारा 145, यूपीए]। कृपया अनुलग्नक ग देखें - दिनांक 06.10.2023 का पेटेंट कार्यालय जर्नल - निष्कर्ष - जो अब प्रकाशित हुआ है उसके नमूने के रूप में इसके साथ प्रस्तुत किया गया है।
>
> घ. महत्वपूर्ण रूप से, जबकि उत्पाद पेटेंट पेश किए गए थे, सदाबहार के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी धारा 3 (घ), धारा 53 (4) आदि के माध्यम से पेश किए गए थे, और नियम 55 (मूल रूप से नियम 55

(1) से 55 (6), अब नियम 55 (1) से 55 (5)] में प्रक्रिया द्वारा विनियमित धारा 25 (झ) के तहत प्रीजीओ तंत्र की शुरूआत की गई थी।

ङ. समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि, जबकि पीओजीओ को "हितबद्ध व्यक्ति" तक सीमित किया गया था, ऐसी कोई सीमा नहीं है कि धारा 25(1) कार्यवाही के माध्यम से जांच के दौरान नियंत्रक/आईपीओ की सहायता कौन कर सकता है, अर्थात् प्रीजीओ में - यह "कोई भी व्यक्ति" हो सकता है।

57. श्री नटराज के अनुसार, उपरोक्त कारण से ही धारा 57(3) और (4) में अनुदान के बाद संशोधनों के प्रकाशन का उल्लेख है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानून अब किसी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर प्रस्तावित संशोधनों से अवगत होने का अधिकार प्रदान करता है। श्री नटराज के अनुसार, यह अधिकार पीजीओ सुनवाई समाप्त होने और आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद भी जारी रहेगा। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार धारा 57 की उप-धारा (3) और (4) में किए गए परिवर्तन केवल 18 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसके भीतर दावों को सार्वजनिक किया जाना है। श्री नटराज ने नियंत्रक द्वारा तैयार की गई कार्यवाही और 02 दिसंबर 2022 की सुनवाई नोटिस या अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए संशोधनों को अपलोड न करने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई। यह दलील दी गई

कि निर्विवाद रूप से उन दस्तावेजों को अंतिम निर्णय अपलोड होने के बाद ही सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था और इस प्रकार यह अधिनियम और नियमों के गंभीर उल्लंघन का सबूत है।

झ. जाँच प्रक्रिया

58. हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुतिकरणों पर ध्यान देने के बाद, हम सर्वप्रथम यह उचित समझते हैं कि हम इस कानून के अंतर्निहित सिद्धांतों, विधायी इतिहास तथा उन प्रमुख वैधानिक प्रावधानों पर विचार करें, जिनके आधार पर प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर दिया जाना है।

59. अधिनियम के अध्याय IV में आवेदनों के प्रकाशन और जांच से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 11क में निर्धारित किया गया है कि पेटेंट के लिए कोई भी आवेदन आम तौर पर निर्धारित अवधि के लिए जनता के लिए नहीं खोला जाएगा। धारा 11क (2) और 11क (3) के अनुसार, आवेदक धारा 11क की उप-धारा (1) के अनुसार निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय नियंत्रक से अपने आवेदन को प्रकाशित करने का अनुरोध करने में सक्षम है। उप-धारा (3) में बताई गई आकस्मिकताओं के अधीन, आवेदन प्रकाशित हो जाता है। धारा 11क (1) में बताई गई अवधि का निर्धारण नियम 24 और 24क द्वारा शासित होता है। नियम 24 में यह निर्धारित किया गया है कि जिस अवधि के लिए पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन आम तौर पर जनता के लिए

नहीं खोला जाएगा वह 18 महीने होगी। धारा 11क (2) के तहत परिकल्पित प्रकाशन के लिए अनुरोध उन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म 9 में किया जाना है। धारा 11क(5) में उन विवरणों का उल्लेख है जो विज्ञापन के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ होने चाहिए। अधिनियम की धारा 11क इस प्रकार है:

11क. आवेदन का प्रकाशन:-

(1) अन्यथा प्रावधान के सिवाय, पेटेंट के लिए कोई भी आवेदन सामान्यतः निर्धारित अवधि के लिए जनता के लिए खुला नहीं रहेगा।

(2) आवेदक, निर्धारित तरीके से, नियंत्रक से उप-धारा (1) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय अपना आवेदन प्रकाशित करने का अनुरोध कर सकता है और उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, नियंत्रक ऐसे आवेदन को यथासंभव शीघ्र प्रकाशित करेगा।

(3) पेटेंट के लिए प्रत्येक आवेदन उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रकाशित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां आवेदन -

(*क*) जिसमें धारा 35 के तहत गोपनीयता निर्देश लगाया गया है; या
(*ख*) धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत छोड़ दिया गया है; या
(*ग*) उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से तीन मास पूर्व वापस ले लिया गया है।]

(4) यदि धारा 35 के अधीन किसी आवेदन के संबंध में गोपनीयता निदेश दिया गया है, तो उसे उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात या जब गोपनीयता निदेश प्रभावी न रह जाए, जो भी बाद में हो, प्रकाशित किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन के प्रकाशन में आवेदन की तारीख, आवेदन संख्या, आवेदन की पहचान करने वाले आवेदक का नाम और पता तथा सार शामिल होगा।

(6) इस धारा के अंतर्गत पेटेंट के लिए आवेदन प्रकाशित होने पर-

(*क*) निक्षेपागार संस्था विनिर्देश में उल्लिखित जैविक सामग्री को जनता के लिए उपलब्ध कराएगी;

(*ख*) पेटेंट कार्यालय, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, ऐसे आवेदन के विनिर्देश और चित्र, यदि कोई हों, जनता के लिए उपलब्ध करा सकता है।

[(7) पेटेंट के लिए आवेदन के प्रकाशन की तारीख से लेकर ऐसे आवेदन के संबंध में पेटेंट प्रदान किए जाने की तारीख तक, आवेदक को वैसे ही विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि आवेदन के प्रकाशन की तारीख को आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किया गया हो:

बशर्ते कि आवेदक तब तक उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता है:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि दिनांक 1 जनवरी, 2005 से पहले धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत किए गए आवेदनों के संबंध में पेटेंटधारक के अधिकार पेटेंट प्रदान किए जाने की तारीख से अर्जित होंगे:

बशर्ते कि धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन किए गए आवेदनों के संबंध में पेटेंट प्रदान किए जाने के पश्चात् पेटेंट धारक केवल ऐसे उद्यमों से उचित रॉयल्टी प्राप्त करने का हकदार होगा, जिन्होंने पर्याप्त निवेश किया है तथा दिनांक 1 जनवरी, 2005 से पूर्व संबंधित उत्पाद का उत्पादन और विपणन कर रहे थे तथा जो पेटेंट प्रदान किए जाने की तिथि को पेटेंट के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का विनिर्माण जारी रखते हैं तथा ऐसे उद्यमों के विरुद्ध कोई उल्लंघन कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।"

60. जांच की प्रक्रिया आवेदक द्वारा निर्धारित तरीके से और अधिनियम की धारा 11ख के अनुसार किए गए अनुरोध पर शुरू होती है। अधिनियम की धारा 11ख यहां पुन: प्रस्तुत की गई है:

" 11- ख. परीक्षा के लिए अनुरोध-

(1) किसी पेटेंट के लिए आवेदन की तब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक आवेदक या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी जांच के लिए निर्धारित तरीके से अनुरोध नहीं करता है।

(2) [****]

(3) धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2005 से पहले दाखिल किए गए पेटेंट के दावे के संबंध में आवेदन के मामले में, आवेदक या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर इसकी जांच के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(4) यदि आवेदक या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति उप-धारा (1) 60[* * *] या उप-धारा (3) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर पेटेंट के लिए आवेदन की जांच के लिए अनुरोध नहीं करता है, तो आवेदन आवेदक द्वारा वापस लिया गया माना जाएगा:

बशर्ते:-

(i) आवेदक, आवेदन दाखिल करने के बाद किसी भी समय, लेकिन पेटेंट देने से पहले, निर्धारित तरीके से अनुरोध करके आवेदन वापस ले सकता है; और

(ii) ऐसे मामले में जहां धारा 35 के तहत गोपनीयता निर्देश जारी किया गया है, गोपनीयता निर्देश को निरस्त करने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर जांच के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

61. इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, नियंत्रक अधिनियम की धारा 12 के आधार पर, निर्धारित मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवेदन को परीक्षक को भेजता है। अधिनियम की धारा 12 निम्नलिखित शर्तों के तहत शामिल की गई है:

> **"12. आवेदन की जांच–**
> (1) जब धारा 11ख की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन निर्धारित तरीके से पेटेंट के लिए आवेदन के संबंध में जांच के लिए अनुरोध किया गया है, तो आवेदन और विनिर्देश और उससे संबंधित अन्य दस्तावेज नियंत्रक द्वारा परीक्षक को निम्नलिखित मामलों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए [शीघ्रतम] भेजे जाएंगे, अर्थात्:–
>
> (क) क्या आवेदन और उससे संबंधित विनिर्देश 65[और अन्य दस्तावेज़] इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम की आवश्यकताओं के अनुसार हैं;
>
> (ख) क्या आवेदन के अनुसरण में इस अधिनियम के अधीन पेटेंट दिए जाने पर आपत्ति का कोई विधिक आधार है;
>
> (ग) धारा 13 के तहत की गई जांच का परिणाम; और
>
> (घ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।
>
> (2) वह परीक्षक, जिसे आवेदन और विनिर्देश [और उससे संबंधित अन्य दस्तावेज] उप-धारा (1) के अधीन भेजे गए हैं, सामान्यतः नियंत्रक को ऐसी अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा, जो निर्धारित की जा सकती है।

62. उस संदर्भ के अनुसार और अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अनुसार, परीक्षक यह पता लगाने के लिए जांच करने के लिए बाध्य है कि क्या आवेदन

पिछले प्रकाशन या किसी पूर्व दावे के कारण पूर्वानुमान के विरुद्ध है। अधिनियम की धारा 13 यहाँ नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

> **"13. पूर्व प्रकाशन और पूर्व दावे के आधार पर प्रत्याशा की खोज करें-** वह परीक्षक जिसके पास धारा 12 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन भेजा जाता है, यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए जांच करेगा कि क्या आविष्कार, जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है-
>
> (क) भारत में किए गए पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर किसी विनिर्देश में आवेदक के पूर्ण विनिर्देश के दाखिल होने की तिथि से पहले प्रकाशन द्वारा प्रत्याशित किया गया है और दिनांक 1 जनवरी, 1912 को या उसके बाद दिनांकित है;
>
> (ख) आवेदक के पूर्ण विनिर्देशन के दाखिल करने की तारीख को या उसके बाद प्रकाशित किसी अन्य पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी दावे में दावा किया जाता है, जो भारत में किए गए पेटेंट के लिए आवेदन के अनुसरण में दायर विनिर्देशन है और उस तारीख से पहले की तारीख का है या उससे पहले की प्राथमिकता तारीख का दावा करता है।
>
> (2) परीक्षक, इसके अलावा, ऐसी जांच करेगा [* * *] यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या आविष्कार, जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी भी दावे में दावा किया गया है, भारत में या किसी अन्य दस्तावेज़ के अलावा अन्यत्र प्रकाशन द्वारा प्रत्याशित किया गया है आवेदक के पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की तारीख से पहले उप-धारा (1) में उल्लिखित हैं।
>
> (3) जहां एक पूर्ण विनिर्देश को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत [पेटेंट के अनुदान] से पहले संशोधित किया जाता है, संशोधित विनिर्देश की जांच और अन्वेषण मूल विनिर्देश के समान तरीके से की जाएगी।
>
> (4) धारा 12 और इस धारा के तहत आवश्यक जांच और अन्वेषण किसी भी तरह से किसी भी पेटेंट की वैधता की गारंटी नहीं मानी जाएगी, और केंद्र सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसी परीक्षा या जांच या उसके

परिणामस्वरूप किसी रिपोर्ट या अन्य कार्यवाही के कारण या उसके संबंध में कोई देयता नहीं ली जाएगी।

63. अधिनियम की धारा 14 में नियंत्रक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का उल्लेख है। यह प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में निहित है:

> **"14. नियंत्रक द्वारा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना-** जहां, पेटेंट के लिए आवेदन के संबंध में, नियंत्रक द्वारा प्राप्त परीक्षक की रिपोर्ट आवेदक के प्रतिकूल है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवेदन, विनिर्देश या अन्य दस्तावेजों में किसी भी संशोधन की आवश्यकता है, नियंत्रक, इसके बाद दिखाई देने वाले प्रावधानों के अनुसार आवेदन का निपटान करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, आवेदक को आपत्तियों का सार यथासंभव शीघ्रता से बताएगा और यदि आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो उसे सुनवाई का अवसर देगा।

64. जैसा कि धारा 14 को पढ़ने से स्पष्ट होगा, नियंत्रक आवेदक से उन आपत्तियों पर ध्यान देने की मांग कर सकता है जो देखी गई हों और जो प्रथम जांच रिपोर्ट का हिस्सा हों, साथ ही यदि एफईआर आवेदन या विनिर्देश और उसके साथ दिए गए अन्य दस्तावेजों में उचित संशोधन करने की सिफारिश करता है तो सुधारात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। धारा 14 के तहत परिकल्पित संशोधन के लिए निर्देश तैयार करने की शक्ति अनिवार्य रूप से परीक्षक की रिपोर्ट से आती है। हालांकि, और उससे स्वतंत्र, नियंत्रक धारा 15 के अनुसार आवेदन में संशोधन

करने का निर्देश दे सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसे संशोधन उचित हैं और आवेदक द्वारा उन निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप आवेदन को अस्वीकार करने से बचेंगे। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

> **"15. नियंत्रक की कुछ मामलों में आवेदनों आदि को अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति** - जहां नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन या उसके अनुसरण में दाखिल कोई विनिर्देश या कोई अन्य दस्तावेज इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, वहां नियंत्रक आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या आवेदन पर आगे बढ़ने से पहले, यथास्थिति, आवेदन, विनिर्देश या अन्य दस्तावेजों को अपने समाधानप्रद रूप में संशोधित करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसा न करने पर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।]"

65. आवेदनों की जांच नियम 24ख द्वारा विनियमित की जाती है जो आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, साथ ही नियम 28 जो मूल अधिनियम की धारा 12 और 13 में निहित प्रावधानों को विस्तृत और प्रतिध्वनित करता है। नियम 28 आवेदक को नियंत्रक द्वारा बताई गई किसी भी आपत्ति का विरोध करने और विनिर्देशों में संशोधन करने की आवश्यकता वाले निर्देश पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। नियम 28(2) के प्रावधान के अनुसार धारा 21(1) में निर्धारित अवधि से दस दिन पहले आपत्ति उठाने के इरादे की सूचना दी जानी चाहिए। नियम 28 के उप-नियम (3), (4) और (5) में प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका पालन उस स्थिति में किया जाना चाहिए जब उप-नियम (2) के

अनुसार सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाता है। नियम 28 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"28. पूर्व प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान के मामले में प्रक्रिया-

(1) यदि नियंत्रक धारा 13 के अधीन जांच के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में जहां तक दावा किया गया है, आविष्कार उक्त धारा की उप-धारा (1) के खंड (क) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी विनिर्देश या अन्य दस्तावेज में प्रकाशित हो चुका है, तो नियंत्रक विशिष्ट आपत्तियों का सार और उसका आधार आवेदक को बताएगा और आवेदक को अपने विनिर्देश में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) यदि आवेदक उप-नियम (1) के अधीन नियंत्रक द्वारा उसे भेजी गई किसी आपत्ति का विरोध करता है, या यदि वह अपने विनिर्देशन को अपनी टिप्पणियों के साथ पुनः दाखिल करता है कि विनिर्देशन में संशोधन किया जाना है या नहीं, तो उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, यदि वह ऐसा अनुरोध करता है:

बशर्ते कि ऐसा अनुरोध धारा 21 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि की अंतिम तिथि से दस दिन पहले की तिथि को किया जाएगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि सुनवाई के लिए अनुरोध को ऐसी छोटी अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे नियंत्रक मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

(3) यदि आवेदक आपत्तियों के सार के संचार की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उप-नियम (2) के तहत सुनवाई का अनुरोध करता है, या नियंत्रक ऐसा करना वांछनीय समझता है, चाहे आवेदक ने दोबारा आवेदन किया हो या नहीं उसके आवेदन पर, वह आवेदन को व्यवस्थित करने के लिए शेष अवधि या मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के लिए तुरंत तारीख और समय तय करेगा।

(4) आवेदक को ऐसी किसी भी सुनवाई के लिए दस दिन का नोटिस दिया जाएगा या ऐसा छोटा नोटिस दिया जाएगा जो नियंत्रक को मामले की परिस्थितियों में उचित लगे और आवेदक, जितनी जल्दी हो सके, नियंत्रक को सूचित करेगा कि क्या वह सुनवाई में भाग लेगा।

(5) आवेदक की सुनवाई के पश्चात्, या सुनवाई के बिना, यदि आवेदक उपस्थित नहीं हुआ है या उसने सूचित किया है कि वह सुनवाई नहीं चाहता है, नियंत्रक विनिर्देश में ऐसे संशोधन को निर्दिष्ट या अनुमति दे सकता है, जिसे वह उचित समझे, और तब तक [पेटेन्ट प्रदान करने] से इंकार कर सकता है, जब तक कि निर्दिष्ट या अनुमत संशोधन, निर्धारित अवधि के भीतर नहीं कर दिया जाता है।

(6) सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग या दृश्य-श्रव्य संचार उपकरणों के माध्यम से भी की जा सकती है:

बशर्ते कि ऐसी सुनवाई समुचित कार्यालय में हुई मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संचार उपकरण" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (जक) में निर्दिष्ट है।

(7) सुनवाई के सभी मामलों में, लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रासंगिक दस्तावेज, यदि कोई हों, सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर दायर किए जाएंगे।"

66. आवेदक को नियंत्रक द्वारा एफईआर की प्राप्ति के बाद उसे बताई गई किसी भी आपत्ति का विरोध करने का अधिकार भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में और नियम 28क के अनुसार आवेदक को नियम 28 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। विरोध करने का एक समान अवसर नियम 29 में संरचित है और यह अधिनियम की धारा 13 के अनुसार की गई जांच के परिणाम के अनुसार

लागू होता है। वास्तव में, नियम 29(2) के अनुसार नियंत्रक को पेटेंट के अनुदान को स्थगित करने और आवेदक को किसी भी आपत्ति को दूर करने के लिए दो महीने की अवधि देने का अधिकार दिया गया है। उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्थापित हो जाएगा कि जबकि वैधानिक व्यवस्था उन आपत्तियों या टिप्पणियों पर विचार करती है जो एफईआर के प्रस्तुतीकरण या धारा 13 के अनुसार की गई जांच के परिणामस्वरूप सामने आ सकती हैं, इसके अतिरिक्त यह नियंत्रक को अधिनियम की धारा 15 के आधार पर आवेदन, विनिर्देश या आवेदन के स्वतंत्र मूल्यांकन पर दायर किए गए किसी अन्य दस्तावेज में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की आवश्यकता के लिए अधिकारिता प्रदान करती है।

ञ. विरोधी कार्यवाही

67. इसके बाद न्यायालय अध्याय V का संज्ञान लेता है जो विरोध कार्यवाही से संबंधित है जिसे आवेदन के अनुदान से पहले और बाद में दोनों ही तरह से शुरू किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, धारा 25 में **पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 38)** और 2005 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो जाता है कि धारा 25(1) अनुदान के लिए आवेदन के प्रकाशन के परिणामस्वरूप पीजीओ प्रस्तुत करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है। हालांकि, यह उन

आधारों को प्रतिबंधित करता है जिन पर पीजीओ को खंड (क) से (ट) में निर्दिष्ट आधारों तक उठाया जा सकता है और अन्य नहीं। उक्त प्रावधान नियंत्रक को, यदि ऐसा है, तो विरोधी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने और विरोध के माध्यम से प्रतिनिधित्व को निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर निपटाने के लिए बाध्य करता है। दूसरी ओर धारा 25(2) अनुदान के बाद विरोध से संबंधित है और जिस प्रावधान का आह्वान केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जबकि अनुदान-पूर्व विरोध उपाय का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, पेटेंट अनुदान के बाद उसका विरोध करने का अधिकार केवल इच्छुक व्यक्ति तक ही सीमित है। कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति और इच्छुक व्यक्ति के बीच जो अंतर बनाया गया है, उसे उच्चतम न्यायालय ने **अलॉयज वोबेन एवं अन्य बनाम योगेश मेहरा एवं अन्य 23** में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाया है:

> "**21.** पेटेंट अधिनियम की धारा 64(1) के तहत पेटेंट अनुदान को चुनौती देने के लिए "किसी भी इच्छुक व्यक्ति" के लिए एक सुधारात्मक तंत्र भी उपलब्ध है। यह पेटेंट अधिनियम की धारा 25(2) के तहत "किसी भी इच्छुक व्यक्ति" को प्रदान किए गए समान उपाय के अतिरिक्त है। उपरोक्त परिदृश्य में, सबसे पहले "किसी भी इच्छुक व्यक्ति" शब्दों के वास्तविक अभिप्राय को समझना आवश्यक है।
> "इच्छुक व्यक्ति" शब्द को पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(न) में परिभाषित किया गया है। जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, उपर्युक्त धारा 2(1)(न) के अनुसार, "इच्छुक व्यक्ति" वह होगा जो ... "उसी क्षेत्र में अनुसंधान में लगा हुआ है, या उसे बढ़ावा दे रहा है, जिससे आविष्कार संबंधित है"। सरल शब्दों में, "इच्छुक व्यक्ति" में वह व्यक्ति शामिल होगा जिसका पेटेंट के साथ प्रत्यक्ष,

> वर्तमान और ठोस हित है, और पेटेंट का अनुदान उसके उपरोक्त अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। "हितबद्ध व्यक्ति" में कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जो या तो स्वयं आविष्कार (जिसका पेटेंट कराया गया है) का स्वतंत्र उपयोग करना चाहता है, या अपनी व्यक्तिगत उत्पादन गतिविधि में प्रक्रिया (जिसका पेटेंट कराया गया है) का दोहन करना चाहता है। इसलिए, "कोई भी इच्छुक व्यक्ति" शब्द स्थिर नहीं है। संबंधित पेटेंट के अनुदान के प्रकाशित होने पर वही व्यक्ति "कोई भी इच्छुक व्यक्ति" नहीं हो सकता है, और फिर भी बाद के समय में उसकी गतिविधियों के कारण, वह ऐसा चरित्र या स्वभाव ग्रहण कर सकता है। इसलिए, पेटेंट अधिनियम की धारा 64 "किसी भी इच्छुक व्यक्ति" को पेटेंट के अनुदान को निरस्त करने की मांग करके चुनौती देने की स्वतंत्रता देती है। इस तरह की चुनौती के आधार पहले ही ऊपर गिनाए जा चुके हैं।"

68. उपरोक्त पहलुओं पर ध्यान देते हुए, एलॉयज वॉबेन मामले में उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि रुचि रखने वाला व्यक्ति वह होगा जो आविष्कार से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान में लगा हुआ है या उसे बढ़ावा दे रहा होगा। यह पहचानने के उद्देश्य से जो परीक्षण तैयार किए गए थे कि क्या कोई इकाई इच्छुक व्यक्ति है, उसे पेटेंट के साथ प्रत्यक्ष, वर्तमान और ठोस हित रखने वाला व्यक्ति माना गया था। इस प्रकार अभिव्यक्ति "इच्छुक व्यक्ति" को धारा 25(1) में आने वाले वाक्यांश "कोई भी व्यक्ति" के विपरीत सीमित अर्थ दिया जा सकता है।

69. नियमों के तहत विरोध की प्रक्रिया नियम 55 में निर्धारित है और जो इस प्रकार है:

> **55. [पेटेंट का विरोध]-**

(1) धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन विरोध के लिए अभ्यावेदन प्रारूप 7(क) में समुचित कार्यालय में दाखिल किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी और इसमें अभ्यावेदन के समर्थन में कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, तथा यदि वांछित हो तो सुनवाई के लिए अनुरोध भी शामिल होगा।

(1-क) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11-क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा।]

(2) नियंत्रक ऐसे अभ्यावेदन पर तभी विचार करेगा जब आवेदन की जांच के लिए अनुरोध दाखिल किया गया हो।

(3) अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद यदि नियंत्रक की राय है कि पेटेंट के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण विनिर्देश में संशोधन की आवश्यकता है, तो वह आवेदक को इस आशय की सूचना देगा।

(4) उप-नियम (3) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक, यदि वह चाहे तो, नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर अपने आवेदन के समर्थन में अपना कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, दाखिल करेगा, जिसकी एक प्रति विरोधी को भी दी जाएगी।

(5) आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन और साक्ष्य, प्रतिद्वन्द्वी द्वारा प्रस्तुत कथन और साक्ष्य सहित अभ्यावेदन, पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां, तथा पक्षों की सुनवाई के पश्चात, यदि ऐसा अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक या तो अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकता है या पेटेंट प्रदान किए जाने से पूर्व अपनी संतुष्टि के अनुसार पूर्ण विनिर्देशन और अन्य दस्तावेजों में संशोधन की मांग कर सकता है या आवेदन पर पेटेंट प्रदान करने से इंकार कर सकता है, तथा सामान्यतः उपरोक्त कार्यवाही पूरी होने के एक माह के भीतर आवेदन और अभ्यावेदन पर एक साथ निर्णय लेने के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।"

ट. पेटेंट आवेदन में संशोधन

70. संशोधन के मुद्दे पर गौर करने पर हम पाते हैं कि उक्त विषय मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 57 द्वारा विनियमित है। हमें इस बात पर ध्यान देने का अवसर मिला कि इस निर्णय के प्रारंभिक भागों में 2002 और 2005 के संशोधन अधिनियमों द्वारा धारा 57 में संशोधन कैसे किया गया। किसी आवेदन, पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित दस्तावेजों को संशोधित करने की शक्ति सबसे पहले अधिनियम की धारा 59 के प्रावधानों के अधीन है। वह प्रावधान यह निर्धारित करता है कि अस्वीकरण, सुधार या स्पष्टीकरण के अलावा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके बाद यह निर्धारित करके संशोधन करने के अधिकार को विनियमित करता है कि वास्तविक तथ्य को शामिल करने के प्रयोजनों को छोड़कर इसे प्रदान नहीं किया जाएगा और किसी पूर्ण विनिर्देश में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव संशोधित विनिर्देश को ऐसे मामले का दावा करने या वर्णन करने के रूप में परिवर्तित करना होगा जिसका संशोधन से पहले पर्याप्त रूप से खुलासा या दावा नहीं किया गया था या जहां संशोधन की अनुमति दी गई है, यदि किसी दावे या विनिर्देश में उसके मूल दायरे में सन्निहित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार संशोधन की अनुमति के लिए नियंत्रक से संपर्क करने की आवेदक की शक्ति अधिनियम की धारा 59 के नियामक नियंत्रण के अधीन है।

71. यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 57 जैसा कि यह मूल रूप से क़ानून की पुस्तक में था और विशेष रूप से इसकी उप-धारा (3) में यह निर्धारित किया गया

था कि पूर्ण विनिर्देश और प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति की स्वीकृति के बाद अनुदान या विनिर्देश के लिए किए गए संशोधन की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन को विज्ञापित किया जाएगा। धारा 57 (3) को संशोधन अधिनियम, 2002 के आधार पर और संशोधित किया गया और जिसने नियंत्रक के दायित्व को केवल तभी विज्ञापित करने के लिए सुरक्षित कर दिया जब उसकी राय में प्रस्तावित संशोधन मूल था। हालांकि, और संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रख्यापन पर, धारा 57 (3), जो संशोधन की अनुमति के लिए आवेदन के प्रकाशन के विषय से निपटना जारी रखती है, केवल उन लोगों को कवर करती है जो पेटेंट के अनुदान के बाद किए जा सकते हैं। क्या "अनुदान के बाद" वाक्यांश का उपयोग उठने वाले प्रश्न पर कोई भौतिक प्रभाव डालेगा, यह एक मुद्दा है जिसे इस निर्णय के बाद के हिस्सों में निपटाया जाएगा।

72. धारा 57(4) अपने मूल रूप में मौजूद थी, जो नियंत्रक को संशोधन का विरोध करने के लिए *इच्छुक किसी भी व्यक्ति* को अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करती थी और इस प्रकार नियंत्रक को एक सुनवाई आयोजित करने की परिकल्पना की गई थी जिसमें आवेदक और विरोधी दोनों को सुना जा सकता था। जबकि धारा 57(4) मुख्य रूप से उस प्रक्रिया को बरकरार रखती है जिसका मूल रूप से इरादा था, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे संरचनात्मक रूप से संशोधित किया गया है ताकि कार्यवाही की सीमा और दायरे को स्पष्टता प्रदान की जा सके। इसने

अनिवार्य रूप से किसी भी इच्छुक व्यक्ति के किसी भी संशोधन के विरोध को प्रस्तुत करने के अधिकार को मजबूत और दोहराया है जो प्रकाशित होने वाला हो सकता है। यह, निश्चित रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सराहना की जानी चाहिए कि धारा 57(3) जैसा कि 2002 में इसके संशोधन के बाद कानून में मौजूद थी, केवल उन प्रस्तावित संशोधनों को विज्ञापित करने की आवश्यकता थी जो नियंत्रक की राय में, मूल थे। 2005 के संशोधनों के बाद, यदि उपर्युक्त नियम को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए तो यह एक ऐसी व्यवस्था की ओर बदलाव का सुझाव देता है जहां पेटेंट के अनुदान के बाद केवल दावा किए गए संशोधन किए जाने थे। हालांकि, जैसा कि विवेचन से स्पष्ट होगा, केवल चेहरे या शाब्दिक निर्माण को सही राय नहीं माना जा सकता है।

73. धारा 57(4) किसी *इच्छुक* व्यक्ति के विरोध के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। यह धारा 25(2) के अनुरूप है जो आवेदन के अनुदान के बाद प्रस्तुत विरोधों से निपटती है। धारा 57(6) और 2002 तथा 2005 के संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार इसमें किए गए विभिन्न संशोधन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 57(6) जैसा कि यह अपने अपरिवर्तित अवतार में थी, ने निर्धारित किया कि इसके प्रावधान नियंत्रक द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुपालन में विनिर्देश को संशोधित करने के आवेदक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, चाहे वह पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति

से पहले हो या पेटेंट के अनुदान के विरोध में कार्यवाही के दौरान हो। धारा 57(6) को संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा पर्याप्त रूप से बनाए रखा गया था, सिवाय इसके कि विनिर्देश से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ में संशोधनों के लिए इसके कवरेज को आगे बढ़ाया गया था। हालांकि, धारा 57 की उप-धारा (6) और उसका बहिष्करण मार्च वही रहा और नियंत्रक द्वारा पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति से पहले या पीजीओ कार्यवाही के जारी रहने के दौरान जारी किए गए किसी भी संशोधन और निर्देश तक विस्तारित रहा। इसके बाद उप-धारा (6) को संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा पुनर्गठित किया गया और अब यह प्रावधान करता है कि इसके प्रावधान आवेदक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना काम करेंगे, ताकि वह पेटेंट प्रदान करने से पहले जारी किए गए नियंत्रक के निर्देशों का पालन करने के लिए विनिर्देश या उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज़ को संशोधित कर सके। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 57 (1) हमेशा स्थिर रही है और उन संशोधनों से निपटती है, जिनकी मांग पेटेंट आवेदक द्वारा स्वयं की गई हो सकती है।

74. पेटेंट दिए जाने से पहले मांगे जा सकने वाले या अनिवार्य किए जा सकने वाले संशोधनों की बात करते हुए, हम नियम 55(3) और (4) पर भी ध्यान देते हैं और जो उन संशोधनों से संबंधित है जिन्हें विरोध के लिए एक अभ्यावेदन पर विचार करने पर नियंत्रक द्वारा उचित पाया जा सकता है। यदि ऐसा निर्देश नियम 55(4) के अनुसार तैयार किया जाता है, तो आवेदक को सबूत के साथ विरोध का

बयान दर्ज करने का अवसर दिया जाता है और इसकी एक प्रति विरोधी को प्रदान की जाती है। उस बयान पर विचार करने के बाद, उप-नियम (4) के अनुसार आवेदक द्वारा दायर किए जा सकने वाले सबूत और साथ ही विरोधी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, नियंत्रक या तो अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकता है या पेटेंट दिए जाने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए पूर्ण विनिर्देश और अन्य संबंधित दस्तावेजों में संशोधन की मांग कर सकता है। नियम 55(5) नियंत्रक को पेटेंट देने के लिए विरोध के अभ्यावेदनों पर उचित विचार करने के बाद या भाषण आदेश पारित करके अनुदान के लिए आवेदन को पूरी तरह से अस्वीकार करने में सक्षम बनाता है। हालांकि, उप-नियम (5) में यह अनिवार्य किया गया है कि नियंत्रक सुनवाई पूरी होने के एक महीने के भीतर न केवल विरोध के अभ्यावेदन बल्कि पेटेंट प्रदान करने की मांग करने वाले मुख्य आवेदन का निपटारा करते हुए एक समग्र आदेश पारित करेगा।

75. वैधानिक प्रावधानों पर अपनी चर्चा को समाप्त करने से पहले, हम केवल धारा 117क पर ध्यान दे सकते हैं। उक्त प्रावधान संशोधन अधिनियम, 2002 के आधार पर क़ानून में पेश किया गया था। हालांकि, और जैसा कि यह अपने मूल रूप में था, इसने धारा 25 के तहत पारित किए जा सकने वाले सभी आदेशों के खिलाफ अपील की परिकल्पना की थी। हालांकि, 2005 में इसके संशोधन के बाद, अपील का प्रावधान केवल धारा 25(4) के संदर्भ में आदेशों तक ही सीमित हो

गया। यह ध्यान रखना उचित है कि संशोधन अधिनियम, 2002 के आधार पर आईपीएबी का भी गठन किया गया था। इस प्रकार धारा 117क के तहत अपीलों को आईपीएबी के समक्ष रखे जाने की परिकल्पना की गई थी। **न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021** के बाद जबकि धारा 117क (2) धारा 25 की उप-धारा (4) के तहत पारित आदेशों तक अपील को प्रतिबंधित करना जारी रखती है यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो जाता है कि अनुदान-पूर्व और अनुदान-पश्चात विरोध चरणों के बीच द्वैधता संशोधन अधिनियम, 2005 के आधार पर शुरू हुई। धारा 25(4) निस्संदेह अनुदान-पश्चात विरोधों तक ही सीमित है। इस प्रकार धारा 117क के तहत अपील केवल ऐसे आदेशों तक ही सीमित है जो अनुदान-पश्चात विरोध के समापन पर पारित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से पीजीओ के निपटान को अपील के माध्यम से चुनौती देने की परिकल्पना नहीं की गई है। यह उपर्युक्त प्रकाश में है कि हम यूसीबी फार्चिम, माइलान प्रयोगशालाओं और स्नेहलता सी गुप्ते मामले में न्यायालय के निर्णयों से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं।

ठ. स्वीकृति पूर्व विरोध के पहलू

76. *यूसीबी फ़ार्चिम* हमारे न्यायालय द्वारा अधिनियम में 2005 में किए गए संशोधनों के बाद दिया गया पहला महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें *अनुदान-पूर्व* विरोध और *अनुदान-पश्चात विरोध* के बीच क्रमिक बदलाव को स्वीकार किया गया

था। न्यायालय ने सही ढंग से देखा कि धारा 25(1) के पुनर्निर्माण के अनुसार *कोई भी व्यक्ति* पेटेंट आवेदन के प्रकाशन के बाद और उसके अंतिम रूप से स्वीकृत होने तक किसी भी समय विरोध के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखता है। दूसरी ओर, अनुदान-पश्चात विरोध केवल पेटेंट स्वीकृत होने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि वह विरोध अनुदान के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के भीतर दर्ज किया जाए। यह भी देखा गया कि अनुदान-पूर्व चरण में दायर विरोध पर नियंत्रक द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जबकि अनुदान-पश्चात विरोध को नियंत्रक द्वारा विरोध बोर्ड को भेजा जाना चाहिए और इस प्रकार विरोध पर नियंत्रक द्वारा उस बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद विचार किया जाना चाहिए। धारा 117क में किए गए संशोधन भी समान रूप से महत्वपूर्ण थे और 2005 में इसके संशोधन के बाद केवल धारा 25(4) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील की परिकल्पना की गई थी। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह देखा गया कि विधानमंडल का स्पष्ट रूप से अनुदान-पूर्व विरोध और अनुदान-पश्चात विरोध के बीच द्वैधता पैदा करने का इरादा था।

77. माइलन लैबोरेटरीज में कानून में उपरोक्त स्थिति को दोहराया गया। *स्नेहलता सी. गुप्ते* मामले में, न्यायालय ने विभिन्न अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया जो *अनुदान-पूर्व विरोध* चरण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और अधिनियम की धारा 43(1) के वैधानिक आदेश को ध्यान में रखते हुए विरोध के अधिकार और

पेटेंट आवेदन के निपटान की अनिवार्यताओं के बीच उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। इसने अधिनियम की धारा 53 के तहत निर्धारित पेटेंट की अधिकतम अवधि और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने की अतिरिक्त सुविधा पर भी ध्यान दिया कि आवेदनों में अत्यधिक देरी न हो जिससे आविष्कारक अनुदान के लाभों से वंचित हो जाए। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण रूप से देखा गया कि एक विरोधी और प्रस्तुत किया जा सकने वाला अभ्यावेदन केवल जांच प्रक्रिया में सहायता के रूप में कार्य करता है।

78. उपर्युक्त निर्णयों में पाया गया कि अनुदान के विरोध का मुख्य उद्देश्य नियंत्रक की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करना, सुविधा प्रदान करना और उसे सूचित करना है। हमारी सुविचारित राय में, *स्नेहलता सी. गुप्ते* ने अनुदान के विरोध को सही ढंग से समझा कि यह पेटेंट आवेदन की जांच में नियंत्रक की सहायता करता है। इस प्रकार अनुदान के विरोध से पेटेंट आवेदन पर व्यापक विचार-विमर्श को बढ़ावा मिलता है और उसे प्रोत्साहन मिलता है। उपर्युक्त सीमा तक, जांच की प्रक्रिया समावेशी और सहयोगात्मक हो जाती है। हालांकि, और जैसा कि श्री सिंह ने सही कहा, विरोध अपने आप में इस बात का एकमात्र निर्धारक नहीं है कि पेटेंट दिया जाना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध को अस्वीकार करने मात्र से अनिवार्य रूप से पेटेंट प्रदान नहीं हो जाता। एक विपरीत मामला लें जहाँ पेटेंट आवेदन के प्रकाशन के बाद भी कोई विरोध दर्ज नहीं किया

जाता। इससे अपने आप में पेटेंट प्रदान नहीं हो जाता। हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं वह यह है कि आवेदन को नियंत्रक द्वारा स्वतंत्र रूप से जांचा जाना चाहिए और यह उक्त प्राधिकरण ही है जिसे संतुष्ट होना चाहिए कि अनुदान योग्य है। यह आगे की चर्चा से स्पष्ट होगा।

79. आवेदन की जांच से संबंधित प्रावधानों पर फिर से गौर करने पर हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 11ख के अनुसार जैसे ही आवेदन दाखिल किया जाता है, नियंत्रक उसे परीक्षक के पास भेजने के लिए बाध्य होता है। परीक्षक उस संदर्भ के आधार पर अपेक्षित जांच करता है और नियंत्रक को यह बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि क्या आवेदन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है, क्या पेटेंट प्रदान करने पर आपत्ति का कोई वैध आधार मौजूद है, धारा 13 के अनुसार की गई जांच का परिणाम और कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है। धारा 13 के तहत जांच प्रकाशन द्वारा प्रत्याशा या आवेदन की विषय-वस्तु के विरुद्ध निर्देशित है जो आवेदक के पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की तिथि पर या उसके बाद प्रकाशित किसी अन्य दावे या पूर्ण विनिर्देश का हिस्सा बनती है। धारा 13(2) के अनुसार, परीक्षक को आवेदन का परीक्षण न केवल भारत में किसी प्रकाशन के विरुद्ध करना है, बल्कि उप-धारा (1) में उल्लिखित के अलावा किसी अन्य दस्तावेज़ में कहीं और भी करना है।

80. परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियंत्रक धारा 14 के अनुसार कार्यवाही करता है और आवेदक को सामने आई आपत्तियों का सारांश बताता है और इस प्रकार उसे इसका जवाब देने का अवसर प्रदान करता है। धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई परीक्षक की रिपोर्ट और उसके उन भागों पर आधारित होती है जो आवेदक के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं या आवेदन, विनिर्देश या अन्य संबंधित दस्तावेजों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार नियंत्रक पूरी तरह से एफईआर के आधार पर धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही करता है। यह नियम 28 और 28क के संयुक्त वाचन से भी स्पष्ट है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परीक्षा की पूर्वोक्त वैधानिक प्रक्रिया स्वायत्त रूप से आगे बढ़ती है और वैधानिक रूप से इसका उद्देश्य नियंत्रक द्वारा अपनी गति से एक आकलन और मूल्यांकन करना है ताकि इस बारे में राय बनाई जा सके कि पेटेंट प्रदान किए जाने योग्य है या नहीं।

81. धारा 15 उन शक्तियों को निर्दिष्ट करती है जिनका प्रयोग नियंत्रक पेटेंट आवेदन के संबंध में कर सकता है। उक्त प्रावधान नियंत्रक को शक्तियां प्रदान करता है जिसे एफईआर से स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है। यह उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि कार्रवाई केवल नियंत्रक की संतुष्टि पर आधारित है। इस प्रकार धारा 15 नियंत्रक में निहित शक्ति का भंडार है, जिसके तहत वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या आवेदन, विनिर्देश या अन्य दस्तावेजों को अपनी संतुष्टि के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता बता सकता है। इस प्रकार जांच

प्रक्रिया में जांच शामिल है जो अधिनियम की धारा 12 और 13 के संदर्भ में किए गए संदर्भ के अनुसार परीक्षक द्वारा की जाती है, जबकि धारा 15 स्वतंत्र रूप से नियंत्रक को पेटेंट प्रदान करने के लिए आवेदन की जांच करने और उस पर विचार करने में सक्षम बनाती है।

82. *दूसरी ओर विरोध* प्रक्रिया प्रकाशन के बाद शुरू होती है। यह ध्यान रखना उचित है कि वर्तमान में लागू कानून के अनुसार अनुदान-पूर्व चरण में विरोध किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर संदर्भित विभिन्न निर्णयों में सही रूप से देखा गया है। उपर्युक्त अभिव्यक्ति निस्संदेह *"हितधारक व्यक्ति"* वाक्यांश से कहीं अधिक व्यापक है और जिसे अधिनियम की धारा 25(2) द्वारा नियोजित किया गया है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 25(1) के तहत आपत्तियाँ न केवल उस व्यक्ति द्वारा रखी जा सकती हैं जो आविष्कार से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान में लगे हुए हैं या उसे बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा भी रखी जा सकती हैं जो धारा 25(1) में निर्दिष्ट आधारों पर अनुदान का विरोध करना चाह सकता है। इस प्रकार, और जैसा कि अलॉयज वोबेन में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था, धारा 25(1) के अनुसार अनुदान-पूर्व विरोध उस व्यक्ति द्वारा भी रखा जा सकता है जिसका पेटेंट में कोई प्रत्यक्ष, वर्तमान या मूर्त हित नहीं हो सकता है या जिसके अधिकारों पर अनुदान द्वारा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जहाँ तक किसी भी इच्छुक

व्यक्ति की श्रेणी का सवाल है, उन्हें किसी भी मामले में धारा 25(2) के आधार पर पेटेंट के अनुदान का विरोध करने का अधिकार होगा। इस प्रकार, धारा 25(1) के तहत विरोध के माध्यम से प्रतिनिधित्व को नियंत्रक द्वारा प्रयोग की जाने वाली *जांच की शक्ति की सहायता* के रूप में सही रूप से वर्णित किया गया है।

83. जैसा कि अपीलार्थीगण की ओर से उचित रूप से तर्क दिया गया था कि विरोध को अस्वीकार करने से अनिवार्य रूप से पेटेंट आवेदन स्वीकृत नहीं होता है। पीजीओ को अस्वीकार करने से नियंत्रक को पेटेंट आवेदन स्वीकृत करने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जाता है। किसी अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बावजूद, नियंत्रक कानूनी रूप से और साथ ही सांविधिक रूप से बाध्य है और एफईआर के आधार पर आवेदन की जांच करने के लिए बाध्य है और साथ ही अपने स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर कि पेटेंट कानून के तहत स्वीकृत किए जाने योग्य है या नहीं। यह भी देखा जाना चाहिए कि चूंकि अ*नुदान-पूर्व* विरोध चरण में, अभ्यावेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, न कि केवल उन व्यक्तियों द्वारा जिनका आवेदन में प्रत्यक्ष हित हो सकता है, इसलिए उस चरण में कार्यवाही को विरोधात्मक कहना गलत होगा। विरोधात्मक सेटिंग के विपरीत, *अनुदान-पूर्व विरोध* चरण विभिन्न कारणों से आवेदन का विरोध करने वाले व्यक्तियों से लेकर प्रत्यक्ष हितधारकों तक फैली हुई राय को प्राप्त करने के लिए मंच का विस्तार करता है। यह नियंत्रक को उन लोगों के विपरीत

स्रोतों के व्यापक स्पेक्ट्रम से अंतर्दृष्टि एकत्र करने में सक्षम बनाता है जिनका मामले में प्रत्यक्ष हित हो सकता है। ऊपर बताए अनुसार संरचित विरोध प्रक्रिया आपत्तियों और दृष्टिकोणों की व्यापक खोज की ओर ले जाती है, जिससे नियंत्रक को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया एक खुली और सहभागितापूर्ण आदान-प्रदान है, जो सुनिश्चित करती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया विरोधियों के विविध समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से लाभान्वित हो। जबकि इच्छुक व्यक्ति भी मैदान में हो सकते हैं, नियंत्रक व्यक्तियों और संस्थाओं के एक बड़े वर्ग के विचारों का पता लगाने और उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से आपत्तियों को आमंत्रित करता है, जो विभिन्न कारणों से अनुदान का विरोध करना चाहते हैं। उस प्रकाश में देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि उन कार्यवाहियों को एक वाद के रूप में देखना गलत होगा, जैसा कि उस वाक्यांश को विधिक रूप से समझा जाता है।

84. इस प्रकार हमारा दृढ़ मत है कि आपत्तियों के आमंत्रण के बावजूद, नियंत्रक को स्वतंत्र रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि आवेदन स्वीकृति के योग्य है। यह स्वतंत्रता पेटेंट प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय बाहरी और इच्छुक प्रभावों के बजाय आवेदन की खूबियों के आधार पर निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार न्यायालय प्रत्यर्थीगण की ओर से वकालत किए गए विलय के सिद्धांत को बनाए रखने में

खुद को असमर्थ पाता है और जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने समर्थन दिया। अधिनियम और नियम दोनों ही स्पष्ट रूप से जांच प्रक्रिया और विरोध प्रक्रिया के बीच एक द्वंद्व की परिकल्पना करते हैं। जबकि जांच के दौरान, नियंत्रक काल्पनिक रूप से किसी भी विरोध से पोषण प्राप्त कर सकता है जो दायर किया गया हो, यह स्वीकार करना पूरी तरह से गलत होगा कि ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता को भी *जांच प्रक्रिया* में भागीदारी दी जाएगी।

85. हम नियम 55 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हैं, जो प्राप्त होने वाले विरोध के लिए अभ्यावेदन की बात करता है। यह ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने और जिसके आधार पर नियंत्रक यह राय बना सकता है कि पेटेंट के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण विनिर्देश को संशोधित किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर वह आवेदक को नोटिस देने के लिए आगे बढ़ेगा। इस प्रकार नियम 55(3) के तहत विचार अभ्यावेदन की सामग्री तक सीमित है और जो बदले में अधिनियम की धारा 25(1) के खंड (क) से (ट) के अनुसार उठाए जाने वाले विरोध के आधारों तक सीमित होगा। यह नियम 55(4) को पढ़ने से भी स्पष्ट होगा और जिसके अनुसार आवेदक को विरोध के जवाब में अपना बयान और साक्ष्य दाखिल करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार नियम 55 के उप-नियम (1) से (4) में परिकल्पित कार्यवाही विरोध के आधारों तक सीमित है, जो अभ्यावेदन के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। उन प्रावधानों की व्याख्या इस तरह

नहीं की जा सकती कि वे जांच प्रक्रिया को विस्तारित या विनियमित करते हैं, जिसे नियंत्रक को करना होता है और किसी भी मामले में, स्वतंत्र रूप से करना होता है। हम यह भी देखते हैं कि नियम 55 के उप-नियम (3) और (4) के आधार पर आवेदक को नोटिस दिए जाने का प्रावधान भी आवेदक और विरोधी तक ही सीमित है। "पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियाँ" और "पक्षों की सुनवाई के बाद" अभिव्यक्तियों को परिणामस्वरूप उपरोक्त से अर्थ निकालना चाहिए। इस प्रकार नियम 55(5) को संभवतः बढ़ाया नहीं जा सकता है या इसकी व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती है कि इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया को विनियमित करना है। उक्त प्रावधान को संभवतः विरोधी को जांच प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार प्रदान करने के लिए विधायी इरादे को मूर्त रूप देने के रूप में भी नहीं समझा जा सकता है। उस प्रावधान में परिकल्पित सुनवाई का अधिकार केवल प्रतिनिधित्व द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने तक ही सीमित है।

86. अधिनियम के तहत परिकल्पित विरोध प्रक्रिया का एक विशिष्ट और लक्षित उद्देश्य है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को पेटेंट आवेदन के बारे में आपत्तियां और चिंताएं व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। विरोध प्रक्रिया के दौरान प्राप्त आपत्तियां अनुदान के प्रश्न पर नियंत्रक को विविध विचारों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए या संपूर्ण

विनिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए विरोध प्रक्रिया नियंत्रक के विचार के लिए बाहरी इनपुट रखने की अनुमति देने के घोषित उद्देश्य को पूरा करती है, जिससे वह पेटेंट आवेदन के अनुदान के बारे में एक सुविचारित निर्णय लेने में सक्षम हो सके।

87. दूसरी ओर, जांच प्रक्रिया एक व्यापक और महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती है। इस चरण में पेटेंट आवेदन का गहन मूल्यांकन शामिल है, यह सुनिश्चित करना कि यह पेटेंट अनुमोदन के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और परीक्षक और नियंत्रक द्वारा आवेदन का गहन और स्वतंत्र मूल्यांकन करने में सहायता करता है। जांच प्रक्रिया और विरोध प्रक्रिया के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना न केवल प्राप्त किए जाने वाले अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी मौलिक है कि प्रत्येक चरण की पवित्रता और प्रभावकारिता बनाए रखी जाए।

88. यह अलगाव कठोर परीक्षण की आवश्यकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने के कार्य के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। जांच प्रक्रिया निर्धारित कानूनी मानकों के विरुद्ध पेटेंट आवेदन के एक केंद्रित मूल्यांकन की मांग करती है जिसमें नियंत्रक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा जाता है कि केवल योग्य आविष्कारों को ही पेटेंट सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी ओर, विरोध प्रक्रिया बाहरी हितधारकों या किसी भी व्यक्ति के लिए

चिंताओं को आवाज़ देने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, इस प्रकार पेटेंट आवेदन के अधिक व्यापक मूल्यांकन में योगदान देती है।

89. प्रक्रिया का विलय करना परीक्षा की कठोरता से समझौता करना होगा, क्योंकि बाहरी इनपुट, हालांकि मूल्यवान हैं, विरोध के विशिष्ट और विशिष्ट ढांचे के भीतर सबसे अच्छा विचार किया जाता है। इन अलग-अलग प्रक्रियाओं को मर्ज करने से पूरी प्रणाली अनियंत्रित और प्रतिकूल हो जाएगी, साथ ही त्वरित विचार-विमर्श की विधायी नीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, पृथक्करण विधायी इरादे को पूरा करता है और एक अधिक संरचित और संगठित दृष्टिकोण की अनुमति देता है जहां पेटेंट आवेदन की जांच की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को बाधित किए बिना विभिन्न स्रोतों से आपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है।

90. इस प्रश्न का उत्तर, जो प्रस्तुत किया गया है, 2002 और 2005 के संशोधनों के आधार पर धारा 25 और 57 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भी जांचा जा सकता है। जैसा कि धारा 25 मूल रूप से थी, किसी आवेदन का विरोध करने की शक्ति इच्छुक व्यक्ति को प्रदान की गई थी। धारा 2(1)(न) के अनुसार इच्छुक व्यक्ति की अभिव्यक्ति हमेशा क़ानून की किताब में मौजूद थी। 2002 के संशोधन के बाद भी उपरोक्त स्थिति जारी रही और विरोध का अधिकार किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए

उपलब्ध था। अनुदान-पूर्व विरोध और अनुदान-पश्चात विरोध कार्यवाही के बीच द्वंद्व केवल संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा पेश किया गया था। इन संशोधनों के आधार पर ही पेटेंट के अनुदान का विरोध करने का अधिकार "किसी भी व्यक्ति" को प्रदान किया गया और ऐसा विरोध पेटेंट आवेदन के प्रकाशित होने के बाद लेकिन इसे दिए जाने से पहले किया जा सकता था। हालांकि अनुदान के बाद विरोध का अधिकार सीमित हो गया क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल इच्छुक व्यक्ति ही कर सकता था। इस प्रकार विरोध प्रक्रिया पहली बार पेटेंट के अनुदान के पहले और बाद के चरणों के बीच विभाजित हो गई। ये वैधानिक संशोधन व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते के ट्रिप्स अनुभाग से प्रवाहित भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप अधिनियम को ढालने के लिए पेश किए गए थे। हम इस निर्णय के बाद के भागों में इस पहलू की अधिक विस्तार से जांच करने का प्रस्ताव करते हैं, जहां हम विभिन्न पेटेंट क़ानूनों में किए गए प्रावधानों और विरोधियों में निहित अधिकारों की सीमा पर भी ध्यान देंगे।

91. वर्तमान में पीजीओ प्रक्रिया ऐसी है जो निस्संदेह 2005 में किए गए संशोधनों के आधार पर बनाई गई है। धारा 25(2) के अनुसार, जैसा कि 2002 के संशोधन के लागू होने तक था, नियंत्रक आवेदक को सूचित करने और निर्णय देने से पहले विरोधी और आवेदक दोनों को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य था। संशोधित धारा 25 में भी उक्त स्थिति को बरकरार रखा गया है, जिसमें नियंत्रक

पेटेंट आवेदन पर अंतिम निर्णय देने से पहले आवेदक और विरोधी दोनों को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य है। धारा 25 में किए गए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए नियम 55 में भी संशोधन किया गया, जो अब अनुदान से पहले और बाद में विरोध की कल्पना करता है।

92. हम श्री साई दीपक के इस तर्क को भी मानने में असमर्थ हैं, जिन्होंने तर्क दिया था कि यदि नियम 55 के अनुसार आपत्तियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई सामग्री को विचार से बाहर रखा जाता है, तो धारा 15 की शक्ति का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। उपर्युक्त तर्क स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है, क्योंकि आपत्तियों पर नियंत्रक द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है। धारा 15 के आधार पर नियंत्रक में निहित शक्ति किसी भी मामले में न तो विपक्ष द्वारा निर्देशित होती है और न ही उस पर निर्भर होती है। उक्त शक्ति नियंत्रक को एक स्वतंत्र शक्ति प्रदान करती है।

ड़. नियम 55 के तहत सुनवाई

93. यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 55 का सीमांत शीर्षक जो पेटेंट (संशोधन) नियम, 2006 से पहले "पेटेंट के अनुदान के विरुद्ध अभ्यावेदन द्वारा विरोध" के रूप में पढ़ा जाता था, अब "पेटेंट का विरोध" के रूप में पढ़ा जाता है। धारा 25 में किए गए परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए उपर्युक्त संशोधन की आवश्यकता थी, जिसने अब तक विरोध प्रक्रिया को अनुदान तक ले जाने वाली

कार्यवाही और पेटेंट दिए जाने के बाद शुरू की जा सकने वाली कार्यवाही के बीच विभाजित कर दिया था।

94. नियम 55 में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन उप-नियम (5) को पढ़ने से स्पष्ट है और जो अब नियंत्रक को विपक्ष के अभ्यावेदन और पेटेंट आवेदन का एक साथ निपटान करने के लिए बाध्य करता है। हालांकि, और जैसा कि इस निर्णय के पिछले भागों में देखा गया है, जिस "सुनवाई" पर विचार किया जा रहा है वह स्पष्ट रूप से केवल अभ्यावेदन तक ही सीमित प्रतीत होती है, एक स्थिति जो उप-नियम (3), (4) और (5) के संयुक्त पढ़ने पर स्पष्ट रूप से उभरती है। यह ध्यान देने योग्य है कि उप-नियम (3) में आवेदक को नोटिस पर रखा गया है यदि नियंत्रक "अभ्यावेदन पर विचार करने पर" "इस राय पर" है कि पेटेंट के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या पूरे विनिर्देश को संशोधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार सुनवाई की प्रक्रिया नियंत्रक द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने पर शुरू होती है, जिसमें यह राय है कि प्रतिद्वंद्वी ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो या तो पेटेंट आवेदन को अस्वीकार करने या विनिर्देश को संशोधित करने का औचित्य रखते हैं। एक बार जब नियंत्रक को यह संतुष्टि हो जाती है कि अभ्यावेदन में विचार करने योग्य प्रश्न हैं, तो वह आवेदक को नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा ताकि वह अपना बयान और साक्ष्य दाखिल कर सके। हालांकि, ये कार्यवाही उन मुद्दों से संबंधित नहीं है जिन्हें नियंत्रक ने जांच प्रक्रिया के

दौरान चिह्नित किया हो। इस प्रकार, विरोध करने और सुने जाने का अधिकार अमिट रूप से विरोध के लिए अभ्यावेदन पर केंद्रित है, जो उन प्रश्नों से अलग है जो एफईआर से उत्पन्न हो सकते हैं या जिन्हें नियंत्रक परीक्षा प्रक्रिया में सार्थक और महत्वपूर्ण के रूप में पहचान सकता है।

95. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि विरोधी केवल तभी सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है जब नियंत्रक संतुष्ट हो और उसकी राय हो कि अभ्यावेदन विचारणीय है। केवल अभ्यावेदन दाखिल करने से नियम 55(4) के तहत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। मामला तभी विवादास्पद हो जाता है जब नियंत्रक अभ्यावेदन का संज्ञान लेता है और आवेदक को नोटिस जारी करता है। यह उस स्तर पर और उपरोक्त कारणों से है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं। वास्तव में, नियम 55(5) के अनुसार एक संक्षिप्त आदेश पारित करते समय, नियंत्रक अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकता है यदि उसकी राय में वे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या विचारणीय आधार नहीं उठाते हैं।

96. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियम 55 (5) में जिस सुनवाई के अधिकार पर विचार किया गया है, वह केवल विपक्ष के प्रतिनिधित्व के निर्णय और निपटान से संबंधित है। प्रतिद्वंद्वी को परीक्षा प्रक्रिया में सुनवाई का अधिकार केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अधिनियम उस स्तर पर ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां नियंत्रक प्रतिनिधित्व पर विचार कर रहा है। जबकि अनुदान-

पूर्व विरोध, निर्विवाद रूप से नियंत्रक के निर्णय लेने के कार्य को सुविधाजनक बनाता है, हम स्वयं को इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं कि प्रतिद्वंद्वी को परीक्षा प्रक्रिया में भागीदारी या दर्शक के अधिकार के लिए मान्यता दी जानी चाहिए।

ढ. नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत

97. हम यह भी मानते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर बताई गई वैधानिक योजना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खंडन या बहिष्कार नहीं है, जैसा कि प्रत्यर्थीगण द्वारा तर्क दिया गया था। जैसा कि इस निर्णय के पिछले भागों में उल्लेख किया गया था, प्रतिद्वंद्वी को आवेदन के विज्ञापित होने के बाद आपत्तियाँ उठाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, जांच प्रक्रिया में पेटेंट आवेदन का स्वतंत्र मूल्यांकन और आकलन शामिल है। उक्त अभ्यास किसी आपत्ति पर निर्भर नहीं है जिसे उठाया जा सकता है। अधिनियम के अध्याय IV में निहित प्रावधानों में विरोधियों या आपत्तिकर्ताओं को परीक्षक या नियंत्रक के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने की परिकल्पना नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, सुनवाई के अधिकार से इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्पष्ट बहिष्कार की अनुपस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सिद्धांत का आह्वान करना भी उतना ही गलत है जब कोई अध्याय IV में अंतर्निहित योजना को ध्यान में रखता है। उस भाग में निहित प्रावधान मूल रूप से परीक्षक और नियंत्रक द्वारा पेटेंट आवेदन की जांच

और मूल्यांकन से संबंधित हैं। यह नियंत्रक पर लगाया गया दायित्व है और यह अध्याय V की विषय-वस्तु बनाने वाली विरोध कार्यवाही से अलग है। जैसा कि हमने पहले देखा था, विरोध की अस्वीकृति स्वतः ही पेटेंट के अनुदान की ओर नहीं ले जाएगी। किसी भी मामले में क़ानून न तो किसी व्यक्ति को अनुदान का विरोध करने से वंचित करता है और न ही किसी इच्छुक व्यक्ति को किसी तथ्य के साथ छोड़ता है। इच्छुक व्यक्तियों के अधिकार धारा 25(2) द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और संरक्षित हैं। दोनों ही परिस्थितियों में, विरोधी दावा कर सकता है और वास्तव में उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का अधिकार दिया जाता है।

98. अधिक मौलिक रूप से, प्रत्यर्थीगण द्वारा दावा किया गया सुनवाई का अधिकार विरोध प्रक्रिया की प्रकृति और सीमा की अनदेखी और उपेक्षा में आगे बढ़ता है। हम पहले ही मान चुके हैं कि विरोध के लिए प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से पेटेंट आवेदन की जांच में सहायता और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है। प्रतिनिधित्व अपने आप में न तो विरोधात्मक है और न ही विवादास्पद है। अनुदान-पूर्व प्रतिद्वंद्वी केवल पेटेंट आवेदन की समग्र जांच में नियंत्रक की सहायता करता है। दूसरे, किसी भी मामले में विरोध धारा 25(1) में निर्दिष्ट आधारों तक ही सीमित है। इस प्रकार नियंत्रक के लिए चुनौती के आधारों पर प्रतिद्वंद्वी को सुनना अनिवार्य है। हालांकि, नियंत्रक फिर भी उन आधारों के

अलावा अन्य आधारों पर पेटेंट आवेदन को अस्वीकार करने के लिए इच्छुक हो सकता है जो आपत्तिकर्ता द्वारा उठाए गए हो सकते हैं। हम यह समझने में विफल रहे कि आपत्तिकर्ता उन आधारों के संबंध में सुनवाई के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है जो न तो उठाए गए थे और न ही उसके कहने पर आग्रह किए गए थे। यही वह बात है जो हमें यह मानने के लिए आश्वस्त करती है कि प्रतिद्वंद्वी केवल प्रतिनिधित्व के संबंध में सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है और उसे जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं माना जा सकता है।

99. विरोध कार्यवाही में, मुख्य रूप से विरोधी द्वारा आगे लाए गए आधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और इस प्रकार विरोध में उठाए गए मुद्दों तक ही जांच को सीमित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि विपक्ष पेटेंट आवेदन में प्रकटीकरण की पर्याप्तता को चुनौती देता है, तो नियंत्रक इन आधारों पर आवेदन की जांच केवल तभी करेगा जब ऐसे साक्ष्य हों जो पेटेंट आवेदन की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों। यह जांच उभरने वाली जानकारी से शुरू होती है और जिसे अनुदान के लिए आवेदन और पेटेंट के लिए दावे को प्रभावित करने वाला प्रथम दृष्टया माना जाता है। इस प्रकार, विरोध का महत्व पेटेंट आवेदन की व्यापक जांच करने में नियंत्रक की सहायता करने में इसकी भूमिका में निहित है। एक प्रतिकूल प्रक्रिया के विपरीत, विपक्ष केवल पेटेंट आवेदन के समग्र मूल्यांकन में योगदान देता है और इस प्रकार जांच प्रक्रिया में दावा किए जा रहे सुनवाई के

अधिकार को बनाए नहीं रखेगा। सुनवाई के लिए प्रतिद्वंद्वी का अधिकार धारा 25(1) में निर्दिष्ट आधारों द्वारा सीमित है। सुनवाई का अधिकार विरोध में व्यक्त किए गए आधारों से जुड़ा हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिद्वंद्वी के पास उनके द्वारा उठाई गई चुनौतियों के संबंध में तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक मंच है। इससे हमारा यह दृष्टिकोण पुष्ट होता है कि सुनवाई का विरोधी पक्ष का अधिकार विशिष्ट रूप से प्रतिनिधित्व चरण से संबंधित है तथा इससे उन्हें व्यापक जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिलता है।

SHIVANI PART

99. प्रतिद्वंद्वी का सुनवाई का अधिकार धारा 25(1) में निर्दिष्ट आधारों से सीमित है। सुनवाई का अधिकार विपक्ष में व्यक्त किए गए आधारों से जुड़ा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिद्वंद्वी के पास उनके द्वारा उठाई गई चुनौतियों के संबंध में तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक मंच है। यह हमारे दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि सुनवाई का प्रतिद्वंद्वी का अधिकार विशेष रूप से अभ्यावेदन चरण से संबंधित है और उन्हें व्यापक परीक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है।

100. इस पहलू पर हमारे निष्कर्ष आवेदक की अपने आवेदन पर शीघ्र विचार करने की अपेक्षा और केवल एक सच्चे आविष्कार को अधिनियम के सुरक्षात्मक

क्षेत्र का विस्तार करने के लोक हित के तत्व के बीच एक उचित संतुलन बनाने की अनिवार्यता से निर्देशित हैं। हमारी सुविचारित राय है कि यदि प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को परीक्षण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रक्रिया को उसके मार्ग से विचलित कर देगा और अनिवार्य रूप से उस प्रक्रिया के शीघ्र निष्कर्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। किसी भी मामले में किसी प्रतिद्वंद्वी को धारा 25(2) के तहत अनुदान का विरोध करने का अधिकार है। इस प्रकार कानून ने उन दो पहलुओं के बीच एक उचित और आवश्यक संतुलन बनाया है।

ण. प्रतिद्वंद्वी के अधिकार वैश्विक-परिप्रेक्ष्य में

101. हम आगे पाते हैं कि प्रतिद्वंद्वी को परीक्षण प्रक्रिया से बाहर करना न तो हमारे पेटेंट कानून की कोई अनूठी और न ही अपरंपरागत विशेषता है। यूनाइटेड किंगडम में लागू पेटेंट अधिनियम, 1977 के प्रावधानों तथा यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाएगा। यदि कोई सबसे पहले अंग्रेजी विधान पर नजर डाले, तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य समरूप प्रावधान धारा 15क है, जो प्रारंभिक परीक्षण के विषय और परीक्षक को आवेदन के संदर्भ से संबंधित है। उस संदर्भ के अनुसार, परीक्षक उप-धारा (3) के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता

है। जैसा कि धारा 15क की उपधारा (6) और (7) को पढ़ने से स्पष्ट होगा, नियंत्रक आवेदक को परीक्षक की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों का जवाब देने या उनका अनुपालन करने का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य है। धारा 15क (7) के अनुसार, यदि आवेदक परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुरूप आवेदन को संशोधित करने और लाने में विफल रहता है, तो नियंत्रक को आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। धारा 15क इस प्रकार है:-

" 15 प्रारंभिक परीक्षण

(1) नियंत्रक किसी पेटेन्ट के लिए आवेदन को प्रारंभिक परीक्षण के लिए परीक्षक के पास भेजेगा यदि-

(क) आवेदन में दाखिल करने की तिथि है;

(ख) आवेदन वापस नहीं लिया गया है या वापस नहीं लिया गया माना गया है; तथा

(ग) आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(2) किसी आवेदन की प्रारंभिक परीक्षण में परीक्षक निम्नलिखित कार्य करेगा-

(क) यह निर्धारित करना कि क्या आवेदन इस अधिनियम और नियमों की उन अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, जिन्हें नियमों द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए औपचारिक अपेक्षाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) यह निर्धारित करना कि क्या उपरोक्त धारा 13(2) या 15(10) के तहत किसी आवश्यकता का अनुपालन किया जाना बाकी है।

(3) परीक्षक ऊपर उपधारा (2) के तहत अपने निर्धारण की रिपोर्ट नियंत्रक को देगा।

(4) यदि किसी आवेदन की प्रारंभिक परीक्षण में यह पाया जाता है कि-

(क) आवेदन में उल्लिखित कोई भी चित्र, या

(ख) जिस आविष्कार के लिए पेटेंट मांगा गया है, उसके विवरण का एक हिस्सा आवेदन से गायब है, तो परीक्षक उपरोक्त उप-धारा (3) के तहत अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष को शामिल करेगा।

(5) यदि उपरोक्त उपधारा (3) के तहत नियंत्रक को एक रिपोर्ट दी गई है कि सभी औपचारिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, तो नीचे उपधारा (6) से (8) लागू होती हैं।

(6) <u>नियंत्रक एक अवधि निर्दिष्ट करेगा जिसके दौरान आवेदक को निम्न कार्य करने के अवसर मिलेंगे-</u>

(क) <u>रिपोर्ट पर टिप्पणियां करना, और</u>

(ख) <u>उन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवेदन में संशोधन करना (नीचे धारा 76 के अधीन)।</u>

(7) <u>यदि आवेदक उस उपधारा के तहत नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंत से पहले उपरोक्त उपधारा (6)(ख) में उल्लिखित आवेदन में संशोधन करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।</u>

(8) उपरोक्त उपधारा (7) लागू नहीं होगी यदि-

(क) आवेदक उस उपधारा के तहत नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंत से पहले उपरोक्त उपधारा (6)(क) में उल्लिखित टिप्पणियां करता है, और

(ख) टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, नियंत्रक संतुष्ट है कि औपचारिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

(9) यदि उपरोक्त उपधारा (3) के तहत नियंत्रक को एक रिपोर्ट दी जाती है-

(क) कि उपरोक्त धारा 13(2) या 15(10) की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है; अथवा

(ख) कि आविष्कार के विवरण का एक चित्र या हिस्सा गायब पाया गया है,

तब नियंत्रक आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा।]"

102. पेटेंट अधिनियम, 1977 की धारा 16 आवेदन के प्रकाशन से संबंधित है, जबकि धारा 17 परीक्षक द्वारा की जाने वाली खोज को विनियमित करती है और जो हमारे विधान की धारा 13 के समान है। धारा 18 में वास्तविक परीक्षण की शक्ति और परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट शामिल है जो धारा 1क और 17 के संदर्भ में की गई परीक्षण और खोज के अनुसार प्रस्तुत की जाती है। धारा 19 आवेदक के अपनी इच्छा से संशोधन करने के अधिकार की बात करती है और इसे निम्नलिखित शर्तों में शामिल किया गया है: -

> **"19 अनुदान से पूर्व आवेदन में संशोधन करने की सामान्य शक्ति।**
> (1) किसी आवेदन के अनुसरण में पेटेंट प्रदान किए जाने से पहले किसी भी समय, आवेदक निर्धारित शर्तों के अनुसार और नीचे दी गई धारा 76 के अधीन, अपनी इच्छा से आवेदन में संशोधन कर सकता है।
> (2) नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए उसके समक्ष आवेदन किए बिना, पेटेंट के लिए आवेदन में निहित विनिर्देश और सार को संशोधित कर सकता है ताकि पंजीकृत व्यापार चिह्न को स्वीकार किया जा सके।

103. हालाँकि, निरंतरता के लिए, हमें इस निर्णय के पूर्ववर्ती भागों में धारा 21 पर ध्यान देने का अवसर मिला, इस प्रावधान को नीचे पुन: उद्धृत किया जा रहा है ताकि अंग्रेजी विधि की उस स्थिति पर पुनः जोर दिया जा सके जो यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही में केवल इसलिए

पक्षकार नहीं बन जाता है क्योंकि उसने विरोधी प्रक्रिया के दौरान कोई टिप्पणी प्रस्तुत की है। धारा 21 इस प्रकार है: -

> **" 21 पेटेंट योग्यता पर तीसरे पक्ष द्वारा टिप्पणियां।**
> (1) जहां पेटेंट के लिए आवेदन प्रकाशित हो चुका है, किन्तु आवेदक को पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है, वहां कोई अन्य व्यक्ति इस प्रश्न पर नियंत्रक को लिखित रूप में टिप्पणियां कर सकता है कि क्या आविष्कार पेटेंट योग्य आविष्कार है, तथा टिप्पणियों के लिए कारण बता सकता है, और नियंत्रक नियमों के अनुसार टिप्पणियों पर विचार करेगा।
> (2) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में केवल इस कारण से पक्षकार नहीं बनता है कि वह इस धारा के तहत टिप्पणियां करता है।"

104. जबकि धारा 21 अनुदान से पहले विरोधी प्रक्रिया से संबंधित है, धारा 27 पेटेंट के अनुदान के बाद संशोधन का प्रावधान करती है। उप-धारा (5) का महत्व है और जो किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करने में सक्षम बनाता है और जो इस प्रकार हमारे कानून की धारा 57 (4) के तहत विचार की गई प्रक्रिया के समान है। पेटेंट अधिनियम, 1977 की धारा 27 इस प्रकार है: -

> **"27 अनुदान के पश्चात विनिर्देश में संशोधन करने की सामान्य शक्ति।**
> (1) इस धारा के निम्नलिखित प्रावधानों और नीचे दी गई धारा 76 के अधीन, नियंत्रक, किसी पेटेंट के मालिक द्वारा किए गए आवेदन पर, पेटेंट के विनिर्देश को ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझता है।
> (2) इस धारा के अंतर्गत ऐसे किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां न्यायालय या नियंत्रक के समक्ष ऐसी कार्यवाहियां लंबित हों जिनमें पेटेंट की वैधता पर प्रश्न उठाया जा सकता हो।

(3) इस धारा के तहत किसी पेटेंट के विनिर्देश में संशोधन प्रभावी होगा और पेटेंट के अनुदान से हमेशा प्रभावी माना जाएगा।
(4) नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए उसके समक्ष आवेदन किए बिना, किसी पेटेंट के विनिर्देश को संशोधित कर सकता है, ताकि उसे पंजीकृत ट्रेड-मार्क मान लिया जाए।
(5) कोई व्यक्ति पेटेंट के मालिक द्वारा इस धारा के तहत किसी आवेदन के विरोध के बारे में नियंत्रक को नोटिस दे सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो नियंत्रक मालिक को सूचित करेगा और आवेदन को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेने में विरोध पर विचार करेगा।
[एफ51 (6) इस धारा के तहत किसी आवेदन को अनुमति देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय, नियंत्रक को यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के तहत लागू किसी भी प्रासंगिक सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा।]"

105. इसी प्रकार, पेटेंट नियम, 2007 के तहत पूर्व अनुदान संशोधनों का विषय नियम 31 द्वारा विनियमित होता है जिसे यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

" अनुदान से पहले आवेदन में संशोधन
31– (1) धारा 19(1) के तहत पेटेंट के लिए आवेदन में संशोधन करने का अनुरोध लिखित रूप में किया जाना चाहिए।
(2) धारा 19(1) के अंतर्गत निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं।
(3) नियम 66क के अधीन रहते हुए, आवेदक अपने आवेदन में केवल उस अवधि के भीतर संशोधन कर सकता है, जो आवेदक को धारा 17(5) के अधीन परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में सूचित किए जाने की तिथि से प्रारंभ होकर नियंत्रक द्वारा उसे प्रथम मूल परीक्षण रिपोर्ट भेजे जाने की तिथि तक होगी।

(4) लेकिन इस अवधि के समाप्त होने के बाद, आवेदक निम्न कार्य कर सकता है-

(क) जहां प्रथम मूल परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि उसका आवेदन अधिनियम और इन नियमों की अपेक्षाओं का

अनुपालन करता है, वहां वह उस रिपोर्ट को भेजे जाने की तिथि के तुरंत बाद शुरू होने वाली दो महीने की अवधि के अंत से पहले एक बार अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है; या

(ख) जहां प्रथम मूल परीक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उसका आवेदन अधिनियम और इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है -

(i) वह अपने आवेदन में उसी समय एक बार संशोधन कर सकता है जब वह धारा 18(3) के तहत अपने आवेदन पर अपनी पहली टिप्पणियाँ या संशोधन करता है, और

(ii) यदि पेटेंट कार्यालय द्वारा आवेदन के प्रकाशन की तैयारी पूरी होने से पहले पहली मूल परीक्षण रिपोर्ट भेजी जाती है, तो वह उप-पैराग्राफ (ख) (आई) के तहत किए जाने वाले किसी भी अन्य संशोधन से पहले अपने आवेदन को संशोधित कर सकता है।

(5) हालाँकि, पैराग्राफ (3) और (4) की शर्तें लागू नहीं होती हैं-

(क) जहाँ नियंत्रक संशोधन पर सहमति देता है; अथवा

(ख) पेटेंट के अनुदान के अनुरोध में संशोधन के लिए।

(6) जहां नियंत्रक की सहमति आवश्यक है, या आवेदक पेटेंट देने के अनुरोध में संशोधन करना चाहता है, आवेदक को संशोधन के कारणों को शामिल करना होगा।

106. जहां तक पेटेंट के अनुदान के बाद प्रस्तावित संशोधनों का सवाल है, उक्त विषय नियम 35 द्वारा विनियमित है और जो इस प्रकार है: -

"अनुदान के बाद विनिर्देश में संशोधन

35.- (1) संशोधित किए जाने वाले पेटेंट के विनिर्देशन के लिए पेटेंट के मालिक द्वारा एक आवेदन को निम्न कार्य करने चाहिए-

(क) लिखित रूप में होना चाहिए;

(ख) प्रस्तावित संशोधन की पहचान करनी चाहिए; तथा
(ग) संशोधन करने का कारण अवश्य बताना चाहिए।

(2) यदि यथोचित रूप से संभव हो तो आवेदन को नियंत्रक के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग करके भेजा जाना चाहिए।

(3) नियंत्रक, यदि वह उचित समझे, मालिक को विनिर्देश की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दे सकता है, जिस पर लागू संशोधन अंकित हो।

(4) जहां यूरोपीय पेटेंट (यू.के.) का विनिर्देश अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रकाशित किया गया था, वहां स्वामी को विनिर्देश के उस भाग का अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करना होगा जिसे वह संशोधित करने के लिए आवेदन कर रहा है और संशोधन का अनुवाद भी दाखिल करना होगा।

(5)नियंत्रक, यदि वह उचित समझे, स्वामी को प्रकाशित विनिर्देश का अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने का निर्देश दे सकता है।

(6) जहां न्यायालय या नियंत्रक किसी पेटेंट के स्वामी को पेटेंट के विनिर्देशन में संशोधन करने की अनुमति देता है, वहां नियंत्रक उसे संशोधित विनिर्देशन दाखिल करने का निर्देश दे सकता है जो अनुसूची 2 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता हो।

107. नियम 33 के अनुसार नियंत्रक को धारा 21 के अंतर्गत प्राप्त सभी टिप्पणियों को आवेदक को सूचित करना आवश्यक है। उक्त प्रावधान नीचे उद्धृत है:-

" "पेटेंट योग्यता पर तीसरे पक्ष की टिप्पणियां

33. (1) नियंत्रक को धारा 21 के तहत पेटेंट योग्यता पर प्राप्त किसी भी टिप्पणी की एक प्रति आवेदक को भेजनी होगी।

(2) लेकिन पैराग्राफ (1) किसी ऐसी टिप्पणी पर लागू नहीं होगा जो नियंत्रक की राय में-

(क) किसी व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करेगी जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना हो; या

(ख) जिससे आम तौर पर आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने की उम्मीद की जाती है।

(3) नियंत्रक, यदि वह उचित समझे, तो टिप्पणियों में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज की एक प्रति आवेदक को भेज सकता है।

(4) पेटेंट योग्यता पर कोई भी टिप्पणी नियंत्रक को परीक्षक को भेजनी होगी।

(5) लेकिन पैराग्राफ (4) वहां लागू नहीं होता जहां परीक्षक द्वारा धारा 18(4) के तहत रिपोर्ट करने के बाद टिप्पणियां प्राप्त होती हैं कि एक आवेदन अधिनियम और इन नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।"

108. नियमों के भाग 7 में नियंत्रक के समक्ष सुनवाई प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। नियम 74 से 77 नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

" अध्यारोही उद्देश्य

74.- (1) इस भाग के नियमों में एक प्रक्रियात्मक संहिता निर्धारित की गई है जिसका अध्यारोही उद्देश्य नियंत्रक को मामलों को न्यायोचित ढंग से निपटाने में सक्षम बनाना है।

(2) किसी मामले को न्यायोचित ढंग से निपटाने में, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) यह सुनिश्चित करना कि पक्षकारगण समान स्तर पर हों;

(ख) व्यय की बचत;

(ग) मामले को उस तरीके से निपटाना जो

(i) इसमें शामिल धनराशि के अनुपात में हो,

(ii) मामले के महत्व के अनुरूप हो,

(iii) मुद्दों की जटिलता के अनुरूप हों, और

(iv) प्रत्येक पक्षकार की वित्तीय स्थिति के अनुपात में हो;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि इसका निपटारा शीघ्रतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से किया जाए; तथा

(ङ) अन्य मामलों के लिए संसाधनों को आवंटित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसे नियंत्रक के लिए उपलब्ध संसाधनों का उचित हिस्सा आवंटित करना।

(3) नियंत्रक उस समय अध्यारोही उद्देश्य को प्रभावी करने का प्रयास करेगा जब वह-

(क) इस भाग द्वारा उसे दी गई किसी शक्ति का प्रयोग करेगा; या

(ख) इस भाग के किसी नियम की व्याख्या करेगा।

(4) पक्षकारगण को अध्यारोही उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नियंत्रक की मदद करने की आवश्यकता होती है।

नोटिस का प्रकाशन

75.– (1) पैराग्राफ (2) और नियम 105(5) के अधीन, नियंत्रक को जर्नल में किसी भी घटना का विज्ञापन करना चाहिए, जिस पर अनुसूची 3 के भाग 2 या 3 में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के तहत आपत्ति उठाना संभव है।

(2) जहां मालिक द्वारा धारा 75(1) के तहत पेटेंट के विनिर्देश में संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, नियंत्रक, यदि वह उचित समझे, जर्नल में प्रस्तावित संशोधन का विज्ञापन कर सकता है।

कार्यवाही शुरू करना

76.- (1) कार्यवाही तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति

(क) प्रासंगिक फॉर्म की दो प्रतियां दाखिल करता है; तथा

(ख) अपने आधारों का कथन दो प्रतियों में दाखिल करता है।

(2) कोई भी व्यक्ति इन स्थितियों में विरोध का नोटिस दे सकता है-

(क) धारा 75(2) के मामले में, प्रासंगिक नोटिस की तिथि के तुरंत बाद शुरू होने वाली दो सप्ताह की अवधि के अंत से पहले; और

(ख) अनुसूची 3 के भाग 2 में उल्लिखित अन्य प्रावधानों में से किसी के मामले में, प्रासंगिक नोटिस की तिथि के तुरंत बाद शुरू होने वाली चार सप्ताह की अवधि के अंत से पहले।

(3) इस नियम और नियम 77 के प्रयोजनों के लिए- "प्रासंगिक प्रपत्र" का तात्पर्य -

(क) अनुसूची 3 के भाग 1, पेटेंट प्रपत्र एसपी3 में उल्लिखित औषधीय उत्पाद विनियमन या पादप संरक्षण उत्पाद विनियमन के प्रावधानों के तहत आवेदनों या अनुरोधों के संबंध में है;

(ख) उस अनुसूची के भाग 1, पेटेंट प्रपत्र 2 में उल्लिखित किसी अन्य प्रावधान के तहत आवेदन, संदर्भ या अनुरोध के संबंध में है; और

(ग) उस अनुसूची के भाग 2, पेटेंट प्रपत्र 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत विरोध के संबंध में है;

और "प्रासंगिक सूचना" का तात्पर्य नियम 75 में उल्लिखित जर्नल में विज्ञापन है।

(4) आधारों के कथन में

(क) उन तथ्यों और आधारों का संक्षिप्त कथन शामिल होना चाहिए जिन पर दावेदार निर्भर करता है;

ख) नियम 89(5) के मामले में इसमें, ड्राफ्ट लाइसेंस पर आपत्ति के आधार शामिल होने चाहिए;

(ग) इसमें, जहां उपयुक्त हो, लाइसेंस की वह अवधि या शर्तें शामिल होनी चाहिए जिन्हें वह उचित मानता है;

(घ) इसमें वह उपाय अवश्य निर्दिष्ट होना चाहिए जिसकी वह मांग करता है;

(ङ) अनिवार्य लाइसेंसिंग विनियमन (क) के तहत किसी आवेदन के साथ इसमें उस विनियमन द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी शामिल होनी चाहिए;

(च) इसको सत्य के एक बयान द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए;

(छ) इसको अनुसूची 2 के भाग 1 की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

पक्षकारगण की अधिसूचना

77.- (1) नियंत्रक को उस पेटेंट के आवेदक या स्वामी को, जो मामले का विषय है, सूचित करना होगा कि कार्यवाही शुरू हो गई है।

(2) इसके अलावा, नियंत्रक ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे प्रतीत होता है कि मामले में उसकी रुचि होने की संभावना है, अधिसूचित कर सकता है कि कार्यवाही शुरू हो गई है।

(3) लेकिन जहां पैराग्राफ (1) या (2) में उल्लिखित कोई व्यक्ति—

(क) दावेदार है; या

(ख) ने नियंत्रक को लिखित रूप में संकेत दिया है कि वह दावेदार के मामले का समर्थन करता है, तो नियंत्रक का उसे सूचित करने का कोई कर्तव्य नहीं है।

पैराग्राफ (1) या (2) के तहत अधिसूचना।

(4) नियंत्रक को पैराग्राफ (1) या (2) के तहत अधिसूचना के साथ प्रासंगिक प्रपत्र और आधार का कथन भेजना होगा।

(5) उस अधिसूचना में, नियंत्रक को एक अवधि निर्दिष्ट करनी होगी जिसके भीतर अधिसूचित व्यक्ति प्रति-कथन दाखिल कर सकेंगे।

(6) पैराग्राफ (5) के तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले कोई भी प्रति-कथन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

(7) लेकिन पैराग्राफ (5) और (6) अनुसूची 3 के भाग 3 में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के तहत किसी विरोध पर लागू नहीं होते हैं।

(8) ऐसे विरोधों में, किसी भी प्रति-कथन को संबंधित नोटिस की तिथि के तुरंत बाद शुरू होने वाली चार सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

(9) जहां-

(क) एक व्यक्ति को पैराग्राफ (1) या (2) के तहत अधिसूचित किया गया था; तथा

(ख) यदि वह व्यक्ति पैराग्राफ (6) या (8) के अंतर्गत प्रति-कथन दाखिल करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक उसे दावेदार के मामले का समर्थन करने वाला मानेगा।

(10) धारा 46 के अधीन की गई प्रविष्टि कि लाइसेंस अधिकार के रूप में उपलब्ध हैं, को रद्द करने के विरोध में धारा 47(6) के अधीन नियंत्रक को नोटिस देने के प्रयोजनों के लिए निर्धारित अवधि, पैरा (8) द्वारा निर्धारित अवधि है।

109. इस प्रकार, पेटेंट अधिनियम, 1977 तथा पेटेंट नियम, 2007 में किए गए विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा विरोधी प्रक्रिया में कोई टिप्पणी किए जाने पर उसे नियंत्रक के समक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाता है, जब वह परीक्षक की टिप्पणियों तथा रिपोर्ट पर विचार कर रहा होता है या जब प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से पेटेंट आवेदन का परीक्षण कर रहा होता है। किसी भी मामले में, इस संबंध में जो भी संदेह हो, उसे धारा 21(2) के आधार पर निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया जाता है।

110. फिर यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन की ओर मुड़ते हुए, हम उसके भाग IV में दिए गए प्रावधानों पर ध्यान देते हैं और जो आवेदन के परीक्षण और पेटेंट प्रदान करने तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 90 और 92 इस प्रकार हैं: -

" अनुच्छेद 90

औपचारिक आवश्यकताओं के अनुसार दाखिल करने और परीक्षण करने पर परीक्षण

(1) यूरोपीय पेटेंट कार्यालय कार्यान्वयन विनियमों के अनुसार परीक्षण करेगा कि क्या आवेदन दाखिल करने की तिथि की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(2) यदि पैराग्राफ 1 के तहत परीक्षण के बाद दाखिल करने की तिथि नहीं दी जा सकती है, तो आवेदन को यूरोपीय पेटेंट आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

(3) यदि यूरोपीय पेटेंट आवेदन को दाखिल करने की तिथि प्रदान कर दी गई है, तो यूरोपीय पेटेंट कार्यालय कार्यान्वयन विनियमों के अनुसार परीक्षण करेगा कि क्या अनुच्छेद 14, 78 और 81, और, जहां लागू हो, अनुच्छेद 88, पैराग्राफ 1, और अनुच्छेद 133, पैराग्राफ 2 की आवश्यकताएं, साथ ही कार्यान्वयन विनियमों में निर्धारित कोई अन्य आवश्यकता पूरी की गई है।

(4) जहां यूरोपीय पेटेंट कार्यालय पैराग्राफ 1 या 3 के तहत परीक्षण आयोजित करते समय उल्लिखित करता है कि कुछ कमियां हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, तो यह आवेदक को उन्हें ठीक करने का अवसर देगा।

(5) यदि पैराग्राफ 3 के तहत परीक्षण में उल्लिखित की गई किसी भी कमी को ठीक नहीं किया जाता है, तो यूरोपीय पेटेंट आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा जब तक कि इस कन्वेंशन द्वारा एक अलग विधिक परिणाम प्रदान नहीं किया जाता है। जहां कमी प्राथमिकता के अधिकार से संबंधित है, वहां आवेदन के लिए यह अधिकार समाप्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 92

यूरोपीय खोज रिपोर्ट तैयार करना

यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, कार्यान्वयन विनियमों के अनुसार, विवरण और किसी भी चित्र को ध्यान में रखते हुए, दावों के आधार पर यूरोपीय पेटेंट आवेदन के संबंध में एक यूरोपीय खोज रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा।"

111. प्रकाशन और परीक्षण का विषय अनुच्छेद 93 और 94 द्वारा शासित होता है जो इस प्रकार है:-

" अनुच्छेद 93
यूरोपीय पेटेंट आवेदन का प्रकाशन
(1) यूरोपीय पेटेंट कार्यालय जितनी जल्दी हो सके यूरोपीय पेटेंट आवेदन प्रकाशित करेगा
(क) दाखिल करने की तिथि से अठारह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद, या, यदि प्राथमिकता का दावा किया गया है, प्राथमिकता की तिथि से, या
(ख) उस अवधि की समाप्ति से पहले, आवेदक के अनुरोध पर।
(2) यूरोपीय पेटेंट आवेदन यूरोपीय पेटेंट के विनिर्देशन के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा, जब पेटेंट प्रदान करने का निर्णय पैरा-ग्राफ 1(क) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्रभावी हो जाता है।

अनुच्छेद 94
यूरोपीय पेटेंट आवेदन के परीक्षण
(1) यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, कार्यान्वयन विनियमों के अनुसार, अनुरोध पर परीक्षण करेगा कि क्या यूरोपीय पेटेंट आवेदन और वह आविष्कार जिससे वह संबंधित है, इस कन्वेंशन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब तक परीक्षण शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक अनुरोध दायर नहीं माना जाएगा।
(2) यदि नियत समय में परीक्षण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है तो आवेदन वापस लिया हुआ समझा जाएगा।

(3) <u>यदि परीक्षण से पता चलता है कि आवेदन या आविष्कार, जिससे वह संबंधित है, इस कन्वेंशन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो परीक्षण प्रभाग, आवेदक को, जितनी बार आवश्यक हो, अपनी टिप्पणियां दाखिल करने के लिए आमंत्रित करेगा और अनुच्छेद 123, पैराग्राफ 1 के अधीन, आवेदन को संशोधित करेगा।</u>

(4) यदि आवेदक परीक्षण प्रभाग से किसी भी संचार का नियत समय में जवाब देने में विफल रहता है, तो आवेदन वापस ले लिया गया माना जाएगा।

112. अनुच्छेद 94(3) महत्वपूर्ण है, जिसमें यह प्रावधान है कि परीक्षण प्रभाग, जब भी आवश्यक हो, टिप्पणियां दाखिल करने या आवेदन में संशोधन करने के लिए "आवेदक को आमंत्रित करेगा"। यहां भी, आपत्तिकर्ता को परीक्षण प्रक्रिया में कोई भागीदारी की भूमिका नहीं दी गई है। जहां तक विरोध का सवाल है, इसे शुरू में अनुच्छेद 99 द्वारा विनियमित किया जाता है और जो इस प्रकार है: -

" अनुच्छेद 99

विरोध

(1) यूरोपीय पेटेंट बुलेटिन में यूरोपीय पेटेंट के अनुदान के उल्लेख के प्रकाशन के नौ महीने के भीतर, कार्यान्वयन विनियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति उस पेटेंट के विरोध में यूरोपीय पेटेंट कार्यालय को नोटिस दे सकता है। विरोध का नोटिस तब तक दायर नहीं माना जाएगा जब तक कि विरोध शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

(2) यह विरोध यूरोपीय पेटेंट पर उन सभी संविदाकारी राज्यों में लागू होगा जिनमें उस पेटेंट का प्रभाव है।

(3) विरोधी विपक्षी कार्यवाही में पक्षकार होने के साथ-साथ पेटेंट के स्वामी भी होंगे।

(4) जहां कोई व्यक्ति यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि किसी संविदाकारी राज्य में, अंतिम निर्णय के पश्चात्, उसे पूर्व स्वामी के स्थान पर ऐसे राज्य के पेटेंट रजिस्टर में दर्ज किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति उसके अनुरोध पर, ऐसे राज्य के संबंध में पूर्व स्वामी का स्थान लेगा। अनुच्छेद 118 के

बावजूद, पिछले मालिक और अनुरोध करने वाले व्यक्ति को संयुक्त मालिक नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों ऐसा अनुरोध न करें।"

113. यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो जाता है कि अनुच्छेद 99 अनिवार्य रूप से अनुदान के बाद के विरोध से संबंधित है, जैसा कि उस अनुच्छेद की भाषा से स्पष्ट होगा और चूंकि यह वाक्यांश *".....यूरोपीय पेटेंट के अनुदान के उल्लेख का प्रकाशन....."* को नियोजित करता है। अनुच्छेद 99 (3) महत्वपूर्ण है, जो घोषित करता है कि आवेदक के साथ-साथ विपक्षी भी विरोध कार्यवाही में पक्षकार होंगे। हालाँकि, यहां तक कि यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन उन अधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करता है जिनका दावा विरोधियों द्वारा पेटेंट प्रक्रिया के अनुदान से पहले और बाद के चरण में किया जा सकता है। यह उस भाषा से स्पष्ट होगा जिसमें अनुच्छेद 115 को शामिल किया गया है और जो पेटेंट योग्यता के संबंध में टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए तीसरे पक्ष के अधिकार को मान्यता देते हुए निर्धारित करता है कि यह कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं होगा। यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो जाता है कि अनुच्छेद 115 स्पष्ट रूप से अनुदान पूर्व विरोध से संबंधित है क्योंकि यह *"...यूरोपीय पेटेंट आवेदन के प्रकाशन के बाद"* अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन भी *परीक्षण प्रक्रिया* के दौरान किसी प्रतिद्वंद्वी के पक्ष को सुने जाने के

अधिकार को स्वीकार नहीं करता है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि कन्वेंशन का निर्माण केवल अनुदान पश्चात विरोधों से निपटने के लिए किया गया है। अनुच्छेद 115 यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> **—अनुच्छेद 115**
> **तीसरे पक्ष द्वारा टिप्पणियाँ**
> यूरोपीय पेटेंट आवेदन के प्रकाशन के बाद, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के समक्ष कार्यवाही में, कोई भी तीसरा पक्ष, कार्यान्वयन विनियमों के अनुसार, उस आविष्कार की पेटेंट योग्यता के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है जिससे आवेदन या पेटेंट संबंधित है। वह व्यक्ति कार्यवाही में पक्षकार नहीं होगा।"

त. धारा 57 का महत्व

114. संशोधन का विषय मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 57 द्वारा विनियमित है। हालाँकि, उक्त प्रावधान के दायरे और इसके अंतर्निहित उद्देश्य को इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें समय-समय पर कैसे संशोधन किया गया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 57(1) *"पेटेंट के लिए आवेदक"* और "पेटेंटधारक" दोनों को संशोधन की मांग करने में सक्षम बनाती है। धारा 57(3) संशोधन के लिए आवेदन प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता निर्धारित करती है। धारा 57(3), जैसा कि वह मूलतः थी, संशोधन अधिनियम, 2002 के पारित होने के बाद भी सारतः बरकरार रखी गई थी, सिवाय इसके कि जहां तक संशोधन के

विज्ञापन के मुद्दे का संबंध था और नियंत्रक किस प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य था यदि उसकी राय में संशोधनों को महत्वपूर्ण माना गया। हालाँकि, प्रस्तावित संशोधनों के विरोध का अधिकार लगातार इच्छुक व्यक्ति तक ही सीमित है। हालाँकि, उप-धारा (3) अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति में "पेटेंट के अनुदान के बाद किए गए" संशोधन की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रकाशित होने की बात करती है। संशोधन अधिनियम, 2005 के आधार पर उप-धारा (3) को भी प्रतिस्थापित और पुनर्गठित किया गया और जैसा कि यहां पहले देखा गया है, *किसी भी व्यक्ति और इच्छुक व्यक्ति* के बीच अंतर को सचेत रूप से प्रस्तुत किया गया है। धारा 57(3) में "पेटेंट के अनुदान के बाद किया गया" अभिव्यक्ति के उपयोग के बावजूद और जो प्रकाशन के मुद्दे को योग्य बनाता है, हमारी सुविचारित राय में, स्वेच्छा से किए गए संशोधन के किसी भी आवेदन की जानकारी उन सभी व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जिन्होंने विरोध के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हों, क्योंकि वे पहले से ही मैदान में मौजूद पक्षकारगण होंगे और इस प्रकार विरोध का क्षेत्र बनाऐंगे। यह इस तथ्य के कारण भी आवश्यक होगा कि पीजीओ प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत संशोधन संभवतः उठाई गई आपत्तियों या व्यक्त की गई आपत्तियों के कारण किए गए होंगे। इस प्रकार, यह जांचने के लिए कि क्या प्रस्तावित संशोधन नियम 55(1) के सहपठित धारा 25(1) के संदर्भ में विरोध का प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं, नियंत्रक

आक्षेपकर्ताओं को नोटिस देने और उन्हें सुनने का अवसर देने के लिए बाध्य होगा। इस स्थिति को अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री सिंह ने भी स्वीकार किया, जिन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 25(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार के आधार पर पीजीओ प्रस्तुत किया हो, उसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी स्वैच्छिक संशोधन पर सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार पक्षकारगण के बीच विवाद का मुद्दा प्रतिद्वंद्वी के सुनने के अधिकार तक ही सीमित था, जहां संशोधन *परीक्षण प्रक्रिया* के दौरान जारी नियंत्रक के एक निर्देश द्वारा प्रेरित किया गया था। हमारी सुविचारित राय में, धारा 57(6) और इसके बाद विस्तृत कारणों से इस मुद्दे का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है।

115. उपधारा (6) में निहित प्रावधान और 2002 और 2005 के संशोधन अधिनियमों के संदर्भ में उनमें परिवर्तनकारी परिवर्तन कैसे आए, इसका अत्यधिक महत्व है। उप-धारा (6), जैसा कि मूल रूप से तथा 2002 के संशोधन के पश्चात व्यवस्थित थी, ने घोषित किया कि धारा 57 की प्रक्रिया, पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति से पहले या पेटेंट के अनुदान के विरोध में कार्यवाही के दौरान जारी नियंत्रक के निर्देश का पालन करने के लिए विनिर्देश या उससे संबंधित किसी दस्तावेज को संशोधित करने के आवेदक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी। वाक्यांश "*या पेटेंट के अनुदान के विरोध में कार्यवाही के दौरान" को*

अब "पेटेंट के अनुदान से पहले जारी किए गए नियंत्रक के निर्देशों का पालन करने के लिए" अभिव्यक्ति के साथ बदल दिया गया है।

116. इस प्रकार, नियंत्रक के निर्देश का अनुपालन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधन को, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले किसी भी स्वैच्छिक संशोधन से अलग स्थान पर रखा जाता है। इस प्रकार धारा 57(6) न केवल आवेदक को अपने विवेक पर प्रस्तावित संशोधनों के बाद होने वाले विवाद की कठोरता से मुक्त करती है, बल्कि यह धारा 57(1) से जुड़े संशोधनों और उप-धारा (6) के अंतर्गत आने वाले संशोधनों के बीच स्पष्ट अंतर रेखा खींचने के लिए कानून की मंशा को भी उजागर करती है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 57 (4) में परिकल्पित सुनवाई और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया, नियंत्रक के निर्देश द्वारा प्रेरित संशोधनों के विपरीत, आवेदक द्वारा अपनी इच्छा से प्रस्तावित संशोधनों तक सीमित होगी।

117. हमारा निष्कर्ष है कि नियंत्रक के निर्देशों पर आधारित संशोधन धारा 57(1) के दायरे में नहीं आएगा, जो हमारे इस निष्कर्ष को अतिरिक्त विश्वसनीयता प्रदान करता है कि परीक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो विरोध की कार्यवाही से अलग और स्वतंत्र है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विरोध के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन केवल प्रभाव और सामग्री है जिसे नियंत्रक पेटेंट आवेदन का मूल्यांकन

करते समय ध्यान में रख सकता है। ये अभ्यावेदन नियंत्रक को आवेदन का परीक्षण करने तथा इस बात से संतुष्ट होने से मुक्त नहीं करते कि पेटेंट अनुदान योग्य है। नियंत्रक को वह कार्य करना होगा तथा वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, चाहे आपत्ति का गुणागुण कुछ भी हो या अन्यथा या यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां कोई आपत्ति नहीं की गई हो। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह एक बार फिर कहा जाना चाहिए कि पेटेंट का अनुदान किसी विरोध की अस्वीकृति का स्वाभाविक या अपरिहार्य परिणाम नहीं है।

थ. हितों का संतुलन

118. धारा 43 (1) के विधायी आदेश को ध्यान में रखते हुए, हमें पेटेंट आवेदनों पर विचार करने और उचित शीघ्रता से इसे निपटाने की अनिवार्यता के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। जिसे हमारा न्यायालय *"क्रमिक विरोध"* के रूप में वर्णित करने के लिए बाध्य था, उससे विधायी उद्देश्य को पराजित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है, पेटेंट आवेदन मूल रूप से 08 नवंबर 2006 को दायर किया गया था और 24 अगस्त 2007 को प्रकाशित हुआ था। एफईआर तैयार कर 30 जनवरी 2015 को प्रस्तुत किया गया। हमें 2007 से 2015 के बीच हुई कार्यवाहियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। निर्विवाद रूप से, पीजीओ पर आखिरी सुनवाई 03 नवंबर 2022 को समाप्त हुई।

तुरंत और अगले ही दिन डॉ. कंचन कोहली द्वारा एक नया पीजीओ दाखिल किया गया। उक्त प्रतिद्वंद्वी ने पीजीओ पर सुनवाई समाप्त होने के बाद नियंत्रक से संपर्क करने के लिए कोई औचित्य नहीं बताया है।

119. हमारा दृढ़ मत है कि केवल इसलिए कि एक पेटेंट दिए जाने के समय तक पूर्व-अनुदान विरोध दायर किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, जिससे शीघ्र विचार-विमर्श के विधायी उद्देश्य में देरी हो और उसे पटरी से उतारा जा सके। हम विषयगत आवेदन के संबंध में आईपीएबी द्वारा तैयार किए गए निर्देशों के साथ-साथ मुकदमेबाजी के पिछले दौर में हमारे न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए निर्देशों को भी ध्यान में रखते हैं, जिसमें नियंत्रक को लंबित कार्यवाही को संरचित और व्यवस्थित करने की सलाह दी गई थी ताकि पेटेंट आवेदन पर शीघ्र विचार किया जा सके। न्यायालय ने अपीलार्थी के उस विलाप पर भी ध्यान दिया जब यह आग्रह किया गया था कि पेटेंट के अधिकतम बीस वर्षों में से सोलह वर्ष केवल पेटेंट आवेदन के अभियोजन में व्यतीत हो गए थे। इस प्रकार हम एक एकल पेटेंट आवेदन के निपटारे में बिताए गए सोलह वर्षों का कोई औचित्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं।

120. जबकि हम जानते हैं कि प्रत्यर्थीगण ने आरोप लगाया है कि अपीलार्थी स्वयं विभिन्न संशोधनों को पेश करके देरी करने का दोषी था, हम इस मुद्दे पर

खोज करने या दोषारोपण करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हम जो आवश्यक समझते हैं और जिसका पालन करने के लिए बाध्य हैं, वह यह है कि नियंत्रक कार्यालय को ऐसे उपाय तैयार करने और अपनाने में अच्छी सलाह दी जाएगी, जिससे अधिनियम की धारा 43 के विधायी आदेश के अनुरूप पेटेंट आवेदनों पर शीघ्र विचार करने में सुविधा होगी।

121. हमारी यह भी सुविचारित राय है कि यूसीबी फार्चिम और स्नेहलता सी. गुप्ते दोनों ने सही पाया कि धारा 25 (2) उपाय उन अधिकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है जिनका दावा इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। प्रतिद्वंद्वियों के उस वर्ग के संबंध में चुनौती का अधिकार संरक्षित है, जो विपक्ष के लिए अनुदान-पूर्व अभ्यावेदन और *परीक्षण प्रक्रिया* के शीघ्र समापन के बीच उचित संतुलन बनाने के विधायी उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। वास्तव में, यह वह पहलू है जो नियम 55 (5) को सूचित करता है और नियंत्रक को आपत्तियों का निपटान करने और साथ ही पेटेंट आवेदन का निपटान करने के लिए एक अनिवार्य आदेश पारित करने के लिए बाध्य करता है।

122. इस अध्याय को समाप्त करते हुए, हम यह टिप्पणी करना उचित समझते हैं कि निऑन लैबोरेटरीज तथा बेस्ट एग्रोलाइफ में लिए गए निर्णय पेटेंट आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वैच्छिक संशोधनों से संबंधित थे। जैसा कि हमने इस

निर्णय के पिछले हिस्सों में देखा है, अपीलार्थी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि प्रतिद्वंद्वी आवेदक द्वारा प्रस्तावित किसी भी स्वैच्छिक संशोधन पर सवाल उठाने का हकदार है। हमने स्वतंत्र रूप से पाया है कि इस तरह के अधिकार का दावा किया जा सकता है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी पहले से ही विपक्षी कार्यवाही में एक पक्षकार है और इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी संशोधन के बारे में उसे अवगत कराना होगा। हालाँकि, जिस बुनियादी सवाल की जाँच करने के लिए हमारा आह्वान गया था, वह यह था कि क्या यह अधिकार परीक्षण प्रक्रिया में भागीदारी तक भी विस्तारित होगा। यहां ऊपर दर्ज कारणों से उस तर्क का उत्तर पहले ही नकारात्मक दिया जा चुका है। हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियम 55 पर की गई व्याख्या को स्वीकार करने में भी खुद को असमर्थ पाया है। इस प्रकार हमारा मानना है कि उपरोक्त दो निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

द. आक्षेपित निर्णय- एक संक्षिप्त समीक्षा

123. हम *हरियाणा पेस्टिसाइड्स* मामले में इस न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं तथा उसे बरकरार रखते हैं तथा हमारा विचार है कि विद्वान न्यायाधीश ने सही रूप से इस अंतर को देखा है जिसे स्वैच्छिक संशोधनों तथा नियंत्रक के निर्देश पर आधारित संशोधनों के बीच विद्यमान माना जाना चाहिए। इस प्रकार

हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को बरकरार रखने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, जिन्होंने *परीक्षण* और *विरोधी* कार्यवाही के विलय और अभिसरण के बिंदु पर पहुँचने की बात कही थी। हमारा यह भी मत है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने *नाटको फार्मा* की व्याख्या करने में स्पष्ट रूप से गलती की है और इसके पैरा 22 में दी गई महत्वपूर्ण केवियट को नजरअंदाज किया है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि संशोधनों के संबंध में सामान्य रूप से की गई टिप्पणियाँ अधिनियम की धारा 15 के तहत नियंत्रक द्वारा निर्देशित संशोधन पर लागू नहीं होंगी।

124. हमारे सम्मानजनक दृष्टिकोण से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी नियम 55 (4) को उठाए गए प्रश्न का निर्धारक अभिनिर्धारित करने में स्पष्ट रूप से गलती की है। उक्त निष्कर्ष इस बात पर विचार करने में विफल रहता है कि उक्त प्रावधान उस कथन और साक्ष्य तक ही सीमित है जिसे आवेदक उप-नियम (3) के तहत जारी किए जा सकने वाले नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत कर सकता है। नियम 55 (3) नोटिस, जैसा कि स्पष्ट है, दायर विरोध तक सीमित है और नियंत्रक संतुष्ट है कि अभ्यावेदन विचारणीय है। इसका परीक्षण प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। विद्वान न्यायाधीश ने नियम 55 (3) को *"नियंत्रक की आपत्तियों"* के रूप में परिभाषित करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, इस तथ्य को

नजरअंदाज करते हुए कि उप-नियम (3) का विषय बनाने वाली आपत्तियाँ वे हैं जो एक विरोधी द्वारा उठाई गई थीं। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह नियम 28 (3), 28क, 29 और 30 के संयुक्त पठन से और पुष्ट होता है, जहाँ कार्यवाही आवेदक और नियंत्रक तक ही सीमित है। यह हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि परीक्षण प्रक्रिया एक अलग और स्वतंत्र मार्ग का निर्माण करती है। केवल इसलिए कि परीक्षण और विरोधी कार्यवाही समानांतर रूप से चलती है, अभिसरण के तर्क को विश्वसनीयता नहीं मिलेगी।

125. अधिक मौलिक स्तर पर, हम पाते हैं कि नाटको द्वारा उठाई गई चुनौती को विधिवत् स्थापित और सिद्ध *"पूर्वाग्रह"* की कसौटी पर परखा जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष मामला केवल नोटिस के अभाव के आधार पर आगे बढ़ा, जिसमें प्रत्यर्थी को पूर्वाग्रह और स्पष्ट अन्याय सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया, और ये वे पहलू हैं जिन्हें इस बात पर विचार करते समय आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या कोई आक्षेपित कृत्य नैसर्गक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। आक्षेपित निर्णय धारा 25(2) द्वारा बनाए गए उपाय की पर्याप्तता की विवेचना करने में भी विफल रहा और जिस पहलू को *स्नेहलता सी. गुप्ते* में विधिवत रेखांकित किया गया था।

126. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि *हरियाणा पेस्टिसाइड्स* मामले में समन्वय पीठ के निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विधिवत उद्धृत किया गया था। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय को इस आधार पर अलग करने का प्रयास किया गया कि पैरा 102 में यह देखा गया कि *"वर्तमान मामले के विपरीत..."* उक्त निर्णय नियंत्रक द्वारा निर्देशित संशोधनों से निपट रहा था। वर्तमान मामले में भी स्थिति वैसी ही थी जैसा कि 25 नवंबर 2022 के नोटिस को पढ़ने से स्पष्ट होगा। जबकि श्री साई दीपक ने उस नोटिस को आवेदन की निरंतर परीक्षण के बाद जारी किया गया नोटिस बताया, हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं। उक्त नोटिस में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी से उद्धृत आपत्तियों पर ध्यान देने को कहा गया था, जिसके लिए आवश्यक रूप से उचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता थी। केवल इसलिए कि नोटिस में "संशोधन" शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया, यह नियंत्रक के उस निर्देश को कम नहीं करेगा, जिसमें अपीलार्थी को पेटेंट आवेदन में संशोधन और परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। *हरियाणा पेस्टिसाइड्स* मामले में लिया गया निर्णय सभी पर लागू होता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता।

127. विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी *अयंगर* रिपोर्ट पर अपने निष्कर्ष को आधारित किया प्रतीत होता है और जिसने पैरा 208 में टिप्पणी की थी कि ***"मोटे***

तौर पर कहा जाए तो *विरोधी कार्यवाही परीक्षक द्वारा की गई जाँच का विस्तार है।"* सबसे पहले, उपर्युक्त टिप्पणी पेटेंट जाँच समिति द्वारा विरोधी कार्यवाही को पूरी तरह से हटाने की अनुशंसा के संदर्भ में की गई थी। दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अयंगर समिति ने उस अनुशंसा का मूल्यांकन करते समय अंग्रेजी कानून, अर्थात् पेटेंट अधिनियम, 1949 और उस समय प्रचलित अन्य विधानों में निहित प्रावधानों पर ध्यान दिया था। हमने इस निर्णय के पिछले भागों में पेटेंट अधिनियम, 1977 द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर ध्यान दिया है और जो धारा 21(2) के अनुसार स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि कोई विरोधी केवल अनुदान-पूर्व अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आधार पर नियंत्रक के समक्ष पक्षकार होने का दावा नहीं कर सकता है। जहाँ तक सार्वजनिक हित के बीच संतुलन के पहलू और पेटेंट आवेदक की शीघ्र विचार की अपेक्षा का प्रश्न है, हम केवल यह टिप्पणी कर सकते हैं कि उक्त उद्देश्य को ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से संरक्षित रखा गया है।

ध. निष्कर्ष

128. संक्षेप में हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार स्पष्ट करना उचित समझते हैं निम्नलिखित हैः-

क. परीक्षण प्रक्रिया वह है जो नियंत्रक द्वारा उस प्राधिकारी पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन में शुरू की जाती है। पेटेंट आवेदन का परीक्षण करना नियंत्रक का विशेष कर्तव्य है तथा यह उन आपत्तियों से स्वतंत्र होता है, जो उठाई जा सकती हैं या नहीं उठाई जा सकती हैं। यद्यपि आपत्ति परीक्षण प्रक्रिया में सहायता करती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल नियंत्रक को पेटेंट आवेदन का समग्र परीक्षण करने में सुविधा और सहायता प्रदान करना होता है। इससे नियंत्रक पर डाले गए स्वतंत्र कर्तव्य और दायित्व में कोई कमी नहीं आती कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदन अनुदान के योग्य है।

ख. अनुदान-पूर्व विरोध चरण में, प्रत्यक्ष हितधारकों के अलावा, विभिन्न कारणों से आवेदन का विरोध करने वाले व्यक्तियों की भी राय जानने का अवसर मिलता है। यह नियंत्रक को व्यापक स्रोतों से अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है, न कि उन लोगों से जिनकी मामले में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी हो सकती है। उपरोक्त के अनुसार संरचित विरोधी प्रक्रिया आपत्तियों और दृष्टिकोणों की व्यापक खोज की ओर ले

जाती है जिससे नियंत्रक को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

ग. स्नेहलता सी. गुप्ते ने अनुदान के विरोध को सही रूप से समझा कि यह पेटेंट आवेदन के परीक्षण में नियंत्रक के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार अनुदान का विरोध पेटेंट आवेदन पर व्यापक विचार-विमर्श को बढ़ावा देता है और प्रेरित करता है।

घ. इस प्रकार यह प्रक्रिया एक खुली और सहभागितापूर्ण आदान-प्रदान है, जो यह सुनिश्चित करती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को विरोधियों के विविध समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से लाभ मिले। यद्यपि इच्छुक व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकते हैं, नियंत्रक उन व्यक्तियों के एक बड़े वर्ग के विचारों को जानने और जानने के उद्देश्य से आपत्तियां आमंत्रित करता है, जो विभिन्न कारणों से अनुदान का विरोध करना चाहते हैं।

ङ. अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित विरोधी प्रक्रिया का एक विशिष्ट एवं लक्षित उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को पेटेंट आवेदन के संबंध में आपत्तियों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। विरोधी प्रक्रिया के दौरान प्राप्त

आपत्तियाँ नियंत्रक को अनुदान के प्रश्न पर विविध विचारों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या क्या पूर्ण विनिर्देशों में संशोधन आवश्यक है। इसलिए विरोधी प्रक्रिया का घोषित उद्देश्य यह है कि नियंत्रक के विचारार्थ बाह्य मत रखे जाएं, जिससे वह पेटेंट आवेदन के अनुदान के संबंध में सूचित निर्णय ले सके।

च. हालाँकि, विरोध अपने आप में एकमात्र निर्धारक नहीं है कि पेटेंट प्रदान किया जा सकता है या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध की मात्र अस्वीकृति के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी विरोध की अस्वीकृति, वास्तव में, पेटेंट के अनुदान का कारण नहीं बनेगी या नियंत्रक को पेटेंट आवेदन की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। विरोध की अस्वीकृति के बावजूद, नियंत्रक कानूनी रूप से और वैधानिक रूप से एफईआर के आधार पर पेटेंट आवेदन की स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने के साथ-साथ इस बात का परीक्षण करने के लिए बाध्य है कि क्या पेटेंट कानून के तहत दिये जाने योग्य है।

छ. परीक्षण प्रक्रिया एक व्यापक और महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती है। इस चरण में पेटेंट आवेदन का गहन मूल्यांकन किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह पेटेंट अनुमोदन के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और परीक्षक और नियंत्रक द्वारा आवेदन का गहन और स्वतंत्र मूल्यांकन करने में सुविधा प्रदान करता है। परीक्षण *और विरोधी प्रक्रिया* के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना न केवल प्राप्त किए जाने वाले अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चरण की पवित्रता और प्रभावकारिता बनी रहे।

ज. यह पृथक्करण कठोर परीक्षण की आवश्यकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने के कार्य के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। परीक्षण प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी मानकों के आधार पर पेटेंट आवेदन का केंद्रित मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें नियंत्रक को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाता है कि केवल योग्य आविष्कारों को ही पेटेंट संरक्षण प्रदान किया जाए। वहीं दूसरी ओर, विरोधी प्रक्रिया बाहरी

हितधारकों या किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, जिससे पेटेंट आवेदन के अधिक व्यापक मूल्यांकन में योगदान मिलता है।

झ. प्रक्रिया को एक साथ मिलाना परीक्षण की कठोरता से समझौता करना होगा क्योंकि बाहरी प्रभाव, हालांकि मूल्यवान हैं, विपक्ष के पृथक और विशिष्ट ढांचे के भीतर सबसे अच्छे माने जाते हैं। इन अंतर करने वाली प्रक्रियाओं को एक साथ मिलाने से न केवल संपूर्ण प्रणाली बोझिल और प्रतिकूल हो जाएगी, बल्कि त्वरित विचार-विमर्श की विधायी नीति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, यह पृथक्करण विधायी मंशा को पूरा करता है तथा अधिक संरचित और संगठित दृष्टिकोण की अनुमति देता है, जहां पेटेंट आवेदन के परीक्षण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को बाधित किए बिना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है।

ञ. नियम 55 में जिस "सुनवाई" की परिकल्पना की गई है, वह स्पष्ट रूप से केवल अभ्यावेदन, ऐसी स्थिति जो उप-नियम (3), (4) और (5) के संयुक्त पठन पर स्पष्ट रूप से उभरती है, तक ही सीमित

प्रतीत होती है। यह ध्यान रखना उचित है कि उप-नियम (3) में आवेदक को नोटिस पर रखा गया है यदि नियंत्रक " अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद" यह "राय" रखता है कि पेटेंट के लिए आवेदन को या तो अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण विनिर्देश को संशोधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार सुनवाई की प्रक्रिया नियंत्रक पर इस राय के अभ्यावेदन पर विचार करने पर शुरू हो जाती है कि प्रतिद्वंद्वी ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो या तो पेटेंट आवेदन को अस्वीकार करने या विनिर्देश में संशोधन करने की गारंटी देते हैं। जब नियंत्रक संतुष्ट हो जाता है कि अभ्यावेदन विचार योग्य प्रश्न उठाता है, तो वह आवेदक को नोटिस देकर उसे अपना बयान और साक्ष्य दाखिल करने में सक्षम करेगा।

ट. हालाँकि, ये कार्यवाहियाँ उन मुद्दों से संबंधित नहीं हैं जिन्हें नियंत्रक ने परीक्षण प्रक्रिया के दौरान चिह्नित किया हो। इस प्रकार, विरोध करने और सुनवाई का अधिकार, विरोध के लिए अभ्यावेदन से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि एफईआर से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों या नियंत्रक द्वारा परीक्षण प्रक्रिया में सार्थक और महत्वपूर्ण के रूप में पहचाने गए प्रश्नों से अलग है।

ठ. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्रतिद्वंद्वी सुनवाई के अधिकार का दावा केवल तभी कर सकता है जब नियंत्रक संतुष्ट हो और उसकी राय हो कि अभ्यावेदन विचार के योग्य है। केवल एक अभ्यावेदन दाखिल करने से नियम 55(4) के तहत नोटिस जारी करने में शीघ्रता या तेजी नहीं आएगी। मामला केवल तभी विवादास्पद हो जाता है जब नियंत्रक अभ्यावेदन का संज्ञान लेता है और आवेदक को नोटिस जारी करता है। इसी स्तर पर तथा उपर्युक्त कारणों से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं।

ड. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियम 55(5) में परिकल्पित सुनवाई का अधिकार केवल विपक्ष के अभ्यावेदन के न्यायनिर्णयन और निपटान से संबंधित है। प्रतिद्वंद्वी को परीक्षण प्रक्रिया में सुनवाई का अधिकार केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि कानून उस चरण पर ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां नियंत्रक अभ्यावेदन पर विचार कर रहा है। जबकि अनुदान-पूर्व विरोध, निर्विवाद रूप से नियंत्रक के निर्णय लेने के कार्य को सुविधाजनक बनाता है, हम स्वयं को इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं कि प्रतिद्वंद्वी को

परीक्षण प्रक्रिया में भागीदारी या दर्शक के अधिकार के लिए मान्यता दी जानी चाहिए।

ढ़. हम इस बात से भी आश्वस्त हैं कि हमारे द्वारा ऊपर बताई गई वैधानिक योजना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का खंडन या बहिष्कार नहीं है, जैसा कि प्रत्यर्थीगण ने दावा किया है। जैसा कि इस निर्णय के पूर्ववर्ती भागों में उल्लेख किया गया था, एक बार आवेदन विज्ञापित होने के बाद प्रतिद्वंद्वी को आपत्तियां उठाने का अधिकार दिया जाता है। हालाँकि, परीक्षण प्रक्रिया में पेटेंट आवेदन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन और आकलन शामिल है। उक्त अभ्यास उठाए जाने वाली आपत्ति पर निर्भर नहीं है। अधिनियम के अध्याय IV में निहित प्रावधानों में विरोधियों या आपत्तिकर्ताओं को परीक्षक या नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने की परिकल्पना नहीं की गई है। नतीजतन, सुनवाई का अधिकार देने से इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता।

ण. जब कोई व्यक्ति अध्याय IV में अंतर्निहित योजना को ध्यान में रखता है, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के सिद्धांत को स्पष्ट बहिष्करण की अनुपस्थिति में कानून में पढ़ने के लिए दायी होने का

आह्वान भी उतना ही गलत माना जाता है। उस भाग में निहित प्रावधान मूलतः परीक्षक और नियंत्रक द्वारा पेटेंट आवेदन के परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित हैं। यह नियंत्रक पर डाला गया एक दायित्व है और विपक्षी कार्यवाही से अलग है जो अध्याय V की विषय वस्तु है।

त. जैसा कि हमने पहले देखा, किसी विरोध की अस्वीकृति से वास्तव में पेटेंट को अनुदान नहीं मिलेगा। यह कानून किसी भी मामले में किसी व्यक्ति को अनुदान का विरोध करने से वंचित नहीं करता है, न ही यह किसी इच्छुक व्यक्ति को किसी निर्विवाद तथ्य पर छोड़ता है। इच्छुक व्यक्तियों के अधिकार धारा 25(2) द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और संरक्षित हैं। दोनों आकस्मिक परिस्थितियों में, प्रतिद्वंद्वी दावा कर सकता है और वास्तव में उसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है।

थ. अधिक मौलिक रूप से, प्रत्यर्थीगण द्वारा दावा किया गया सुनवाई का अधिकार अज्ञानता और विरोधी प्रक्रिया की प्रकृति और सीमा की उपेक्षा से आगे बढ़ता है। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि विरोध के लिए अभ्यावेदन का उद्देश्य मुख्य रूप से पेटेंट आवेदन के परीक्षण में

सहायता करना और सुविधा प्रदान करना है। अभ्यावेदन अपने आप में न तो प्रतिकूल है और न ही विवादास्पद है। अनुदान-पूर्व प्रतिद्वंद्वी केवल पेटेंट आवेदन के समग्र परीक्षण में नियंत्रक की सहायता करता है। दूसरे, किसी भी मामले में विरोध धारा 25(1) में निर्दिष्ट आधार तक ही सीमित है। इस प्रकार, नियंत्रक के लिए प्रतिद्वंद्वी द्वारा उठाई गई चुनौती के आधार पर उसकी बात सुनना अनिवार्य है। हम यह समझने में विफल रहे कि आपत्तिकर्ता उन आधारों के संबंध में सुनवाई के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है, जो न तो उसके आदेश पर उठाए गए थे और न ही उन पर जोर दिया गया था। यही वह बात है जो हमें यह मानने के लिए आश्वस्त करती है कि प्रतिद्वंद्वी केवल अभ्यावेदन के संबंध में सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है और उसे परीक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

द. विपक्षी कार्यवाही में, मुख्य रूप से प्रतिद्वंद्वी द्वारा सामने लाए गए आधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसका परीक्षण विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहती है। यह परीक्षण उस सूचना के आधार पर किया जाता है जो सामने आता है और जिसे प्रथम दृष्टया

अनुदान के लिए आवेदन और पेटेंट के लिए दावे को प्रभावित करने वाला माना जाता है। इस प्रकार, विरोध का महत्व पेटेंट आवेदन का व्यापक परीक्षण आयोजित करने में नियंत्रक की सहायता करने में इसकी भूमिका में निहित है।

ध. विरोधात्मक प्रक्रिया के विपरीत, विपक्ष केवल पेटेंट आवेदन के समग्र मूल्यांकन में योगदान देता है, और इस प्रकार परीक्षण प्रक्रिया में दावा किए जा रहे सुनवाई के अधिकार को कायम नहीं रख पाता। प्रतिद्वंद्वी का सुनवाई का अधिकार धारा 25(1) में निर्दिष्ट आधारों से सीमित है। सुनवाई का अधिकार विपक्ष द्वारा व्यक्त किए गए आधारों से जुड़ा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिद्वंद्वी के पास उनके द्वारा उठाई गई चुनौतियों के संबंध में तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक मंच है। यह हमारे दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि सुनवाई का प्रतिद्वंद्वी का अधिकार विशेष रूप से अभ्यावेदन चरण से संबंधित है और उन्हें व्यापक *परीक्षण प्रक्रिया* में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है।

न. नियंत्रक के निर्देश का अनुपालन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधन को, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले

किसी भी स्वैच्छिक संशोधन से अलग स्थान पर रखा जाता है। इस प्रकार धारा 57(6) न केवल आवेदक को अपने विवेक पर प्रस्तावित संशोधनों के बाद होने वाले विवाद की कठोरता से मुक्त करती है, बल्कि यह धारा 57(1) से जुड़े संशोधनों और उप-धारा (6) के अंतर्गत आने वाले संशोधनों के बीच स्पष्ट अंतर रेखा खींचने के लिए कानून की मंशा को भी उजागर करती है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 57 (4) में परिकल्पित सुनवाई और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया, नियंत्रक के निर्देश द्वारा प्रेरित संशोधनों के विपरीत, आवेदक द्वारा अपनी इच्छा से प्रस्तावित संशोधनों तक सीमित होगी।

प. हमारा यह निष्कर्ष कि नियंत्रक के निर्देशों के आधार पर किया गया संशोधन धारा 57(6) के दायरे में नहीं आएगा, हमारे निष्कर्ष को और अधिक बल देता है कि परीक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो विरोध की कार्यवाही से अलग और स्वतंत्र है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विरोध के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन केवल प्रभाव और सामग्री है जिसे नियंत्रक पेटेंट आवेदन का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रख सकता है। ये अभ्यावेदन नियंत्रक को आवेदन का परीक्षण करने तथा इस बात से संतुष्ट होने से मुक्त नहीं करते कि पेटेंट अनुदान

योग्य है। नियंत्रक को वह कार्य करना होगा तथा वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, चाहे आपत्ति का गुणागुण कुछ भी हो या अन्यथा या यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां कोई आपत्ति नहीं की गई हो।

फ. हमने पाया हैं कि आक्षेपित निर्णय पूर्वाग्रह और प्रकट अन्याय की आधारशिला पर नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन के आरोप की परीक्षण करने में विफल रहा। यह पीजीओ पर सुनवाई बंद होने के एक दिन बाद डॉ. कंचन कोहली द्वारा प्रस्तुत की गई अत्यधिक विलंबित आपत्ति पर विचार करने में भी विफल रही और जिसके लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। धारा 43(1) के विधायी आदेश को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रक के साथ-साथ न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाएगी कि अनुदान-पूर्व विरोध अधिकार का दुरुपयोग न हो और क्रमिक आपत्तियां दर्ज करने से परीक्षण प्रक्रिया में अत्यधिक देरी न हो या वह पटरी से न उतर जाए।

ब. विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 55 की सुनवाई को भी गलत बताया और जो उन आपत्तियों तक ही सीमित है, जो प्रस्तुत की जा सकती हैं। उपरोक्त नियम की व्याख्या या मान्यता इस रूप में नहीं

की जा सकती है कि यह या तो आपत्तिकर्ता को परीक्षण प्रक्रिया में सहभागी भूमिका प्रदान करने या उसके दौरान सुनवाई का अधिकार प्रदान करने की मांग करता है।

भ. इस निर्णय के अंतर्वस्तु में उल्लेखित कारणों से, हमारी दृढ़ राय है कि परीक्षण और विरोधी प्रक्रिया हालांकि वैधानिक रूप से समानांतर रूप से आगे बढ़ने के लिए संरचित है, लेकिन स्वतंत्र और अलग हैं। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अभिसरण या विलय का ध्येय समझना पूरी तरह से गलत होगा।

न. प्रवर्तनशील निर्देश

129. तदनुसार, और उपरोक्त कारणों से, हम तत्काल अपील को अनुमति देते हैं और आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर देते हैं। हालाँकि, वर्तमान निर्णय विधि के अनुसार अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार पेटेंट के अनुदान पर आपत्ति उठाने या आगे बढ़ाने के इच्छुक व्यक्ति के अधिकार के प्रभाव को कम नहीं करेगा। वर्तमान निर्णय को विषयगत पेटेंट के अनुदान के गुणागुण पर निर्णय देने के रूप में भी नहीं समझा जा सकता है। इस संबंध में पक्षकारगण के सभी अधिकार और तर्क अनिर्णीत छोड़ दिए गए हैं।

न्या. यशवंत वर्मा

न्या. धर्मेश शर्मा

09 जनवरी, 2024

नेहा/केके/आरडब्ल्यू

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*